



Your Directors gratefully acknowledge the continued support received by the Company from its' stakeholders for all commercial and non-commercial matters. We are deeply grateful for the confidence and faith, the various stakeholders and Government of Uttarakhand have reposed in us.

**For & On behalf of Board of Directors**

**(G.S. Budiya)**  
**Director (Operations)**

**(P.C.Dhyani)**  
**Managing Director**



आपके निदेशकगण कंपनी को सभी वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक मामलों में अपने हितधारकों से प्राप्त निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। हम विभिन्न हितधारकों और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा हम पर जताए गए विश्वास और भरोसे के लिए बहुत आभारी हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

(जी.एस. बुदियाल)  
निदेशक (संचालन)

(पी.सी. ध्यानी)  
प्रबंध निदेशक



3. आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सिस्टम औसत रुकावट आवृत्ति (SAIF) के लिए प्रति माह प्रति तत्व 0.12 हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 0.21 था।

4. आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सिस्टम औसत अनियोजित रुकावट अवधि (SAUID) के लिए प्रति माह प्रति तत्व 0.13 घंटे हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 0.28 था।

5. आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति वर्ष प्रति लाइन 2.84 ट्रिपिंग (132 kV और उससे अधिक) हासिल की है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5.06 थी।

6. आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति वर्ष प्रति लाइन 4.44 ट्रिपिंग (66 kV) हासिल की है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 थी।

7. ऊपर दिए गए लगभग सभी कारक कंपनी के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं।

(i) ट्रांसमिशन घाटे में कमी से ट्रांसमिशन सिस्टम की दक्षता बढ़ती है।

(ii) ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता में वृद्धि से उत्तराखण्ड के उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ती है।

## 29. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिल रहा था, जिसे कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पढ़ा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप शून्य प्रकटीकरण किया जाता है।

## 30. कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण

आपकी कंपनी कर्मचारी के कल्याण से संबंधित सभी मानव संसाधन गतिविधियों का परिश्रमपूर्वक निर्वहन कर रही है। जैसा कि पुरानी कहावत है "स्वस्थ शरीर से स्वस्थ दिमाग बनता है"। आपकी कंपनी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर आयोजित करती है।

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान 3 स्वास्थ्य शिविर और 1 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए।

## 31. कार्मिक संबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के अपने कर्मचारियों के साथ सीहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। किसी भी यूनियन की ओर से हड़ताल और असहयोग की कोई घटना नहीं हुई। यूनियनों ने खुले और सकारात्मक दृष्टिकोण से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लिया। "कानून, वित्त और मानव संसाधन आपके द्वार" नामक नई पहल शुरू की गई है। समस्या समाधान के लिए विभिन्न कार्यालयों में नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

## 32. आभार

आपके निदेशकगण उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, केंद्रीय और राज्य सरकार के निकायों और उनके विभागों से आपकी कंपनी को प्राप्त बहुमूल्य सहायता और समर्थन के लिए अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

बोर्ड संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनके समर्पण, कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता, सहयोग और परिश्रम के माध्यम से किए गए समर्पित प्रयासों के लिए भी अपना हार्दिक धन्यवाद और गहरी प्रशंसा व्यक्त करता है, जिससे कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हुई है।



**amit ray & co.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

C/o Perfect Accounting Pvt. Ltd.  
201, Himalaya Apartment,  
75, Rajpur Road,  
Dehradun - 248 001  
Uttarakhand  
Mobile : 9415235141  
E-mail : aliahabad@amitrayco.com  
pradeep\_mukherjee26@yahoo.com  
Website : www.amitrayco.com

Ref. No.....

Date.....

## **INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

To,  
The Members of  
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited

### **Report on the Audit of the Financial Statements Qualified Opinion**

We have audited the accompanying financial statements of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2024, and the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS"), and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2024, and its profit (including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

### **Basis for Qualified Opinion**

During the audit of Property plant and equipment and based on information and explanation given to us it was observed that there is a discrepancy between the cost of the land as documented in several title deeds of owned lands including leasehold lands and the amount recorded in the balance sheet. We were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to explain or reconcile this difference, and



**amit ray & co.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

C/o Perfect Accounting Pvt. Ltd.  
201, Himalaya Apartment,  
75, Rajpur Road,  
Dehradun - 248 001  
Uttarakhand  
Mobile : 9415235141  
E-mail : aliahabad@amitraysco.com  
pradeep\_mukherjee26@yahoo.com  
Website : www.amitraysco.com

Ref. No.....

Date.....

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ('कंपनी') के साथ दिए गए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट, और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का विवरण और उस वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण शामिल है, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित, ('Ind AS'), और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उसका लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), उसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव।

योग्य राय के लिए आधार

संपत्ति संयंत्र और उपकरण के ऑडिट के दौरान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह पाया गया कि पट्टे पर दी गई भूमि सहित स्वामित्व वाली भूमि के कई शीर्षक विलेखों में दर्ज भूमि की लागत और बैलेंस शीट में दर्ज राशि के बीच विसंगति है। हम इस अंतर को समझाने या समाधान करने के लिए पर्याप्त उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे, और



- therefore could not determine if any adjustments were needed. (Refer Note 2(4) & 3(1) of notes to accounts)
2. Non-reconciliation of the amounts receivable from suppliers/ contractors/ employees/ other parties and amounts due to suppliers/ contractors/ employees/ other parties incorporated in the books of the company as on 01.06.2004. The impact of the same is not ascertainable.
  3. In the absence of availability of relevant records with respect to property, plant and equipment pertaining to individual assets, asset wise bifurcation and charging of depreciation on property, plant and equipment of existing projects as on 1st April, 2016 is not in the manner, as prescribed by UERC Regulation 2015., the financial impact of same could not be ascertained.
  4. In the absence of availability of relevant records with respect to impairment of property, plant and equipment as per Ind-AS 36 which may result in overstatements of fixed assets and profit for the period. We recommend management to enhance monitoring and appoint consultant for reporting of Ind-AS.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act ("SA"s) except as stated above. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements' section of our report.

We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

### **Emphasis of Matter**

We would like to draw attention that the statutory books and records as per Companies Act, 2013 and rules laid down there under, has not been adequately maintained, updated and complied with. Also, secretarial audit has not completed for the financial year 2023-24 till date of our audit.

### **Key Audit Matters**

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements for the financial year ended March 31, 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.





इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि क्या किसी समायोजन की आवश्यकता है। (लेखों के नोटों के नोट 2(4) और 3(1) देखें)

2. आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/कर्मचारियों/अन्य पक्षों से प्राप्त होने वाली राशियाँ और आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/कर्मचारियों/अन्य पक्षों को देय राशियों का 01.06.2004 तक कंपनी की पुस्तकों में शामिल न होना। इसका प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।
3. व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में प्रासंगिक अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में, 1 अप्रैल, 2015 तक मौजूदा परियोजनाओं की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर परिसंपत्तिवार विभाजन और मूल्यज्ञास का प्रभाव UERC विनियमन 2015 द्वारा निर्धारित तरीके से नहीं है, इसका वित्तीय प्रभाव पता नहीं लगाया जा सका।
4. Ind-AS 36 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि के संबंध में प्रासंगिक अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में, जिसके परिणामस्वरूप अवधि के लिए अचल संपत्तियों और लाम का अधिक विवरण हो सकता है। हम प्रबंधन को निगरानी बढ़ाने और Ind-AS की रिपोर्टिंग के लिए सलाहकार नियुक्त करने की सलाह देते हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) ("SA's") के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की, सिवाय ऊपर बताए गए। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी" अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है।

हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("ICAI") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और ICAI's की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

#### मामले पर बातचीत द्वारा ध्यान

हम इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार वैधानिक पुस्तकों और अभिलेखों का पर्याप्त रूप से रखरखाव, अद्यतन और अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही, हमारे ऑडिट की तारीख तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रात्रिवीच ऑडिट पूरा नहीं हुआ है।

#### प्रमुख ऑडिट मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के लिए संबंधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं।



Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not mandatory to the Company as it is an unlisted company.

**Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon**

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard as the other information is not made available to us till the date of this auditor's report.

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the state of affairs (financial position), profit / loss and other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the and other accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.





SA 701, के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, मुख्य लेखापरीक्षा मामले कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं हैं क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

#### वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि अन्य जानकारी इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है।

#### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन का प्रभार संभालने वालों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में बदलावों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय निबंधनों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले नैतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की एक चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर, चालू चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इशारा नहीं रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।



### वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

SAAs, के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलत बयान का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत बयान से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी नहीं रह सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।



### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

#### **Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the **"Annexure I"** a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by the direction issued by the Office of the Comptroller & Auditors General of India under Section 143(5) of the Act, we give in the **"Annexure-II"**, a statement on the matters specified in the directions.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
  - (a) Except the matter described in Basis for Qualified Opinion, we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion;
  - (b) Except for the effects/ possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
  - (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account except for effects of matters described in the Basis for Qualified Opinion;





भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम शासन के प्रभारी लोगों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें हमारे लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है।

हम शासन के प्रभारी लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालने वाले माने जा सकते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

#### अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित के अनुसार, हम "अनुलग्नक I" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।

2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देश द्वारा अपेक्षित के अनुसार, हम "अनुलग्नक II" में निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(a) योग्य राय के आधार में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर;

(b) योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

(c) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर प्रासंगिक लेखा पुस्तकों के अनुरूप है;



- (d) Except for effects of the matter described in Basis for Qualified Opinion, In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended;
- (e) In terms of Notification No. G. S. R. 463(E) dated 05th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of directors are not applicable to the Company.
- (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "**Annexure III**" to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements.
- (g) Pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company, being a Government Company;
- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has no pending litigation which would impact its financial position except as disclosed under contingent liabilities in its financial statements. (Refer Note 34 to the financial statements);
  - ii. The Company has long-term contracts as at March 31, 2024 for which there were no material foreseeable losses. The Company does not have long-term derivative contracts as at March 31, 2024.
  - iii. There were no amounts, which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company during the year ended March 31, 2024.
  - iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:
    - directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or
    - provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.





- (d) योग्य राय के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें संशोधित रूप में कंपनौ (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है;
- (e) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के "अनुलग्नक III" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- (g) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान, सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;
- (h) संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
  - i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसके वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा, सिवाय इसके कि इसके वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों के तहत खुलासा किया गया हो। (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 34 देखें);
  - ii. कंपनी के पास 31 मार्च, 2024 तक दीर्घकालिक अनुबंध हैं, जिनके लिए कोई भौतिक पूर्वानुमानित घाटा नहीं था। कंपनी के पास 31 मार्च, 2024 तक दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध नहीं हैं।
  - iii. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने वाली कोई राशि नहीं थी।
  - iv. (a) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, को या उनमें कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हैं) अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधियाँ या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के समूह से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ:
    - कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या
    - अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।



- (b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any other persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall:
- directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Funding Party or
  - provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- (c) Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations, under sub clause (iv)(a) and (iv)(b) contain any material misstatement.
- v. The dividend declared or paid during the year by the Company is in compliance with Section 123 of the Act.
- vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended March 31, 2024 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

**For AMIT RAY & CO.**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**  
**FRN No. 000483C**

**PRADEEP MUKHERJEE**  
**PARTNER**  
**M. No. 070693**

**UDIN: 24070693BKFZFZ2000**

**Place: Dehradun**  
**Date: 18th July, 2024**



- (b) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("निधिकरण पक्ष") शामिल हैं, से कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी:

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को निधिकरण पक्ष द्वारा या उसकी ओर से उधार देगी या निवेश करेगी या

अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी; और

- (c) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (iv)(a) और (iv)(b) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी है।
- v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।
- vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला नहीं मिला।

अमित रे एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
FRN No. 000483C

प्रदीप मुखर्जी  
भागीदार  
M. No. 070693

UDIN: 24070693BKFZFFZ2000

स्थान: देहरादून  
दिनांक: 18 जुलाई, 2024

**omit ray & co.**

CHARTERED ACCOUNTANTS

**ANNEXURE –I TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the members of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited of even date)

(i) In respect of the Company's property, plant and equipment, right-of-use assets and intangible assets:

(a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment and relevant details of right-of-use assets.

(B) The Company has no Intangible Assets, and hence reporting under clause 3(i)(a)(B) of the Order is not applicable.

(b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, physical verification of Assets has been done till 2018. However, due to the situation of Transmission Lines / Towers etc. in remote and difficult terrains of hilly areas, the physical verification of assets from third party is not practical and cost effective. The major value of Transmission assets (Lines & Sub-stations) are stationary and fixed / non movable and under continuous power flow (except for shutdowns). If the power flow is interrupted due to any reason (such as damage etc. in the transmission systems) then the same is reflected in the protection systems installed at both end of Transmission Lines. (Refer Note 1(ii)(a) of accounting policies)

(C) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the title deeds of immovable properties (other than immovable properties where the Company is the lessee and the lease agreement are duly executed in favor of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the Company as on the balance sheet date except the following where the title deeds are not in the name of the Company:

S. No.	Description of item of Property	Area in Hectare	Gross Carrying Value (Rs.)	Title Deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter director or relative of Promoter/ director or employee of promoter /director	Property held since which date/year	Remarks
1.	220 /132 KV Sub-station, Ramnagar, Roorkee and 132 KV Sub-station, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/ Transmission Division/Power House



**omit ray & co.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

**परिशिष्ट-1 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए**

(पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के सदस्यों को आज की हमारी रिपोर्ट के शून्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

- (i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों और अमूर्त संपत्तियों के संबंध में:
- (a) (A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (B) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, और इसलिए आदेश के खंड 3(i)(a)(B) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, 2018 तक संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों के दूरस्थ और कठिन इलाकों में ट्रांसमिशन लाइनों/टॉवरों आदि की स्थिति के कारण, तीसरे पक्ष से संपत्तियों का भौतिक सत्यापन व्यावहारिक और लागत प्रभावी नहीं है। ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों (लाइनें और सब-स्टेशन) का मुख्य मूल्य स्थिर और स्थिर/अचल है तथा निरंतर विद्युत प्रवाह (शटडाउन को छोड़कर) के अंतर्गत है। यदि किसी कारण से विद्युत प्रवाह बाधित होता है (जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम में क्षति आदि) तो यह ट्रांसमिशन लाइनों के दोनों छोर पर स्थापित सुरक्षा प्रणालियों में परिलक्षित होता है। (लेखा नीतियों के नोट 1(iii)(a) देखें)
- (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अचल संपत्तियों (अचल संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौता पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के स्वामित्व विलेख बैलेंस शीट की तारीख को कंपनी के नाम पर हैं, सियाय निम्नलिखित के जहां शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है:

क्रमिक	संपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सकल महल मूल्य (₹.)	शीर्षक विलेख के नाम पर आयोजित	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक निदेशक है या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार है या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख/वर्ष से धारित है	टिप्पणियां
1.	220/132 कवी उप-स्टेशन, रामनगर रुड़की और 132 कवी उप-स्टेशन रुड़की	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति पीपीसीएल के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में यूपीसीएल/यूपीएसईडी/ट्रांसमिशन डिपेंडेंट/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।





# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

2.	132 KV Sub-station, Salpuli	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
3.	66 KV Sub-station, Kathiyalsand	0.4420	Not known	UPCL	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
4.	66 KV Sub-station, Karanprayag	0.1330	Not known	UPCL	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
5.	66 KV Sub-station, Joshimath	2.3090	Not known	UPCL	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
6.	132 KV Sub-station, Chudiyala	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
7.	66 KV Sub-station, Thithki	Not known	Not known	UPCL	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
8.	132 KV Sub-station, Kashipur	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
9.	132KV Sub-station Almora	12.166 (approx)	Not known	Executive Engineer - UP State Electricity Board (UPSEB)	No	21.09.1972	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
10.	Substation Land (132 KV S/S Ranikhet)	2.440	6,20,000	Executive Engineer Transmission - UP State Electricity Board (UPSEB)	No	19.04.1991	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.





# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

11.	132 KV Sub-station, Bhawal	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/Transmission Division/Power House.
12.	Substation Land (132 KV S/S Pithoragarh)	1.866	1,44,007	Executive Engineer Transmission & Construction Division Haldwani	No	26.09.1972	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/ Transmission Division/Power House.
13.	132 KV Sub-station, Majra, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/ Transmission Division/Power House.
14.	132KV Sub-station Rudrapur	1.688	Not known	Not available	No	2005	The land asset is owned by PTCUL and provided by the government for sub-station construction. The asset is currently registered under Revenue Records of UPCL/UPSEB/ Transmission Division/Power House.
15.	132 KV Sub-station, Bindal Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
16.	132 KV Sub-station, Purkul, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
17.	132 KV Sub-station, Mangalore	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
18.	132 KV Sub-station, Bhagwanpur	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
19.	220 KV Sub-station, Chamba	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.



## पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

2	132 केवी सब-स्टेशन सतपुली	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
3	66 केवी सब-स्टेशन कोटियालसंज	0.4420	ज्ञात नहीं है	UPCL	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
4	66 केवी सब-स्टेशन करणप्रसाग	0.1330	ज्ञात नहीं है	UPCL	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
5	66 केवी सब-स्टेशन जोशीगढ	2.3090	ज्ञात नहीं है	UPCL	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
6	132 केवी सब-स्टेशन घुडियाला	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
7	66 केवी सब-स्टेशन शिथली	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	UPCL	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
8	132 केवी सब-स्टेशन काशीपुर	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
9	132 केवी सब-स्टेशन अल्मोड़ा	12.166 (लाभग)	ज्ञात नहीं है	अधिशाली अभियंता - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (UPSEB)	नहीं	21.09.1972	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
10	सब-स्टेशन भूमि (132 KV S/S रानीखेत)	2.440	6.20.000	अधिशाली अभियंता - ट्रांसमिशन - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (पूर्वप्रादेशी)	नहीं	19.04.1991	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।



## पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

11.	132 केवी सब-स्टेशन भवाली	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
12.	सबस्टेशन भूमि (132 KV S/S (पिथौरागढ़)	1.866	1,44,007	अविशाली अग्रियता ट्रांसमिशन एवं निर्माण प्रभाग इन्डियानी	नहीं	26.09.1972	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
13.	132 केवी सब-स्टेशन पाजरा, देहरादून	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
14.	132 केवी सब-स्टेशन रुद्रपुर	1.688	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	2005	भूमि संपत्ति PTCUL के स्वामित्व में है और सरकार द्वारा सब-स्टेशन निर्माण के लिए प्रदान की गई है। संपत्ति वर्तमान में UPCL/UPSEB/ट्रांसमिशन डिवीजन/पावर हाउस के राजस्व रिकॉर्ड के तहत पंजीकृत है।
15.	132 केवी सब-स्टेशन विदाल देहरादून	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है और इसे विभिन्न विभागों द्वारा सबस्टेशन के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, राजस्व अभिलेखों में उन्हीं विभागों के नाम दर्ज हैं।
16.	132 केवी सब-स्टेशन पुरकुल देहरादून	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है और इसे विभिन्न विभागों द्वारा सबस्टेशन के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, राजस्व अभिलेखों में उन्हीं विभागों के नाम दर्ज हैं।
17.	132 केवी सब-स्टेशन मंगलौर	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है और इसे विभिन्न विभागों द्वारा सबस्टेशन के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, राजस्व अभिलेखों में उन्हीं विभागों के नाम दर्ज हैं।
18.	132 केवी सब-स्टेशन भगवानपुर	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है और इसे विभिन्न विभागों द्वारा सबस्टेशन के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, राजस्व अभिलेखों में उन्हीं विभागों के नाम दर्ज हैं।
19.	220 केवी सब-स्टेशन चंडा	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	भूमि संपत्ति वर्तमान में PTCUL के स्वामित्व में है और इसे विभिन्न विभागों द्वारा सबस्टेशन के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, राजस्व अभिलेखों में उन्हीं विभागों के नाम दर्ज हैं।



20.	132 KV Sub-station, Simil	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
21.	400 KV Sub-station, Rishikesh	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
22.	220 KV Sub-station & 132 KV IDPL Rishikesh	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
23.	132KV Sub-station Kichha	2.878	Not known	Not available	No	Not known (More than 30 Years)	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
24.	132 KV Sub-station, Bhupatwala	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
25.	132 KV Sub-station, Jwalapur	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
26.	132 KV Sub-station, Srinagar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is currently owned by PTCUL and has been made available by various departments for the construction of a substation. Currently, the names of the same departments are listed in the revenue records.
27.	132 KV Sub-station, Kotdwar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is in the possession of PTCUL and has been provided free of cost by SIDCUL for the construction of the substation.
28.	132 KV Sub-station, SIDCUL, Haridwar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is in the possession of PTCUL and has been provided free of cost by SIDCUL for the construction of the substation.
29.	220 KV Sub-station, Selaqui	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land asset is in the possession of PTCUL and has been provided free of cost by SIDCUL for the construction of the substation.



30.	220KV Sub-station Pantnagar	9.940	Not known	Not available	No	2005	The land asset is in the possession of PTCUL and has been provided free of cost by SIDCUL for the construction of the substation.
31.	132KV Sub-station Eldeco, Sitarganj	4.117	Free of Cost	Not available	No	13.12.2007	The land asset is in the possession of PTCUL and has been provided free of cost by SIDCUL for the construction of the substation.
32.	132KV Sub-station Kathgodam	-	Not known	Not available	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajra.
33.	Elect. Civil Division, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajra.
34.	220 KV O&M Division, Roorkee, 33 KV Sub-station No. 6, Right river bank, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajra.
35.	O&M Circle Office, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajra.
36.	Residential Colony, Purkul, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajra.
37.	O&M Division, Yamuna Colony, Dehradun including Sub-Division and residential Colony, Yamuna Colony, Dehradun.	Not known	Not known	Irrigation Department	No	Not known	The land assets have been surveyed by the Revenue Department and in the possession of PTCUL in Sajra.





30.	220 केवी सब-स्टेशन पंतनगर	9.940	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	2005	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के कब्जे में है और सबस्टेशन के निर्माण के लिए SIDCUL द्वारा इसे निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।
31.	132 केवी सब-स्टेशन, एल्डेको, सितारगंज	4.117	निःशुल्क	उपलब्ध नहीं है	नहीं	13.12.2007	भूमि परिसंपत्ति PTCUL के कब्जे में है और सबस्टेशन के निर्माण के लिए SIDCUL द्वारा इसे निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।
32.	132 केवी सब-स्टेशन काठगोदाम	-	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	राजस्व विभाग द्वारा भूमि परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा साजरे में यह PTCUL के कब्जे में है।
33.	विद्युत सिविल डिप्टीजन, रुड़की	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	राजस्व विभाग द्वारा भूमि परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा साजरे में यह PTCUL के कब्जे में है।
34.	220 केवी ओएंडएम डिप्टीजन, रुड़की, 33 केवी सब-स्टेशन नंबर 6, दायां नदी तट, रुड़की	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	राजस्व विभाग द्वारा भूमि परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा साजरे में यह PTCUL के कब्जे में है।
35.	ओ एंड एम राकिल ऑफिस, रुड़की	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	राजस्व विभाग द्वारा भूमि परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा साजरे में यह PTCUL के कब्जे में है।
36.	आवासीय कॉलोनी, पुरकुल, देहरादून	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	राजस्व विभाग द्वारा भूमि परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा साजरे में यह PTCUL के कब्जे में है।
37.	ओ एंड एम डिप्टीजन, प्रमुना कॉलोनी, देहरादून जिरामे सब-डिप्टीजन और आवासीय कॉलोनी, प्रमुना कॉलोनी, देहरादून शामिल हैं।	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	सिंचाई विभाग	नहीं	ज्ञात नहीं है	राजस्व विभाग द्वारा भूमि परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा साजरे में यह PTCUL के कब्जे में है।



- (d) The Company has not revalued its Property Plant and Equipment (including Right of-use assets) and intangible assets during the year.
- (e) There are no proceedings initiated or pending against the Company as at March 31, 2024 for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.
- (ii) (a) As informed, the inventory has been physically verified by the management at reasonable intervals during the year. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the frequency of such verification is reasonable and procedures and coverage as followed by Management were appropriate. No discrepancies were noticed on verification between the physical stocks and the book records that were more than 10% in the aggregate of each class of inventory. Minor discrepancies noticed during physical verification were properly dealt within the books of account.
- (b) According to the Information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of ₹ 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.
- (iii) According to the information and explanation given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties. Accordingly, the requirement to report under clause 3(iii)(a), 3(iii)(b), 3(iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) and (iii)(f) of the Order are not applicable to the Company.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has in respect of loans, investments, guarantees, and security complied with the provisions of section 185 and 186 of the Act, to the extent applicable.
- (v) The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits from the public within the meaning of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act. According to information and explanations given to us, no order has been passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or the Reserve Bank of India or any Court or other Tribunal.
- (vi) We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the rules prescribed by the Central Government for maintenance of cost records under Section 148(1) of the Act in respect of the Company's products to which said rules are made applicable and are of the opinion that prima facie, the prescribed records have been made and maintained. We have not, however, made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.



(vii) According to the information and explanations given to us and according to the books and records as produced and examined by us, in our opinion:

(a) The Company has generally been regular during the year, in depositing undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues as applicable to it to the appropriate authorities.

There were no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2024 for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) Details of statutory dues referred to in sub-clause(a) above which have not been deposited as on March 31, 2024 on account of disputes are given below:

Name of Statute	Nature of Dues	Period	Forum where the dispute is pending	Gross Disputed Amount (Rs. in Lakh)	Amount Deposited under Protest (Rs. in Lakh)
Income Tax Act	TDS Demand	Different Assessment Years	Assessing Officer	2.49	-
Service Tax Act	Service Tax	FY 2016-17 and 01.04.2017 to 30.06.2017	Custom Excise Service Tax Appellate Tribunal	798.78	-

(viii) There were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act 1961.

(ix) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender during the year.

(b) The Company has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or government or any other government authority.



(b) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(c) बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया है) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) (a) जैसा कि सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कवरेज उचित थीं। भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन पर कोई विसंगति नहीं देखी गई जो कि प्रत्येक वर्ग की इन्वेंट्री के कुल योग में 10% से अधिक थी। भौतिक सत्यापन के दौरान चायी गयी छोटी-मोटी विसंगतियों को लेखा बहियों में समुचित ढंग से निपटाया गया।

(b) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या कोई अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान करने में या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करने में निवेश नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(iii)(a), (iii)(b), (iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) और (iii)(f) के तहत रिपोर्ट करने की आवश्यकता आदेश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है, जहां तक लागू हो।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य सुसंगत प्रावधानों के अर्थ में जनता से कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है, जिसे जमा माना जाता है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी लॉ बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी लॉ न्यायाधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या अन्य न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) हमने कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है, जिस पर उक्त नियम लागू होते हैं और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित रिकॉर्ड बनाए गए हैं और बनाए रखे गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

(vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा प्रस्तुत और जांची गई पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, हमारी राय में:

(a) कंपनी वर्ष के दौरान आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उचित अधिकारियों को जमा करने में नियमित रही है।

माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में 31 मार्च, 2024 तक कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी, जो उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थी।

(b) उप-खण्ड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया का विवरण, जो दिवादों के कारण 31 मार्च, 2024 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

विधान का नाम	देय राशि की प्रकृति	अवधि	मंच जहां विवाद लंबित है	कुल दिवादित राशि (लाख रुपये में)	विरोध के तहत जमा राशि (लाख रुपये में)
आयकर अधिनियम	टीडीएस माँग	भिन्न आकलन वर्ष	आकलन अधिकारी	2.49	-
सेवा कर अधिनियम	सेवा कर	वित्त वर्ष 2016-17 और 01.04.2017 से 30.06.2017	कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण	798.78	-

(viii) आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान पहले से अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(b) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।





- (c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained.
- (d) On an overall examination of the financial statements of the Company, funds raised on short term basis have, prima facie, not been used during the year for long term purposes by the company.
- (e) According to the information and explanations given to us and an overall examination of the financial statements of the Company, we report that the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries or joint ventures. Accordingly, clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable.
- (f) According to the information and explanations given to us and procedures performed by us, we report that the Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries or joint ventures. Accordingly, clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.
- (x) (a) According to the information and explanation given us, the Company has not raised any money during the year by way of initial public offer / further public offer (including debt instruments). Accordingly clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanation given us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.
- (xi) (a) Based on examination of the books and records of the Company and according to the information and explanations given to us, considering the principles of materiality outlined in Standards on Auditing, we report that no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the course of our audit.
- (b) According to the information and explanations given to us, no report under Sub Section (12) of Section 143 of the Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014 with the Central Government.
- (c) According to the information and explanations given to us, no whistle blower complaints have been received by the company during the year.
- (xii) According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi company and the Nidhi Rules, 2014 are not applicable to it. Accordingly, clause 3(xii) of the Order is not applicable.





- (c) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, जिस उद्देश्य के लिए ऋण प्राप्त किए गए थे, उसी उद्देश्य के लिए सावधि ऋण लागू किए गए थे।
- (d) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, प्रथम दृष्टया, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- (e) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(e) लागू नहीं होता है।
- (f) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(f) लागू नहीं होता है।
- (x) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश/आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार आदेश का खंड 3(x)(a) लागू नहीं होता है।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिनान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार आदेश का खंड 3(x)(b) लागू नहीं होता है।
- (xi) (a) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा पर मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी हमारे लेखापरीक्षा के दौरान नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दाखिल नहीं की गई है।
- (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई किसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii) लागू नहीं होता है।



- (xx) (a) According to the information and explanations given to us, in respect of other than ongoing projects, the company has transferred unspent amount of Rs. 159.18 Lakhs to PM Cares Fund which is a fund specified in Schedule VII to the companies act. Such amount has been transferred on 18-04-2023 i.e. within a period of six months from the expiry of previous FY 2022-23 in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the said Act;
- (b) In respect of ongoing projects, the Company has transferred unspent CSR amount of Rs. 163.01 lakhs on 11-04-2023 i.e. within a period of 30 days from the end of the previous FY 2022-23 to a special account in compliance with the provision of section 135(6) of the Companies Act, 2013.
- (c) In respect of ongoing projects during the current FY 2023-24, Company has transferred the unspent CSR amount of Rs. 9.80 lakhs on 22-04-2024 i.e. within a period of 30 days to a special account in compliance with the provision of subsection (6) of section 135 of the said Act.
- (xxi) The reporting under clause (xxi) is not applicable in respect of audit of standalone financial statements of the Company. Accordingly, no comment has been included in respect of said clause under this report.

**For AMIT RAY & CO.**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**  
**FRN No. 000483C**

**PRADEEP MUKHERJEE**  
**PARTNER**  
**M. No. 070693**  
**UDIN: 24070693BKFZFZ2000**  
**Place: Dehradun**  
**Date: 18th July, 2024**



- (xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the transactions with related parties are in compliance with Section 177 and 188 of the Act, where applicable and the details of the related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.
- (xiv) (a) In our opinion and as per the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.  
(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till date for period under audit.
- (xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors. Accordingly clause 3(xv) of the Order is not applicable.
- (xvi) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company:
  - (a) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.
  - (b) The Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities during the year.
  - (c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations prescribed by Reserve Bank of India.
  - (d) In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016). Accordingly, clause 3(xvi)(a), (b), (c) and (d) of the Order is not applicable.
- (xvii) The company has not incurred cash losses in the current and in the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.
- (xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that the Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of the balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all the liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.



- (xiii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो तथा संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiv) (a) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
- (a) हमने लेखा परीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।
- (xv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार आदेश का खंड 3(xv) लागू नहीं होता।
- (xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर:
- (a) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।
- (b) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।
- (c) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (CIC) नहीं है।
- (d) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(a), (b), (c) और (d) लागू नहीं होते हैं।
- (xvii) कंपनी को चालू और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता।
- (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।



(xx) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी ने 159.18 लाख रुपये की अप्रयुक्त राशि पीएम केयर्स फंड में स्थानांतरित कर दी है, जो कि कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट एक निधि है। ऐसी राशि 18-04-2023 को हस्तांतरित की गई है, अर्थात् उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर;

(b) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने रु. 163.01 लाख रुपये 11-04-2023 को अर्थात् पिछले वित् वर्ष 2022-23 के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

(c) चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने 9.80 लाख रुपये की अव्ययित CSR राशि 22-04-2024 को अर्थात् 30 दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी है।

(xxi) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

अमित रे एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
FRN No. 000483C

प्रदीप मुखर्जी  
साझेदार  
M. No. 070693

UDIN: 24070693BKFZFZ2000

स्थान: देहरादून  
दिनांक: 18 जुलाई, 2024





**amit ray & co.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

S. No.	Directions	Report
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	According to information and explanations given to us and based on our audit, the Company has not received any funds from central/ state agencies for specific schemes.

For AMIT RAY & CO.  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN No. 000483C

PRADEEP MUKHERJEE  
PARTNER  
M. No. 070693  
UDIN: 24070693BKFZFZ2000  
Place: Dehradun  
Date: 18th July, 2024

**amit ray & co.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS**ANNEXURE-II TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

(As referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report even date)

Re: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited

S. No.	Directions	Report
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	<p>According to the information and explanations given to us and based on our audit, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system except inventory management system and for this purpose FAS-ERP (Accounting Software) has been implemented by the Company. Period end Financial Statements are compiled offline based on balances of previous year and transactions generated from such FAS-ERP system. Opening balances available in FAS-ERP do not reconcile with balances of Audited Financial Statements in two cases relating to Reserves &amp; Surplus.</p> <p>We have neither been informed nor come across during the course of our audit any accounting transactions which have been processed outside the IT system having impact on the integrity of the accounts.</p>
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	<p>According to information and explanations given to us and based on our audit, there is no case of restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/ interest etc. made by the lender to the Company.</p>



**amit ray & co.**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

क्रमांक	दिशा-निर्देश	रिपोर्ट
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी को विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

अमित रे एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
FRN No. 000483C

प्रदीप मुखर्जी  
साझेदार  
M. No. 070693

UDIN: 24070693BKFZFZ2000

स्थान: देहरादून  
दिनांक: 18 जुलाई, 2024



## omit ray & co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

परिशिष्ट- 1। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

(जैसा कि हमारी रिपोर्ट सम तिथि के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित है)

संदर्भ: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

क्रमांक	दिशा-निर्देश	रिपोर्ट
1.	क्या IT प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो IT प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है। क्या IT प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो IT प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी के पास इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली को छोड़कर आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा FAS- ERP (अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर) लागू किया गया है। अधि के अंत में वित्तीय विवरण ऐसे FAS- ERP सिस्टम से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफलाइन संकलित किए जाते हैं। FAS- ERP में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि रिजर्व और अधिशेष से संबंधित दो मामलों में ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के शेष के साथ मेल नहीं खाती है।  लेखा परीक्षा के दौरान हमें न तो सूचित किया गया है और न ही कोई लेखा लेनदेन जो IT प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया है, जो खातों की अखंडता पर प्रभाव डालता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बड़े खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बड़े खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।



### **Annexure – III To The Independent Auditor's Report**

**(Referred to in paragraph 3(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited)**

#### **Report on the Internal Financial Controls under Clause (l) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to the accompanying Financial Statements of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited ("the Company") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

#### **Management's Responsibility for Internal Financial Controls**

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to the accompanying Financial Statements based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

#### **Auditors' Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to the Accompanying Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to the Accompanying Financial Statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design





### स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक-III

(पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 3(f) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तिथि का समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्डेड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

### लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर संलग्न वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखा-परीक्षण भारतीय चार्टर्डेड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा-परीक्षण मानकों के अनुसार किया, जो कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षण के लिए लागू सीमा तक है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और लेखा-परीक्षण की योजना बनानी चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना चाहिए कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारे लेखा-परीक्षण में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा-परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भी नैतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, और डिजाइन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था।



internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2024, based on the criteria for internal financial controls over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**For AMIT RAY & CO.**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**  
**FRN No. 000483C**

**PRADEEP MUKHERJEE**  
**PARTNER**  
**M. No. 70693**

**UDIN: 24070693BKFZFZ2000**

**Place: Dehradun**  
**Date: 18th July, 2024**



जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

अमित रे एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
FRN No. 000483C

प्रदीप मुखर्जी  
साझेदार  
M. No. 070693

UDIN: 24070693BKFZFZ2000

स्थान: देहरादून

दिनांक: 18 जुलाई, 2024



and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements.

**Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Accompanying Financial Statements**

A company's internal financial control over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements includes those policies and procedures that

- (1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

**Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Accompanying Financial Statements**

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Opinion**

In our opinion, to the best of our knowledge and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting with reference to Accompanying Financial Statements and such



और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के नीतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

### वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीमिटर या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरसाइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, नविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

### राय

हमारी राय में, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे,





S.No.	Comments of Statutory Auditors for the F.Y. 2023-24	Management Reply
1	During the audit of Property plant and equipment and based on information and explanation given to us it was observed that there is a discrepancy between the cost of the land as documented in several title deeds of owned lands including leasehold lands and the amount recorded in the balance sheet. We were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to explain or reconcile this difference, and therefore could not determine if any adjustments were needed.(Refer Note 2(4) & 3(1) of notes to accounts)	This is to inform that the reconciliation of land title deeds owned/purchased by PTCUL is being done with the land records and after the reconciliation of the same, the necessary adjustment entry will be done accordingly.
2	Non-reconciliation of the amounts receivable from suppliers/ contractors/ employees/ other parties and amounts due to suppliers/ contractors/ employees/ other parties incorporated in the books of the company as on 01.06.2004. The impact of the same is not ascertainable.	In respect of the transactions relating to recoverables, payables and other assets and liabilities taken over by PTCUL from UPCL on 01.06.2004 as opening balances in terms of transfer scheme, the reconciliation is under process. The transactions with other third parties emanating from the opening balances relating to their bills / claims and payments which could be identified from the available records have been accounted for. Since the said transactions relates to old records of erstwhile UPSEB and UPPCL the process of completion of reconciliation is taking time and efforts are under way to complete the said reconciliation as early as possible and to account for the same wherever considered necessary. However in respect of the transactions other than relating to the aforesaid opening balances, the accounts of the company with PGCIL and UPCL are reconciled as on 31st March, 2024.



क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
1	संपत्ति संयंत्र और उपकरण के लेखापरीक्षा के दौरान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह पाया गया कि पट्टे पर दी गई भूमि सहित कई स्वामित्व वाली भूमि के शीर्षक विलेखों में दर्ज भूमि की लागत और बैलेंस शीट में दर्ज राशि के बीच विसंगति है। हम इस अंतर को स्पष्ट करने या समेटने के लिए पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे, और इसलिए यह निर्धारित नहीं कर सके कि क्या किसी समायोजन की आवश्यकता थी। (खातों के लिए नोटों के नोट 2(4) और 3(1) देखें)	यह सूचित किया जाता है कि PTCUL के स्वामित्व वाली/खरीदी गई भूमि शीर्षक विलेखों का भूमि अभिलेखों के साथ मिलान किया जा रहा है और इसके मिलान के बाद, तदनुसार आवश्यक समायोजन प्रविष्टि की जाएगी।
2	आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/कर्मचारियों/अन्य पक्षों से प्राप्त होने वाली राशियाँ और आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/कर्मचारियों/अन्य पक्षों को देय राशियों का 01.08.2004 तक कंपनी की पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया। इसका प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।	हस्तांतरण योजना के अनुसार दिनांक 01.08.2004 को PTCUL द्वारा UPCL से आरंभिक शेष के रूप में ली गई वसूली योग्य राशि, देय राशि और अन्य परिसंपत्तियाँ तथा देनदारियों से संबंधित लेन-देन के संबंध में समाधान प्रक्रियाधीन है। अन्य तृतीय पक्षों के साथ उनके बिलों/दावों और भुगतानों से संबंधित आरंभिक शेष राशि से उत्पन्न लेन-देन, जिन्हें उपलब्ध अभिलेखों से पहचाना जा सकता है, का लेखा-जोखा रखा गया है। चूंकि उक्त लेन-देन पूर्ववर्ती UPSEB और UPPCL के पुराने अभिलेखों से संबंधित हैं, इसलिए समाधान पूरा होने की प्रक्रिया में समय लग रहा है और उक्त समाधान को यथाशीघ्र पूरा करने और जहाँ भी आवश्यक समझा जाए, उसका लेखा-जोखा रखने के प्रयास चल रहे हैं। हालांकि उपरोक्त आरंभिक शेष राशि से संबंधित लेन-देन के अलावा अन्य के संबंध में, PGCIL और UPCL के साथ कंपनी के खातों का 31 मार्च, 2024 तक समाधान किया जाता है।



S.No.	Comments of Statutory Auditors for the F.Y. 2023-24	Management Reply
3	In the absence of availability of relevant records with respect to property, plant and equipment pertaining to individual assets, asset wise bifurcation and charging of depreciation on property, plant and equipment of existing projects as on 1st April, 2016 is not in the manner, as prescribed by UERC Regulation 2015., the financial impact of same could not be ascertained.	The fixed assets (Property, Plant and Equipments, etc.) were transferred by UPCL to the Company as block wise fixed assets and not component wise at the time of transfer of assets as per the Transfer Scheme on 01.06.2004. Due to non-receipt of component wise opening balances of the fixed assets, the depreciation is being charged on the block of assets as per the rates of depreciation prescribed under tariff regulations notified by Hon'ble UERC. However, the Company is in the process of identifying / ascertaining the breakup of block of assets and charging of depreciation item wise as per the available records pertaining to erstwhile UPSEB and UPPCL. The Company has already completed the said exercise of identification of item wise assets upto 31st March 2022 and is in the process of completing the same upto date with charging of depreciation item wise.
4	In the absence of availability of relevant records with respect to impairment of property, plant and equipment as per Ind-AS 36 which may result in overstatements of fixed assets and profit for the period. We recommend management to enhance monitoring and appoint consultant for reporting of Ind-AS.	Suggestion of Statutory Auditor are noted for compliance. In light of this, the management will conduct a thorough review to identify Assets Impaired in accordance with Ind-AS 36. An expert from outside shall be engaged, if required, to identify the Impaired Assets.



क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
3	व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में प्रासंगिक अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में, 1 अप्रैल, 2016 तक मौजूदा परियोजनाओं की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर परिसंपत्तिवार विभाजन और मूल्यहास का प्रभाव UERC विनियम 2015 द्वारा निर्धारित तरीके से नहीं है, इसके वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।	अचल परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, आदि) को UPCL द्वारा कंपनी को ब्लॉकवार अचल परिसंपत्तियों के रूप में रक्षानांतरित किया गया था, न कि 01.08.2004 को हस्तांतरण योजना के अनुसार परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के समय घटकवार अचल परिसंपत्तियों के घटकवार प्रारंभिक शेष की प्राप्ति न होने के कारण, माननीय UERC द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियमों के तहत निर्धारित मूल्यहास की दरों के अनुसार परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर मूल्यहास लगाया जा रहा है। हालांकि, कंपनी पूर्ववर्ती UPSEB और UPPCL से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिसंपत्तियों के ब्लॉक के विभाजन और मूल्यहास को मदवार वसूलने की पहचान/पता लगाने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक मदवार परिसंपत्तियों की पहचान करने का उक्त अभ्यास पहले ही पूरा कर लिया है और मूल्यहास को मदवार वसूलने के साथ इसे आज तक पूरा करने की प्रक्रिया में है।
4	Ind-AS 36 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की हानि के संबंध में प्रासंगिक अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में, जिसके परिणामस्वरूप अवधि के लिए अचल संपत्तियों और लाभ का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन हो सकता है। हम प्रबंधन को निगरानी बढ़ाने और Ind-AS की रिपोर्टिंग के लिए सलाहकार नियुक्त करने की सलाह देते हैं।	अनुपालन के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के सुझावों को नोट किया जाता है। इसके आलोक में, प्रबंधन Ind-AS 36 के अनुसार क्षतिग्रस्त संपत्तियों की पहचान करने के लिए गहन समीक्षा करेगा। क्षतिग्रस्त संपत्तियों की पहचान करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो बाहर से एक विशेषज्ञ को लगाया जाएगा।



**VAP & ASSOCIATES**  
Company Secretaries

Head Office:  
105, Charms Solitaire, Ahinsa Khand-2,  
Indrapuram, Ghaziabad-201014, U.P.  
Tel:-91-0120-4272409  
M:-91-9910091070, 9711670085  
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

**FORM MR – 3**  
**SECRETARIAL AUDIT REPORT**

**FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024**

*[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies  
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]*

To  
The Members,  
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited ('the Company')  
Vidyut Bhawan, Near I.S.B.T crossing  
Saharanpur Road, Majra, Dehradun-248001.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited (CIN: U40101UR2004SGC028675)** (herein after called '**the Company**') for the period covering the financial year ended on 31st March 2024 ('**Audit Period**'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

- A. Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers and authorized representatives, the explanations and clarifications given to us, during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made herein after:
- B. We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March 2024 according to the provisions of:
- The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;
  - The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder (**Not Applicable to the Company during the Audit period**);
  - The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under (**Not Applicable to the Company during the Audit period**);
  - Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (**Not Applicable to the Company during the Audit period as there were no Foreign Direct Investments, Overseas Direct**





# **VAP & ASSOCIATES**

Company Secretaries

HeadOffice:  
105, Charms Solitaire, Ahinsa Khand-2,  
Indrapuram, Ghazipur, 201014, U.P.  
Tel: +91-0120-4272409  
M: +91-9916091070, 9711670085  
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

फॉर्म एमआर – 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सदस्यों को,

पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ("कंपनी")

विद्युत भवन, आईएसबीटी क्रॉसिंग के पास

सहारनपुर रोड, गाजरा, देहरादून-248001।

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष ("लेखा परीक्षा अवधि") को कवर करने वाली अवधि के लिए पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (CIN: U40101UR2004SGC028675) (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरह से किया गया था कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

A. कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आम तौर पर नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

B. हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके तहत बनाए गए नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाए गए नियम और उपनियम (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक; (ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं था)



**Investment in the Company and no External Commercial Borrowings were made by the company);**

- (v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): (Not Applicable to the Company during the Audit Period as the Company is not listed)
- (vi) We further report that, having regards to the compliance system prevailing in the Company for the specifically applicable laws to the Company as identified by the Management, only three periodic Compliance Certificate required to be taken from various Departments were available and due to non-availability of complete documents we unable to express our opinion in this regard.
- C. We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:
- (i) Secretarial Standards ('SS') with regard to Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchange(s). (not applicable to the Company during the audit period as the Company is not listed).
- D. During the period under review, the Company has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:
1. *The Distinctive Number(s) of the Share Certificate issued to the Hon'ble Governor of Uttarakhand on 03.08.2023 (as stated in the List of allottee filed with the Form PAS 3) for 5,00,000 shares is incorrect. It is recorded as 7238773 to 7738773, which should be 7238773 to 7738772 (both starting and ending distinctive number inclusive).*
  2. *Section 62(1) of the Companies Act, 2013 in respect of issue of letter of offer for the allotment of 5,00,000 Equity Shares to the Hon'ble Governor of Uttarakhand during the Audit period has not been followed.*
  3. *As per Master data of the Company on Ministry of Corporate Affairs ('MCA') portal and Form PAS 3 filed by the Company for the allotment of shares, the paid-up Share Capital is recorded as Rs. 7,238,772,000/-. However, Form MGT-7 (Annual Return) and the Balance Sheet for the financial year 2022-23, reflect paid up Share Capital of Rs. 7,238,773,000/-. The paid-up Share Capital specified in one document diverges from the figures stated in other documents, which should ideally be consistent across all records.*
  4. *As stated in the Balance Sheet on 31.03.2023, the Paid-up Share Capital of the Company at the end of the financial year was Rs. 7,238,773,000/-. This amount includes the issuance of 426,649 Equity Shares, approved in the resolution passed during the Board Meeting held on 10.03.2023. However, according to the Register of Members of the Company and the Form PAS 3 filed with MCA/ Registrar of Companies ('ROC') for allotment of these Shares, the date of allotment is recorded as 01.05.2023, which is after closure of the financial year 2022-23.*



कंपनी में निवेश किया गया है तथा कंपनी द्वारा कोई बाह्य वाणिज्यिक उधार नहीं लिया गया है);

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित विनियम एवं दिशानिर्देश (कंपनी के सूचीबद्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(vi) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, प्रबंधन द्वारा पहचाने गए कंपनी पर विशेष रूप से लागू कानूनों के लिए कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विभागों से लिए जाने वाले केवल तीन आवधिक अनुपालन प्रमाणपत्र उपलब्ध थे तथा पूर्ण दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण हम इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

C. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (SS-1) तथा आम बैठकों (SS-2) के संबंध में सचिवीय मानक (SS')।

(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते। (कंपनी के सूचीबद्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

D. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने आम तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. 03.08.2023 को उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल को 5,00,000 शेयरों के लिए जारी किए गए शेयर प्रमाणपत्र की विशिष्ट संख्या (जैसा कि फॉर्म PAS 3 के साथ दाखिल आवंटियों की सूची में बताया गया है) गलत है। इसे 7238773 से 7738773 के रूप में दर्ज किया गया है, जो कि 7238773 से 7738772 (प्रारंभिक और अंतिम दोनों विशिष्ट संख्याएँ सम्मिलित) होना चाहिए।

2. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल को 5,00,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए प्रस्ताव पत्र जारी करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 82(1) का पालन नहीं किया गया है।

3. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ('MCA') पोर्टल पर कंपनी के मास्टर डेटा और शेयरों के आवंटन के लिए कंपनी द्वारा दाखिल फॉर्म पीएस 3 के अनुसार, चुकता शेयर पूंजी 7,238,772,000/- रुपये दर्ज की गई है, हालांकि, फॉर्म एमजीटी-7 (वार्षिक रिटर्न) और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैलेंस शीट में 7,238,773,000/- रुपये की चुकता शेयर पूंजी दिखाई गई है। एक दस्तावेज में निर्दिष्ट चुकता शेयर पूंजी अन्य दस्तावेजों में बताए गए आंकड़ों से भिन्न है, जो आदर्श रूप से सभी रिकॉर्ड में सुसंगत होना चाहिए।

4. जैसा कि 31.03.2023 को बैलेंस शीट में कहा गया है, वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 7,238,773,000/- रुपये थी। इस राशि में 10.03.2023 को आयोजित बोर्ड मीटिंग के दौरान पारित प्रस्ताव में अनुमोदित 426,649 इक्विटी शेयर जारी करना शामिल है। हालांकि, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और इन शेयरों के आवंटन के लिए MCA/कंपनी रजिस्ट्रार ('ROC') के साथ दाखिल फॉर्म PAS 3 के अनुसार, आवंटन की तारीख 01.05.2023 दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के समापन के बाद है।



5. *As per available records, there was a discrepancy between the number of shares and their corresponding value in the Balance Sheet for the financial year 2022-23. The figures are expected to be consistent with one another. This is also factual present position in the records of MCA/ROC.*
6. *According to the financial statements for the financial year 2022-23 on the company's website, the annual report for the same financial year, and the Form AOC XBRL submitted for that period, the CFO of the company has not signed the financial statements for FY 2022-23 as mandated by Section 134(1) of the Act.*
7. *The Articles of Association (AOA) on the company's website still displays the old Clause 4, even though it was substituted by the Company with a new clause in the year 2016.*
8. *The Director Identification Number (DIN) of the Director(s) and the Membership number of the Company Secretary were not mentioned in the documents attached to various Forms filed by the Company with the MCA, during the year. Section 158 of the Act states that every person or company must mention the DIN in any return, information, or particulars related to the director or containing any reference to a director. Additionally, Rule 7 of the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, stipulates that any correspondence or documents filed must contain the name, designation, address, and either the Membership Number or DIN.*
9. *In general, the respective dates of appointment or resignation of Director(s)/KMP(s) was not mentioned in the Minutes of the Board Meetings during the year. When the minutes are approved and reference to the concerned order is given, the date of appointment or resignation of Directors/KMPs should also be mentioned. This is essential to establish the effective date of their appointment or resignation, which is critical for determining the commencement or cessation of their duties.*
10. *During the audit, it was observed that certain e-forms, under the Act have been filed late, resulting in the payment of additional fees.*
11. *Board's Report for the financial year 2022-23 was approved by the Company during the Audit period. Several required disclosures as per Section 134(3) of the Act read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 were not found in the Board Report including:*
  - (a) *Section 134(3)(j) of the Act requires that any amounts proposed to be carried over to reserves will be disclosed in the Board's report. This disclosure was not found in the Board's report.*
  - (b) *Rule 8(5)(ii) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 requires that a statement indicating that the change in the nature of business, if any, shall be disclosed in the Board's report. This disclosure was not found in the Board's report.*
  - (c) *The Board's Report does not contain the declaration confirming adherence to the relevant Secretarial Standards, namely Secretarial Standard – 1 and Secretarial Standard – 2. As per Rule 9 of the Secretarial Standards issued by the ICSI mandates that the Report of the Board of Directors shall include a statement on compliance of applicable Secretarial Standards.*





5. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैलेंस शीट में शेयरों की संख्या और उनके संगत मूल्य के बीच विसंगति थी। इन आंकड़ों के एक दूसरे के अनुरूप होने की उम्मीद है। यह MCA/ROC के अभिलेखों में भी तथ्यात्मक वर्तमान स्थिति है।
6. कंपनी की वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण, उसी वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और उस अवधि के लिए प्रस्तुत फॉर्म AOC XBRL के अनुसार, कंपनी के CFO ने अधिनियम की धारा 134(1) के तहत अनिवार्य रूप से वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
7. कंपनी की वेबसाइट पर एसोसिएशन के लेख (AOA) अभी भी पुराने खंड 4 को प्रदर्शित करते हैं, भले ही इसे कंपनी द्वारा वर्ष 2016 में एक नए खंड के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।
8. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा MCA के साथ दायर विभिन्न फॉर्मों में संलग्न दस्तावेजों में निदेशक(ओं) की निदेशक पहचान संख्या (DIN) और कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 158 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी को निदेशक से संबंधित किसी भी रिटर्न, सूचना या विवरण में या किसी निदेशक के संदर्भ में DIN का उल्लेख करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि दायर किए गए किसी भी पत्राचार या दस्तावेजों में नाम, पदनाम, पता और सदस्यता संख्या या DIN शामिल होना चाहिए।
9. सामान्य तौर पर, वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों के मिनटों में निदेशक(ओं)/कंपनी(ओं) की नियुक्ति या इस्तीफे की संबंधित तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया था। जब कार्यवृत्त स्वीकृत हो जाते हैं और संबंधित आदेश का संदर्भ दिया जाता है, तो निदेशकों/कंपनी की नियुक्ति या त्यागपत्र की तिथि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यह उनकी नियुक्ति या त्यागपत्र की प्रभावी तिथि स्थापित करने के लिए आवश्यक है, जो उनके कर्तव्यों के प्रारंभ या समाप्ति का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है।
10. लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अधिनियम के तहत कुछ ई-फॉर्म देशी से दाखिल किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ा।
11. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ अधिनियम की धारा 134(3) के अनुसार कई आवश्यक प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाए गए, जिनमें शामिल हैं:
  - (a) अधिनियम की धारा 134(3)(i) के अनुसार आरक्षित निधियों में ले जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी राशि का खुलासा बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाएगा। यह खुलासा बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाया गया।
  - (b) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(ii) के अनुसार यह आवश्यक है कि यदि कोई हो तो व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन को दर्शाने वाला एक विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाए। यह विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाया गया।
  - (c) बोर्ड की रिपोर्ट में प्रारंभिक सचिवीय मानकों अर्थात् सचिवीय मानक-1 और सचिवीय मानक-2 के अनुपालन की पुष्टि करने वाला घोषणापत्र शामिल नहीं है। ICSI द्वारा जारी सचिवीय मानकों के नियम 9 के अनुसार यह अनिवार्य है कि निदेशक मंडल की रिपोर्ट में लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन पर एक विवरण शामिल होगा।





- (d) Assertion that there are no fraud reports as per the Independent Auditor's Report under Section 143(12), other than those reportable to the Central Government is required to be disclosed in the Board's report as per Section 134(3)(ca) of the Act. *This disclosure was not found in the Board's report.*
- (e) Disclosures under Rule 8(5)(xi) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 - the details of applications made or any proceeding pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) during the year, along with their status as at the end of the financial year, and Rule 8(5)(xii) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 - details of difference between amount of the valuation done at the time of one time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions along with the reasons thereof. *These disclosures were not found in the Board's report.*
- (f) Disclosure under Section 134(3)(a) of the Act requires that a web address, where the annual return (Form MGT 7) has been published on the Company's website, be provided. *This disclosure was not found in the Board's report.*
- (g) As per Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013, the Board is required to provide explanations or comments on every qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer made by the Secretarial Auditors, Statutory Auditors, and C&AG in their reports. *References to C&AG comments and the management's reply of the same were not found in the Board's report.*
- (h) *Information and details pertaining to energy conservation were not provided in the mandated format outlined in Rule 8(3)(A) of the Companies (Accounts) Rules, 2014.*
- (i) *Annual Report on Corporate Social Responsibility ('CSR') activities and reason for delay/not spending the full amount of CSR was not found in the Board's report. Due to non-availability of information we are unable to express our opinion in this regard. As per Rule 8(1) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 - the Board's Report of a company covered under these rules pertaining to any financial year shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure I or Annexure II, as applicable.*

As per Second proviso to Section 135(5) - if the company fails to spend such amount, the Board shall, in its report made under clause (o) of sub-section (3) of section 134, specify the reasons for not spending the amount and, unless the unspent amount relates to any ongoing project referred to in sub-section (6), transfer such unspent amount to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.

12. *Following are the observations regarding the disclosures made in Annual return (Form MGT 7) for the financial year 2022-23 filed by the Company with MCA/ ROC during the Audit period:*

- (a) *The details of the Company Secretary (CS) and Chief Financial Officer (CFO) are missing in section VIII(B)(i), which is a requirement under Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.*



- (d) यह दावा कि धारा 143(12) के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य के अलावा कोई धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं है, अधिनियम की धारा 134(3)(ca) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा किया जाना आवश्यक है। यह खुलासा बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाया गया।
- (e) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xi) के तहत खुलासे – वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत किए गए आवेदनों या लंबित किसी कार्यवाही का खौरा, वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के साथ, और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xii) – एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का खौरा और इसके कारण। ये खुलासे बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाए गए।
- (f) अधिनियम की धारा 134(3)(b) के तहत खुलासे के लिए एक वेब पता प्रदान करना आवश्यक है, जहाँ वार्षिक रिटर्न (फॉर्म MGT 7) कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। यह खुलासा बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाया गया।
- (g) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(f) के अनुसार, बोर्ड को सचिवीय लेखा परीक्षकों, साविधिक लेखा परीक्षकों और सीएडएजी द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणी प्रदान करना आवश्यक है। सीएडएजी की टिप्पणियों और प्रबंधन के जवाब के संदर्भ बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाए गए।
- (h) ऊर्जा संरक्षण से संबंधित सूचना एवं विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3)(A) में उल्लिखित अनिवार्य प्रारूप में उपलब्ध नहीं कराए गए।
- (i) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (‘CSR’) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट और CSR की पूरी राशि खर्च न करने/देरी का कारण बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाया गया। सूचना की अनुपलब्धता के कारण हम इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसार – किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित इन नियमों के अंतर्गत आने वाली कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी जिसमें अनुलग्नक I या अनुलग्नक II में निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे, जैसा भी लागू हो।
- धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार – यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ओ) के तहत बनाई गई अपनी रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा और जब तक कि अव्ययित राशि उप-धारा (6) में निर्दिष्ट किसी चालू परियोजना से संबंधित न हो, ऐसी अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर देगा।
12. लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा MCA/ROC के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न (फॉर्म MGT 7) में किए गए खुलासे के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:
- (a) कंपनी सचिव (CS) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) का विवरण धारा VIII(B)(i) में गायब है, जो कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के तहत एक आवश्यकता है।



- (b) *The remuneration details of the Directors and Key Managerial Personnel (KMP), including the Company Secretary (CS) and Chief Financial Officer (CFO), are not separately disclosed in point number X of the annual return.*
13. *Following are the observations regarding Form AOC 4 XBRL filed by the Company for the financial year 2022-23 with MCA/ROC during the Audit period:*
- (a) *Annual Report to CSR was not found attached with the Form AOC 4 XBRL.*
- (b) *Date of Board of Director's meeting in which financial statements are approved, is mentioned as 15.07.2023, however, as per records of the Company, no Board meeting was held on this date.*
- (c) *Date of signing of Board's Report is mentioned as 15.07.2023 in the Form AOC 4 XBRL, however, the Board's Report was approved at the Board Meeting held on 29.08.2023. Date of signing of Board's Report cannot be before approval by the Board.*
14. *Following are the observations regarding Form CSR 2 filed by the Company for the financial year 2022-23 filed with MCA/ROC during the Audit period:*
- (a) *As per Form CSR 2 Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII for the financial year has been mentioned as Rs. 1,57,19,932.25/-, however, as per notes attached to the Financial Statements, balance amount of CSR shown as Rs. 3,22,18,899.39/-.*
15. *Section 145 of the Act mandates that the audit reports, which include the qualifications, observations, on financial transactions matters, which have any adverse effect on the functioning of the company mentioned in the auditor's report shall be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by any member of the company. The minutes of the 19th Annual General Meeting of the Company did not include the reading of these qualifications and observations.*
16. *Section 102 (1) of the Act mandates that a statement setting out the material facts concerning each item of special business to be transacted at a general meeting, shall be annexed to the notice calling such meeting.*

*Additionally, as per Rule 1.2.5 of Secretarial Standard-2, "In respect of items of Special Business, each such item shall be in the form of a Resolution and shall be accompanied by an explanatory statement which shall set out all such facts as would enable a Member to understand the meaning, scope and implications of the item of business and to take a decision thereon. However, as per the notice for the 19th Annual General Meeting, which included special business item, was not presented as resolution, explanatory statement was not attached and did not specify whether the resolution would be adopted through an ordinary or special resolution process.*



(बी) कंपनी सचिव (CS) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) सहित निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) के पारिश्रमिक विवरण वार्षिक रिटर्न के बिंदु संख्या X में अलग से प्रकट नहीं किए गए हैं।

13. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान MCA/ ROC के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी द्वारा दाखिल फॉर्म AOC 4 XBRL के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:

- (a) CSR को वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म एओसी 4 एक्सबीआरएल के साथ संलग्न नहीं पाई गई।
- (b) निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें वित्तीय विवरण अनुमोदित किए जाते हैं, 15.07.2023 के रूप में उल्लिखित है, हालांकि, कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, इस तिथि को कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की गई थी।
- (c) बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख फॉर्म AOC 4 XBRL, में 15.07.2023 के रूप में उल्लिखित है, हालांकि, बोर्ड की रिपोर्ट को 29.08.2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया था। बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की तिथि बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पहले नहीं हो सकती।

14. लेखापरीक्षा अवधि के दौरान MCA/ ROC के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी द्वारा दाखिल फॉर्म सीएसआर 2 के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:

- (a) फॉर्म CSR 2 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूच VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित की जाने वाली राशि 1,57,19,932.25 रुपये बताई गई है, हालांकि, वित्तीय विवरणों से जुड़े नोटों के अनुसार, CSR की शेष राशि 3,22,18,899.39 रुपये दिखाई गई है।

15. अधिनियम की धारा 145 में यह अनिवार्य किया गया है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय लेनदेन के मामलों पर योग्यताएं, टिप्पणियां शामिल हैं, जिनका लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उन्हें कंपनी की आम बैठक में पढ़ा जाएगा और कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त में इन अर्हताओं और टिप्पणियों को पढ़ना शामिल नहीं था।

16. अधिनियम की धारा 102 (1) में यह अनिवार्य किया गया है कि आम बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय के प्रत्येक मद से संबंधित तथ्यों को बताने वाला एक बयान, ऐसी बैठक बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सचिवीय मानक-2 के नियम 1.2.5 के अनुसार, विशेष व्यवसाय के मदों के संबंध में, प्रत्येक ऐसा मद एक संकल्प के रूप में होगा और उसके साथ एक व्याख्यात्मक बयान होगा, जिसमें ऐसे सभी तथ्य बताए जाएंगे, जो किसी सदस्य को व्यवसाय के मद के अर्थ, दायरे और निहितार्थ को समझने और उस पर निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे। हालांकि, 19वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस के अनुसार, जिसमें विशेष व्यवसाय मद शामिल था, उसे संकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, व्याख्यात्मक बयान संलग्न नहीं किया गया था और यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि संकल्प को सामान्य या विशेष संकल्प प्रक्रिया के माध्यम से अपनाया जाएगा या नहीं।





17. चूंकि कुछ सूचनाएँ और दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए हम लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में कंपनी द्वारा अनुपालन के बारे में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं:

- (a) 27.08.2023 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के लिए फॉर्म MGT 14।
- (b) कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसार आवश्यक CSR पर वार्षिक रिपोर्ट
- (c) कंपनी (CSR) नियम, 2014 के नियम 4 के उपनियम 5 के अनुसार CSR निधियों के उपयोग के बारे में प्रमाण पत्र।
- (d) कंपनी के प्रबंधन द्वारा पहचाने गए सभी कानूनों, नियमों और विनियमों की सूची जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)(f)], और इन कानूनों की अनुपालन स्थिति क्योंकि 30.09.2023 को समाप्त तिमाही के लिए केवल तीन अनुपालन प्रमाण पत्र उपलब्ध थे।
- (e) कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना एवं बैठक विवरण।
- (f) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक।
- (g) कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, पिछले अधिकारियों द्वारा कंपनी के कंपनी सचिव विभाग के वर्तमान अधिकारियों को काफी संख्या में दस्तावेज हस्तांतरित नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप यह अनिश्चित है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, वैधानिक रजिस्टर बनाए गए थे या नहीं।

**E. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन:**

- I. कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- II. बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- III. बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के मिनटों में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

**F. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हमारी राय में, ऊपर बताए गए को छोड़कर, कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।**





**G. We further report that** based on the information provided, except to the stated above, there were no specific events/actions having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws during the audit period.

Note:

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report.

**For VAP & Associates**  
**Company Secretaries**  
**FRN: P2023UP098500**  
**Peer Review No: 1083/2021**

**Parul Jain** Digitally signed  
by Parul Jain  
Date: 2024.06.29  
17:45:55 +05'30'

**Parul Jain**  
**Managing Partner**  
**M. No. F8323**  
**C.P. No. 13901**  
**UDIN: F008323F000638095**

**Date: 29.06.2024**  
**Place: Ghaziabad**



G. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, ऊपर बताए गए को छोड़कर, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपरोक्त संदर्भित कानूनों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई विशेष प्रभाव डालने वाली कोई विशेष घटना/कार्रवाई नहीं हुई।

नोट:

इस रिपोर्ट को हमारे सम संख्या के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

वीएपी एंड एसोसिएट्स के लिए

कंपनी सचिव

FRN: P2023UP098500

सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1083/2021

पारुल पारुल जैन

जैन द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

दिनांक: 2024.06.29

17:45:55 +05'30'

पारुल जैन

प्रबंध भागीदार

M. No. F8323

C.P. No. 13901

UDIN: F008323F000638095

दिनांक: 29.06.2024

स्थान: गाजियाबाद



**Annexure – 'A'**

**ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT**

**To**  
**The Members,**  
**Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited**

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test check basis.
4. Our Audit examination is restricted only upto legal compliances of the applicable laws to be done by the Company, we have not checked the practical aspects relating to the same.
5. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company as well as correctness of the values and figures reported in various disclosures and returns as required to be submitted by the Company under the specified laws, though we have relied to a certain extent on the information furnished in such returns.
6. The compliance by the Company of applicable financial laws such as direct and indirect tax laws has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory auditors and other designated professionals and the contents of this Report has to be read in conjunction with and not in isolation of the observations, if any, in the report(s) furnished/to be furnished by any other auditor(s)/agencies/authorities with respect to the Company.
7. Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial, and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with audit practices.
8. Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.



अनुलग्नक— 'A'

### सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सदस्यगण,

पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

इस पत्र के साथ सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथाएं हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
4. हमारी लेखापरीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा किए जाने वाले लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता के साथ-साथ कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया है, हालांकि हमने ऐसे रिटर्न में दी गई जानकारी पर एक निश्चित सीमा तक भरोसा किया है।
6. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि वे वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षक/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, न कि अलग से।
7. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत बयान या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, बले ही लेखापरीक्षा ठीक से योजनाबद्ध हो और लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार निष्पादित की गई हो।
8. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।



9. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

**For VAP & Associates**  
**Company Secretaries**  
**FRN: P2023UP098500**  
**Peer Review No: 1083/2021**

**Parul Jain** Digitally signed  
by Parul Jain  
Date: 2024.06.29  
17:45:55 +05'30'

**Parul Jain**  
**Managing Partner**  
**M. No. F8323**  
**C.P. No. 13901**  
**UDIN: F008323F000638095**

**Date: 29.06.2024**  
**Place: Ghaziabad**





9. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

वीएपी एंड एसोसिएट्स के लिए

कंपनी सचिव

**FRN: P2023UP098500**

सहकर्मि समीक्षा संख्या: 1083/2021

पारुल पारुल जैन

जैन द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

दिनांक: 2024.06.29

17:45:55 +05'30'

पारुल जैन

प्रबंध भागीदार

**M. No. F8323**

**C.P. No. 13901**

**UDIN: F008323F000638095**

दिनांक: 29.06.2024

स्थान: गाजियाबाद



**Final replies of comments of the secretarial audit report under section 204 read with Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 on compliance management of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited.**

<b>Sect. Audit Para No.</b>	<b>Secretarial Auditors' observations dated : 29.06.2024</b>	<b>Management's reply</b>
1.	The Distinctive Number(s) of the Share Certificate issued to the Hon'ble Governor of Uttarakhand on 03.08.2023 (as stated in the List of allottee filed with the Form PAS 3) for 5,00,000 shares is incorrect. It is recorded as 7238773 to 7738773, which should be 7238773 to 7738772 (both starting and ending distinctive number inclusive).	The amount disclosed in financial terms is absolutely correct however, there is a clerical mistake in writing the number of shares, where distinctive number of shares are shown. This has been rectified vide Agenda item no. 91.04 dated 09.07.2024.
2.	Section 62(1) of the Companies Act, 2013 in respect of issue of letter of offer for the allotment of 5,00,000 Equity Shares to the Hon'ble Governor of Uttarakhand during the Audit period has not been followed.	Provisions of Section 62(1) are not applicable in this company because the Government of Uttarakhand is the only shareholder having 100% shareholding rights. Further issue of capital comes from the Government of Uttarakhand only. Therefore, there is no case of offering to an existing shareholders to exercise their right to apply for new shares. Government gives the fund and then the company issues the share capital.
3.	As per Master data of the Company on Ministry of Corporate Affairs ('MCA') portal and Form PAS 3 filed by the Company for the allotment of shares, the paid-up Share Capital is recorded as Rs. 7,238,772,000/-. However, Form MGT-7 (Annual Return) and the Balance Sheet for the financial year 2022-23, reflect paid up Share Capital of Rs. 7,238,773,000/-. The paid-up Share Capital specified in one document diverges from the figures stated in other documents, which should ideally be consistent across all records.	Information of PAS-3 is absolutely correct as per the secretarial records of the company and information in MGT-7 is also correct as per financial records of the company. There is a difference of less than Rs. 1000 in both the figures which has been inherited since the year 2006 and the reason why this difference is appearing is explained in point no. 5 because point no. 3 and point no. 5 are the same observations given by the auditor by different construction of sentences.



पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के अनुपालन प्रबंधन पर कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ धारा 204 के तहत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियों के अंतिम उत्तर।

अनुभागीय लेखापरीक्षा पैरा संख्या	सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां दिनांक : 29.06.2024	प्रबंधन का उत्तर
1.	उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल को दिनांक 03.08.2023 को जारी किए गए शेयर प्रमाणपत्र की विशिष्ट संख्या (जैसा कि फॉर्म PAS 3 के साथ दाखिल आवंटियों की सूची में बताया गया है) 5,00,000 शेयरों के लिए गलत है। इसे 7238773 से 7738773 के रूप में दर्ज किया गया है, जो कि 7238773 से 7738772 (प्रारम्भिक और अंतिम विशिष्ट संख्या दोनों सहित) होना चाहिए।	वित्तीय शर्तों में बताई गई राशि बिल्कुल सही है, हालांकि, शेयरों की संख्या लिखने में एक लिपिकीय गलती है, जहां शेयरों की विशिष्ट संख्या दिखाई गई है। इसे एजेंडा आइटम संख्या 91.04 दिनांक 09.07.2024 के माध्यम से ठीक कर दिया गया है।
2.	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल को 5,00,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए प्रस्ताव पत्र जारी करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1) का पालन नहीं किया गया है।	इस कंपनी में धारा 62(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार एकमात्र शेयरधारक है जिसके पास 100% शेयरधारिता अधिकार हैं। आगे पूंजी का मुद्दा केवल उत्तराखण्ड सरकार से आता है। इसलिए, नए शेयरों के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए मौजूदा शेयरधारकों को प्रस्ताव देने का कोई मामला नहीं है। सरकार फंड देती है और फिर कंपनी शेयर पूंजी जारी करती है।
3.	कंपनी के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ('MCA') पोर्टल पर मास्टर डेटा और शेयरों के आवंटन के लिए कंपनी द्वारा दायर फॉर्म PAS 3 के अनुसार, चुकता शेयर पूंजी रुपये के रूप में दर्ज की गई है। 7,238,772,000/-, हालांकि, फॉर्म MGT-7 (वार्षिक रिटर्न) और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैलेंस शीट, 7,238,773,000/- रुपये की चुकता शेयर पूंजी दर्शाती है। एक दस्तावेज में निर्दिष्ट चुकता शेयर पूंजी अन्य दस्तावेजों में बताए गए आंकड़ों से अलग है, जो आदर्श रूप से सभी रिकॉर्ड में सुसंगत होना चाहिए।	कंपनी के सचिवीय रिकॉर्ड के अनुसार PAS-3 की जानकारी बिल्कुल सही है और कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड के अनुसार MGT-7 में दी गई जानकारी भी सही है। दोनों आंकड़ों में 1000 रुपये से कम का अंतर है जो वर्ष 2008 से विरासत में मिला है और यह अंतर क्यों दिखाई दे रहा है इसका कारण बिंदु संख्या 5 में बताया गया है क्योंकि बिंदु संख्या 3 और बिंदु संख्या 6 ऑडिटर द्वारा वाक्यों के विभिन्न निर्माण द्वारा दिए गए समान अवलोकन हैं।



4.	<p>As stated in the Balance Sheet on 31.03.2023, the Paid-up Share Capital of the Company at the end of the financial year was Rs. 7,238,773,000/-. This amount includes the issuance of 426, 849 Equity Shares, approved in the resolution passed during the Board Meeting held on 10.03.2023. However, according to the Register of Members of the Company and the Form PAS 3 filed with MCA/ Registrar of Companies ('ROC') for allotment of these Shares, the date of allotment is recorded as 01.05.2023, which is after closure of the financial year 2022-23.</p>	<p>Board has passed the resolution on 10.03.2023 and consequentially the equity was received in the finance department. Therefore, it was taken in the Financial Year 2022-2023 with stipulated time. Normally after the board resolution the share certificates are issued and amount is reflected in PAS-3. However, this is a peculiar case wherein the essential documents to issue the share certificates i.e. blank share certificates, share allotment register, member register, common seal register and common seal etc. were not handed over by the Company Secretary Mr. Praveen Tandon (Now Suspended) and the share certificate could not be issued before 31.03.2024. Since the shares had been issued despite incomplete records and despite pendency of issuance of the previous three certificates, therefore, it has been reflected in the PAS-3. This had been explained in writing to the secretarial auditor but she had decided not to take any cognizance of the reasons of this difference. However, due to this observation there is no financial irregularity. Legal/disciplinary action against the erring officer Mr. Praveen Tandon(now suspended) is under progress.</p>
5.	<p>As per available records, there was a discrepancy between the number of shares and their corresponding value in the Balance Sheet for the financial year 2022-23. The figures are expected to be consistent with one another. This is also factual present position in the records of MCA/ ROC.</p>	<p>The company had received a sum of Rs 1,46,33,602 from Government of Uttarakhand on 27-09-2006 and similarly a sum of Rs. 2,09,03,038 on 10.01.2008 as equity. Apart from these entries, the company had always received the amount in multiples of Rs 1000. Since 2006/2008, this legacy is being continued because the total of above referred amount exceeds the multiple of thousand rupees. The company could not issue any share for Rs. 640 because value of 1 share is Rs. 1000/- and the shares cannot be issued in fraction. In finance the figures are taken in rupees by nearest round off. Because of this the difference between Distinctive no and no of share of one have arisen. The difference is being continued since 2008 to rectify this difference revision in all the returns since 2006 as suggested and insisted by the Secretarial Auditor is neither practical nor feasible nor advisable. Moreover, there is no provision in law which allows you to revise your returns for a continuous period of 18 years to rectify the rounding off of Rs.640 from next higher thousand to previous thousand. We have no answer to the question as to why government has not issued shares in the multiples of Rs 1000 in the year 2006 &amp; 2008.</p>



<p>4. जैसा कि 31.03.2023 को बैलेंस शीट में बताया गया है, वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 7,238,773,000/- रुपये थी। इस राशि में 10.03.2023 को आयोजित बोर्ड मीटिंग के दौरान पारित प्रस्ताव में अनुमोदित 426, 649 इक्विटी शेयरों का निर्गम शामिल है। हालांकि, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और इन शेयरों के आवंटन के लिए एमसीए/रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ('ROC') के पास दाखिल फॉर्म पीएएस 3 के अनुसार आवंटन की तारीख 01.05.2023 दर्ज की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के समापन के बाद है।</p>	<p>बोर्ड ने 10.03.2023 को प्रस्ताव चारित किया और परिणामस्वरूप वित्त विभाग में इक्विटी प्राप्त हुई। इसलिए, इसे निर्धारित समय के साथ वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लिया गया। आम तौर पर बोर्ड के प्रस्ताव के हाथ शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं और राशि PAS-3 में दर्शाई जाती है। हालांकि, यह एक अजीब मामला है जिसमें शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी खाली शेयर प्रमाण पत्र, शेयर आवंटन रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर, कॉमन सील रजिस्टर और कॉमन सील आदि कंपनी सचिव श्री प्रवीण टंडन (अब निलंबित) द्वारा नहीं सौंपे गए और शेयर प्रमाण पत्र 31.03.2024 से पहले जारी नहीं किया जा सका। चूंकि अधूरे रिकॉर्ड और पिछले तीन प्रमाण पत्रों के जारी होने के बावजूद शेयर जारी किए गए थे, इसलिए इसे PAS-3 में दर्शाया गया है। यह सचिवीय लेखा परीक्षक को लिखित रूप में समझाया गया था, लेकिन उन्होंने इस अंतर के कारणों का कोई संज्ञान नहीं लेने का फैसला किया था। हालांकि, इस अवलोकन के कारण कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है। दोषी अधिकारी श्री प्रवीण टंडन (अब निलंबित) के खिलाफ कानूनी/अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रगति पर है।</p>
<p>5. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैलेंस शीट में शेयरों की संख्या और उनके संगत मूल्य के बीच विसंगति थी। ये आंकड़े एक दूसरे के अनुरूप होने की उम्मीद हैं। यह MCA/ ROC के अभिलेखों में भी वास्तविक वर्तमान स्थिति है।</p>	<p>कंपनी को उत्तराखण्ड सरकार से 27-09-2006 को 1,46,33,602 रुपये की राशि और इसी तरह 10.01.2008 को 2,09,03,038 रुपये की राशि इक्विटी के रूप में प्राप्त हुई थी। इन प्रविष्टियों के अलावा, कंपनी को हमेशा 1000 रुपये के गुणकों में राशि प्राप्त हुई थी। 2006/2008 से, यह विरासत जारी है क्योंकि ऊपर उल्लिखित राशि का योग हजार रुपये के गुणकों से अधिक है। कंपनी 640 रुपये में कोई शेयर जारी नहीं कर सकी क्योंकि शेयर का मूल्य 1000 रुपये है और शेयर अंश में जारी नहीं किए जा सकते। वित्त में आंकड़े निकटतम पूर्णांक द्वारा रुपये में लिए जाते हैं। इस वजह से विशिष्ट संख्या और एक शेयर की संख्या के बीच अंतर पैदा हो गया है। वह अंतर 2008 से जारी है, इस अंतर को ठीक करने के लिए 2006 से सभी रिटर्न में संशोधन जैसा कि सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा सुझाया और जोर दिया गया है, न तो व्यावहारिक है, न ही संभव है और न ही उचित है। इसके अलावा, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपको 640 रुपये को अगले दृष्टिकोण हजार से पिछले हजार में पूर्णांकित करने के लिए 18 साल की निरंतर अवधि के लिए अपने रिटर्न को संशोधित करने की अनुमति देता है। हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि सरकार ने वर्ष 2006 और 2008 में 1000 रुपये के गुणकों में शेयर क्यों नहीं जारी किए हैं।</p>





6.	According to the financial statements for the financial year 2022-23 on the company's website, the annual report for the same financial year, and the Form AOC XBRL submitted for that period, the CFO of the company has not signed the financial statements for FY 2022-23 as mandated by Section 134(1) of the Act.	Since the introduction of the concept of CFO in the Companies Act, 2013 it had been mandated that CFO should also sign the balance sheet but historically none of the balance sheets of the previous years have been signed by the CFO. In majority of the corporations the Directors (Finance) is declared as CFO and Director (Finance) signs the Balance Sheet but in case of our company GM (Finance) had been declared as CFO. However, for the year under report, the balance sheet which had been put up before the Board of Directors for the approval has been signed by the CFO. The management has taken note of observations and had already instructed the finance department to ensure that the balance sheet must be compulsorily signed by the CFO. The balance sheet for this year shall be signed by Managing Director, Director (Finance), Company Secretary and CFO as per the provisions of law.
7.	The Articles of Association (AOA) on the company's website still displays the old Clause 4, even though it was substituted by the Company with a new clause in the year 2016.	The Article and Memorandum of association duly amended with the amendment slips as has been received from Mr. Praveen Tandon is the same as has been displayed on the website. The management is not sure for want of records whether it is updated or not. The updated Article and Memorandum of association shall be uploaded on the website only after receiving the records from Mr. Praveen Tandon who has not been handing over the records despite the order of the Board and the orders of the court.
8.	The Director Identification Number (DIN) of the Director(s) and the Membership number of the Company Secretary were not mentioned in the documents attached to various Forms filed by the Company with the MCA, during the year. Section 158 of the Act states that every person or company must mention the DIN in any return, information, or particulars related to the director or containing any reference to a director. Additionally, Rule 7 of the Companies (Registration	All the documents that are filed with the ROC contained the DIN of the directors and FCS number of the Company Secretary which is a statutory requirement and all the documents are duly signed by the directors and Company Secretary. These are the essential required field marked with the red asterisk in the required form and if these fields are left blank the forms will not be accepted. The observation of the secretarial auditor is wrong as all the essentials that are required to be disclosed are compulsorily disclosed in the forms and the demand of the secretarial auditor to write full name, designation, address, membership number, DIN number beneath the signature on each and every page of the annexures which may run into few 100 to 1000 pages is neither required nor desirable nor practical.



6.	<p>कंपनी की वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण, उसी वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और उस अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए फॉर्म AOC XBRL के अनुसार, कंपनी के CFO ने अधिनियम की धारा 134(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।</p>	<p>कंपनी अधिनियम, 2013 में CFO की अकाउंटिंग की शुरुआत के बाद से यह अनिवार्य किया गया था कि CFO को बैलेंस शीट पर भी हस्ताक्षर करना चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक रूप से पिछले वर्षों की किसी भी बैलेंस शीट पर CFO द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। अधिकांश निमनों में निदेशक (वित्त) को CFO घोषित किया जाता है और निदेशक (वित्त) बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी के मामले में GM (वित्त) को CFO घोषित किया गया था। हालांकि, रिपोर्ट के तहत वर्ष के लिए, बैलेंस शीट जिसे अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था, उस पर CFO द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रबंधन ने टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और वित्त विभाग को पहले ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बैलेंस शीट पर CFO द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इस वर्ष की बैलेंस शीट पर कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), कंपनी सचिव और CFO द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।</p>
7.	<p>कंपनी की वेबसाइट पर एसोसिएशन के लेख (AOA) में अभी भी पुराना खंड 4 प्रदर्शित है, भले ही इसे कंपनी ने वर्ष 2016 में एक नए खंड के साथ प्रतिस्थापित किया था।</p>	<p>श्री प्रवीण टंडन से प्राप्त संशोधन पत्रियों के साथ विधिवत संशोधित एसोसिएशन का लेख और ज्ञापन वही है जो वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। रिकॉर्ड की कमी के कारण प्रबंधन को यकीन नहीं है कि यह अपडेट है या नहीं। श्री प्रवीण टंडन से रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद ही अपडेट किए गए आर्टिकल और एसोसिएशन के ज्ञापन को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिन्होंने बोर्ड के आदेश और अदालत के आदेशों के बावजूद रिकॉर्ड नहीं सौंपे हैं।</p>
8.	<p>वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा MCA के साथ दाखिल किए गए विभिन्न फॉर्मों में संलग्न दस्तावेजों में निदेशक(ओं) की निदेशक पहचान संख्या (DIN) और कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 158 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी को निदेशक से संबंधित किसी भी रिटर्न, सूचना या विवरण में या निदेशक के किसी संदर्भ में DIN का उल्लेख करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम 2014 के नियम 7 में यह प्रावधान है कि दाखिल किए गए</p>	<p>आरओसी के पास दाखिल किए गए सभी दस्तावेजों में निदेशकों का DIN और कंपनी सचिव का एफसीएस नंबर शामिल था, जो एक वैधानिक आवश्यकता है और सभी दस्तावेजों पर निदेशकों और कंपनी सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आवश्यक फॉर्म में लाल तारांकन के साथ चिह्नित आवश्यक फील्ड हैं और यदि ये फील्ड खाली छोड़ दी जाती हैं तो फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन गलत है क्योंकि सभी आवश्यक जानकारी जिनका खुलासा किया जाना आवश्यक है, उन्हें अनिवार्य रूप से फॉर्म में बताया गया है और सचिवीय लेखा परीक्षक की नांग है कि अनुलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर के नीचे पूरा नाम, पदनाम, पता, सदस्यता संख्या, DIN नंबर लिखें, जो कुछ 100 से 1000 पृष्ठों तक हो सकता है, न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय और न ही व्यावहारिक है।</p>



	Offices and Fees) Rules, 2014, stipulates that any correspondence or documents filed must contain the name, designation, address, and either the Membership Number or DIN.	
9.	In general, the respective dates of appointment or resignation of Director(s)/ KMP(s) was not mentioned in the Minutes of the Board Meetings during the year. When the minutes are approved and reference to the concerned order is given, the date of appointment or resignation of Directors/KMPs should also be mentioned. This is essential to establish the effective date of their appointment or resignation, which is critical for determining the commencement or cessation of their duties.	As per rules made by the Government of Uttarakhand, the appointment of a person holding particular position in the Government, shall be the Director of this company. As per Government, when that person gets transferred and a new person is appointed in his place, he automatically becomes director of the company. This is not permitted under the Companies Act, 2013 because the director of the company cannot be appointed by designation but has to be a person. The new director has to file his consent to act as a director, has to give statutory declaration on the basis of which his requisite form are filed. Invariably, in almost all the cases, the date of transfer of the incumbent and the date of filing of the form based upon the information provided by the new director are entirely different. In majority of the cases, even the company does not know what the date of transfer was. So forms are filed effective from the date of receiving statutory information from incoming Director.
10.	During the audit, it was observed that certain e-forms, under the Act have been filed late, resulting in the payment of additional fees.	During the year under report, the forms have been filed within the stipulated time except for those cases where there had been the delays in getting the records from the previous Company Secretary or in majority of the cases there had been abnormal glitches in the website of the MCA that had an impact of non-resolution of the bugs, nation-wide and was the matter beyond the control of all professionals. This has resulted after the change of the vendor on MCA and also from change of version 1 to version 2.
11.	Board's Report for the financial year 2022-23 was approved by the Company during the Audit period. Several required disclosures as per Section 134(3) of the Act read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 were not found in the Board Report including:	



	किसी भी पत्राचार या दस्तावेजों में नाम, पदनाम, पता और सदस्यता संख्या या DIN शामिल होना चाहिए।	
9.	सामान्य तौर पर, वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त में निदेशकों/KMP की नियुक्ति या त्यागपत्र की संबंधित तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया था। जब कार्यवृत्त को मंजूरी दी जाती है और संबंधित आदेश का संदर्भ दिया जाता है, तो निदेशकों/KMP की नियुक्ति या त्यागपत्र की तिथि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यह उनकी नियुक्ति या त्यागपत्र की प्रभावी तिथि स्थापित करने के लिए आवश्यक है, जो उनके कर्तव्यों के आरंभ या समाप्ति का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है।	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, सरकार में विशेष पद पर आसीन व्यक्ति की नियुक्ति उस कंपनी का निदेशक होगी। सरकार के अनुसार, जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण होता है और उसके स्थान पर किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति होती है, तो वह स्वतः ही कंपनी का निदेशक बन जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि कंपनी के निदेशक को पदनाम से नियुक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि वह एक व्यक्ति होना चाहिए। नए निदेशक को निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दर्ज करनी होती है, उसे वैधानिक घोषणा देनी होती है, जिसके आधार पर वह अपेक्षित प्रपत्र दाखिल करता है। प्रायः सभी मामलों में वर्तमान निदेशक के स्थानांतरण की तिथि और नए निदेशक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रपत्र दाखिल करने की तिथि पूरी तरह भिन्न होती है। अधिकांश मामलों में तो कंपनी को भी यह पता नहीं होता कि स्थानांतरण की तिथि क्या थी।
10.	लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अधिनियम के अंतर्गत कुछ ई-फॉर्म देरी से दाखिल किए गए, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ा।	रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, निर्धारित समय के भीतर फॉर्म दाखिल किए गए हैं, सिवाय उन मामलों के जहां पिछले कंपनी सचिव से रिकॉर्ड प्राप्त करने में देरी हुई थी या अधिकांश मामलों में एमसीए की वेबसाइट में असामान्य गड़बड़ियां थीं, जिसका असर बग्स के समाधान न होने के रूप में हुआ, जो पूरे देश में था और यह मामला सभी पेशवरों के नियंत्रण से बाहर था। यह एमसीए पर विक्रेता के परिवर्तन और संस्करण 1 से संस्करण 2 में परिवर्तन के कारण हुआ है।
11.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट को कंपनी ने ऑडिट अवधि के दौरान मंजूरी दे दी थी। कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ अधिनियम की धारा 134(3) के अनुसार कई आवश्यक खुलासे बोर्ड रिपोर्ट में नहीं पाए गए, जिनमें शामिल हैं:	





17. *Since certain information and documentation were not made available to us, therefore, we are unable to express our opinion regarding the compliance by the Company in following areas, during the Audit Period:*
- (a) *Form MGT 14 for approval of Financial Statements at the Board Meeting held on 27.06.2023.*
  - (b) *Annual Report on CSR required as per Rule 8(1) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014*
  - (c) *Certificate regarding the utilization of CSR funds as per Sub Rule 5 of Rule 4 of Companies (CSR) Rules, 2014.*
  - (d) *List of all laws, rules and regulations identified by the management of the company which are specifically applicable to the company [Section 134(5)(f) of the Companies act, 2013] and compliance status of these laws as only three compliance certificate for quarter ended on 30.09.2023 were available.*
  - (e) *Composition and meeting details of Nomination and Remuneration Committee of the Company.*
  - (f) *Meeting of Independent Directors.*
  - (g) *According to the information and explanation provided by the company's management, a significant number of documents were not transferred by the previous officials to the current officials of Company Secretary Department of the Company, consequently, it remains uncertain whether the Statutory Registers, as required by the Companies Act of 2013, were maintained or not.*

**E. We further report that subject to the above observations:**

- I. *The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.*
- II. *Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.*
- III. *All decisions at Board Meetings and Committee Meetings are carried out by majority as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or Committee of the Board, as the case may be.*

**F. We further report that** based on the information provided, in our opinion, except to the stated above, there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.





(a)	Section 134(3)(j) of the Act requires that any amounts proposed to be carried over to reserves will be disclosed in the Board's report. This disclosure was not found in the Board's report.	The board report has been prepared exactly on the same lines as was prepared in all previous years since the promulgation of the Companies Act, 2013. There are certain short comings in the Board Report which the management has already taken care of in the draft report for financial year 2023-24. However, the observations of secretarial auditor in certain cases are not true and seems to have been made to increase the audit observations. This point is noted for specific disclosure in the board report.
(b)	Rule 8(5)(ii) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 requires that a statement indicating that the change in the nature of business, if any, shall be disclosed in the Board's report. This disclosure was not found in the Board's report.	The board report printed at page 46 of the annual report states significant development and achievements on the working of the company but the auditor observation is that there should be a specific line stating that there was no change in the nature of business. This has been noted for future.
(c)	The Board's Report does not contain the declaration confirming adherence to the relevant Secretarial Standards, namely Secretarial Standard – 1 and Secretarial Standard – 2. As per Rule 9 of the Secretarial Standards issued by the ICSI mandates that the Report of the Board of Directors shall include a statement on compliance of applicable Secretarial Standards.	Secretarial Standard SS-1 and SS-2 are mandatory to be followed which are applicable to the meetings. In the Board Report under item 9A, Board Meetings and Committee Meetings, it is clearly written that the company has been regular in conducting Board Meetings at prescribed intervals in terms of the provisions of Secretarial Standards. Yes, this is admitted that the company has not written the word SS but has chosen to write the full form of the SS as Secretarial Standard, and if this is a default, the company is a defaulter. We will think to reframe our words in future to use the word SS in place of the words Secretarial Standard if that pleases the false ego of the auditor.
(d)	Assertion that there are no fraud reports as per the Independent Auditor's Report under Section 143(12), other than those reportable to the Central Government is required to be disclosed in the Board's report as per Section 134(3)(ca) of the Act. This disclosure was not found in the Board's report.	<p>The Board Report as approved vide Agenda Item No. 86.17 contained a paragraph at point no. 14 page no. 280 relating to detail of fraud reported by the auditor under Section 143(12) of the Companies Act, 2013. The Board of Directors in their meeting had decided to delete this sub heading relating to the fraud.</p> <p>Responsibility is cast upon all the four auditors of the company i.e. Statutory Auditor, Secretarial Auditor, Cost Auditor as well as Internal Auditor to report. If they have a reason to believe that an offence relating to fraud involving a specific amount is being</p>



		<p>or has been committed by its officers or employees. It is also clear that FIR relating to Ishan Enterprises under section 420 of IPC 1860 and the fraud committed by M/s Ashish Transpower Pvt. Ltd. relating to false and fabricated balance sheets and false and fabricated experience certificate involving more than 7 crore of rupees have been brought to the notice of the auditors and this is for the auditors to decide that they want to report it or not. For example – The fraud of M/s Ashish Transpower Pvt. Ltd has been decided by the Secretarial Auditor not to report as there is no observation either in assertive or negative by the Secretarial Auditor in the audit report.</p> <p>The Statutory disclosure as was made in the previous Board Report shall be made again this year and this is for the Board to decide to keep the disclosure or not.</p>
(e)	Disclosures under Rule 8(5)(xi) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 - the details of applications made or any proceeding pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) during the year, along with their status as at the end of the financial year, and Rule 8(5)(xii) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 - details of difference between amount of the valuation done at the time of one time settlement and the valuation done while taking loan from the Banks or Financial Institutions along with the reasons thereof. These disclosures were not found in the Board's report.	This provision pertains to the disclosure if any application is made or any proceedings is pending under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. It had been informed to the Secretarial Auditor that no application has been made and no proceedings was pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Therefore, no disclosure was required in the Board Report.
(f)	Disclosure under Section 134(3)(a) of the Act requires that a web address, where the annual return (Form MGT 7) has been published on the Company's website, be provided. This disclosure was not found in the Board's report.	Board Report is a part of Annual Statements and Annual Report. The web address has been specifically given on the first page of the annual report. However, this will also be mentioned in the Board Report.



(a)	अधिनियम की धारा 134(3)(जे) के अनुसार आरक्षित निधि में ले जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी राशि का खुलासा बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाएगा। यह खुलासा बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाया गया।	बोर्ड रिपोर्ट बिल्कुल उसी तरह तैयार की गई है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद से पिछले सभी वर्षों में तैयार की गई थी। बोर्ड रिपोर्ट में कुछ कमियाँ हैं, जिनका प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मसौदा रिपोर्ट में पहले ही ध्यान रखा है। हालाँकि, कुछ मामलों में सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सत्य नहीं हैं और ऐसा लगता है कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। बोर्ड रिपोर्ट में इस बिंदु को विशेष रूप से उजागर किया गया है।
(b)	कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(ii) के अनुसार यह आवश्यक है कि व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो, को दर्शाने वाला विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाए। यह खुलासा बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाया गया।	वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 46 पर छपी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी के कामकाज पर महत्वपूर्ण विकास और उपलब्धियों का उल्लेख है, लेकिन ऑडिटर का मानना है कि इसमें एक स्पष्ट लाइन होनी चाहिए जिसमें कहा गया हो कि व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसे भविष्य के लिए नोट कर लिया गया है।
(c)	बोर्ड की रिपोर्ट में प्रासंगिक सचिवीय मानकों अर्थात् सचिवीय मानक - 1 और सचिवीय मानक - 2 के अनुपालन की पुष्टि करने वाला घोषणापत्र शामिल नहीं है। ICSI द्वारा जारी सचिवीय मानकों के नियम 9 के अनुसार यह अनिवार्य है कि निदेशक मंडल की रिपोर्ट में लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन पर एक बयान शामिल होगा।	सचिवीय मानक SS-1 और SS-2 का पालन करना अनिवार्य है जो बैठकों पर लागू होते हैं। बोर्ड रिपोर्ट में मद 9A, बोर्ड मीटिंग्स और समिति मीटिंग्स के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कंपनी सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अंतराल पर बोर्ड मीटिंग्स आयोजित करने में नियमित रही है। हाँ, यह स्वीकार किया जाता है कि कंपनी ने SS शब्द नहीं लिखा है, लेकिन SS का पूर्ण रूप सचिवीय मानक के रूप में लिखना चुना है, और यदि यह एक डिफॉल्ट है, तो कंपनी एक डिफॉल्टर है। हम भविष्य में अपने शब्दों को फिर से बनाने के बारे में सोचेंगे ताकि सचिवीय मानक शब्दों के स्थान पर SS शब्द का उपयोग किया जा सके यदि यह ऑडिटर के झूठे अहंकार को प्रसन्न करता है।
(d)	अधिनियम की धारा 134(3)(ca) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में यह दावा किया जाना आवश्यक है कि धारा 143(12) के तहत स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य के अलावा कोई घोषणापत्र रिपोर्ट नहीं है। बोर्ड की रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया।	एजेंडा आइटम संख्या 86.17 के तहत अनुमोदित बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई घोषणापत्रों के विवरण से संबंधित बिंदु संख्या 14 पृष्ठ संख्या 280 पर एक पैराग्राफ शामिल था। निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में घोषणापत्रों से संबंधित इस उपशीर्षक को हटाने का फैसला किया था।  कंपनी के सभी चार लेखा परीक्षकों यानी वैधानिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक के साथ-साथ आंतरिक लेखा परीक्षक पर रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी डाली जाती है, अगर उनके पास यह मानने का कारण है कि एक विशिष्ट राशि से संबंधित घोषणापत्र से संबंधित



		<p>अपराध इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है या किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि आईपीसी 1860 की धारा 420 के तहत ईशान एंटरप्राइजेज से संबंधित एफआईआर और मेसर्स आशीष ट्रांसपावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई घोखाघड़ी के खिलाफ झूठे और फर्जी बैलेंस शीट और झूठे और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित 7 करोड़ रुपये से अधिक की घोखाघड़ी ऑडिटर्स के संज्ञान में लाई गई है और यह ऑडिटर्स को तय करना है कि वे इसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए – मेसर्स आशीष ट्रांसपावर प्राइवेट लिमिटेड की घोखाघड़ी के बारे में सचिवीय लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट न करने का फैसला किया है क्योंकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी नहीं की गई है। पिछली बोर्ड रिपोर्ट में किए गए वैधानिक प्रकटीकरण को इस वर्ष फिर से किया जाएगा और यह बोर्ड को तय करना है कि प्रकटीकरण रखना है या नहीं।</p>
(e)	<p>कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xi) के अंतर्गत प्रकटीकरण – वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत किए गए आवेदनों या लंबित किसी कार्यवाही का विवरण, वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के साथ, और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xii) – एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण। ये प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाए गए।</p>	<p>यह प्रावधान उस स्थिति में प्रकटीकरण से संबंधित है, जब दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन किया गया हो या कोई कार्यवाही लंबित हो। सचिवीय लेखा परीक्षक को सूचित किया गया था कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है और कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। इसलिए, बोर्ड रिपोर्ट में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं था।</p>
(f)	<p>अधिनियम की धारा 134(3)(a) के तहत प्रकटीकरण के लिए एक वेब पता प्रदान करना आवश्यक है, जहाँ वार्षिक रिटर्न (फॉर्म MGT 7) कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। यह प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाया गया।</p>	<p>बोर्ड रिपोर्ट वार्षिक विवरण और वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है। वार्षिक रिपोर्ट के पहले पृष्ठ पर वेब पता विशेष रूप से दिया गया है। हालाँकि, इसका उल्लेख बोर्ड रिपोर्ट में भी किया जाएगा।</p>





	<p>unspent amount to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.</p>	<p>suspended).</p> <p>Shri Tandon had been chargesheeted and departmental enquiry is under progress.</p> <p>The observations of Secretarial Auditor is wrong to the extent that information was not provided as all the information, chargesheets, action taken to mitigate the losses were shown to Secretarial auditor who had decided not to take cognizance of the record. In fact, in almost all the cases where Mr.Tandon is involved the auditor had taken a stand not to take cognizance of the previous happening and have tried to portray as if everything was smooth till 2023-2024 and the problem had started after suspension of Mr. Praveen Tandon even the replies of the management were not quoted and in its place the denial of the management was quoted as the admission of the management and the Secretarial Auditor has misconducted the audit deliberately creating trails of false and fabricated evidence in favour of Mr.Tandon and the previous auditor.</p>
(12)	<p>Following are the observations regarding the disclosures made in Annual return (Form MGT 7) for the financial year 2022-23 filed by the Company with MCA/ ROC during the Audit period:</p>	
(a)	<p>The details of the Company Secretary (CS) and Chief Financial Officer (CFO) are missing in section VIII(B)(i), which is a requirement under Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.</p>	<p>This observation is taken into consideration and has been noted for future compliances although it is not a mandatory field in the form.</p>
(b)	<p>The remuneration details of the Directors and Key Managerial Personnel (KMP), including the Company Secretary (CS) and Chief Financial Officer (CFO), are not separately disclosed in point number X of the annual return.</p>	<p>Details for Directors' remuneration is mentioned. In future we will include that of CS and CFO too although it is not a mandatory field in the prescribed form.</p>





(g)	As per Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013, the Board is required to provide explanations or comments on every qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer made by the Secretarial Auditors, Statutory Auditors, and C&AG in their reports. Compliances to C&AG comments and the management's reply of the same were not found in the Board's report.	The comments of C&AG and reply of the management as approved by the BOD is available at page – 194 to 197 of the printed Annual Report which is the part of the Board Report as well as the audited financial statements. This was shown to the auditor both in the Board Agenda, AGM Agenda and also in the printed Annual Report but Auditor had decided to make it an audit observation for the reason best known to them.
(h)	Information and details pertaining to energy conservation were not provided in the mandated format outlined in Rule 8(3)(A) of the Companies (Accounts) Rules, 2014.	Paragraph on conservation of energy, technology absorption has been given in the Board Report which is not on prescribed Performa. This will be taken care of in the current year.
(i)	<p>Annual Report on Corporate Social Responsibility ('CSR') activities and reason for delay/not spending the full amount of CSR was not found in the Board report. Due to non-availability of information we are unable to express our opinion in this regard. As per Rule 8(1) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 - the Board's Report of a company covered under these rules pertaining to any financial year shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure I or Annexure II, as applicable.</p> <p>As per Second proviso to Section 135(5) - if the company fails to spend such amount, the Board shall, in its report made under clause (c) of sub-section (3) of section 134, specify the reasons for not spending the amount and, unless the unspent amount relates to any ongoing project referred to in sub-section (6), transfer such</p>	<p>There was a problem relating to F.Y. 2021 wherein the company had not spent a sum of Rs.156.80 lakh towards CSR. The company had flouted the rules and had not transferred the said amount in the specified bank account opened for this purpose in the month of April 2021.</p> <p>The company had further flouted the rules and had not transferred the said amount to the specified account of the Central Government along with interest in October, 2021.</p> <p>The company had further flouted the rules by filing wrong and fabricated forms wherein the liability of Rs. 156.80 Lakhs was shown as NIL.</p> <p>Due to these flouting of rules the company shall be fined with a minimum fine of Rs.1 crore 2 lakhs and in addition to this all officers in default (C.S) shall be fined with a minimum of 2 lakhs.</p> <p>In order to mitigate the loss and to comply with the provisions that had been flouted a sum of Rs.1.59 crores inclusive of interest was deposited in the PM care fund as maintained by Central Government on 18.04.2023 which falls in the F.Y. 2023-24 for which Secretarial Auditor was conducting the audit. A committee headed by the Director (Project) was constituted to fix the responsibilities who had specifically fixed the responsibility of Shri Praveen Tandon the then Company Secretary (now</p>



	<p>किसी चालू परियोजना से संबंधित न हो, ऐसी अप्रयुक्त राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर देगा।</p>	<p>निलंबित) श्री प्रवीण टंडन की जिम्मेदारी तय की थी। श्री टंडन को आरोप पत्र दिया गया था और विभागीय जांच प्रगति पर है। सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियां इस हद तक गलत हैं कि जानकारी प्रदान नहीं की गई थी क्योंकि सभी जानकारी, आरोप पत्र, घाटे को कम करने के लिए की गई कार्रवाई सचिवीय लेखा परीक्षक को दिखाई गई थी, जिन्होंने रिकॉर्ड का संज्ञान नहीं लेने का फैसला किया था। वास्तव में, लगभग सभी मामलों में जहां श्री टंडन शामिल हैं, लेखा परीक्षक ने पिछली घटना का संज्ञान नहीं लेने का रुख अपनाया था और ऐसा दिखाने की कोशिश की थी जैसे कि 2023-2024 तक सब कुछ ठीक था और समस्या श्री प्रवीण टंडन के निलंबन के बाद शुरू हुई थी, यहां तक कि प्रबंधन के जवाबों को भी उद्धृत नहीं किया गया और इसके स्थान पर प्रबंधन के इनकार को प्रबंधन की स्वीकारोक्ति के रूप में उद्धृत किया गया और सचिवीय लेखा परीक्षक ने जानबूझकर श्री टंडन और पिछले लेखा परीक्षक के पक्ष में झूठे और मनगढ़ंत साक्ष्यों का निर्माण करते हुए लेखा परीक्षा का गलत संचालन किया है।</p>
(12)	<p>लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा MCA/ ROC के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दायर वार्षिक रिटर्न (फॉर्म MGT 7) में किए गए खुलासे के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:</p>	
(a)	<p>कंपनी सचिव (CS) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) का विवरण धारा VIII(B)(i) में गायब है, जो कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के तहत एक आवश्यकता है।</p>	<p>इस अवलोकन को ध्यान में रखा गया है तथा इसे भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है, यद्यपि यह फॉर्म में अनिवार्य फील्ड नहीं है।</p>
(b)	<p>कंपनी सचिव (CS) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) सहित निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (KMP) के पारिश्रमिक विवरण को वार्षिक रिटर्न के बिंदु संख्या एक्स में अलग से प्रकट नहीं किया जाता है।</p>	<p>निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण दिया गया है। भविष्य में हम CS और CFO का पारिश्रमिक भी शामिल करेंगे, हालांकि यह निर्धारित फॉर्म में अनिवार्य फील्ड नहीं है।</p>



(g)	<p>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(f) के अनुसार, बोर्ड को सचिवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक वोग्यता, आपत्ति, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणी प्रदान करना आवश्यक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का अनुपालन और प्रबंधन का जवाब बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाया गया।</p>	<p>C&amp;AG की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का उत्तर, जिसे BOD ने स्वीकृत किया है, मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 194 से 197 पर उपलब्ध है, जो बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों का हिस्सा है। इसे बोर्ड एजेंडा, AGM एजेंडा और मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट दोनों में ऑडिटर को दिखाया गया था, लेकिन ऑडिटर ने इसे ऑडिट अवलोकन बनाने का फैसला किया था, जिसका कारण उन्हें ही पता था।</p>
(h)	<p>ऊर्जा संरक्षण से संबंधित सूचना और विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3)(A) में उल्लिखित अनिवार्य प्रारूप में प्रदान नहीं किए गए।</p>	<p>बोर्ड रिपोर्ट में ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण पर पैराग्राफ दिखाया गया है जो निर्धारित प्रारूप में नहीं है। चालू वर्ष में इस पर ध्यान दिया जाएगा।</p>
(i)	<p>कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ('CSR') गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट और CSR की पूरी राशि खर्च न करने/देरी का कारण बोर्ड की रिपोर्ट में नहीं पाया गया। जानकारी उपलब्ध न होने के कारण हम इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसार – किसी भी वित्तीय वर्ष से संबंधित इन नियमों के अंतर्गत आने वाली कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट में CSR पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी जिसमें अनुलग्नक I या अनुलग्नक II में निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे, जैसा भी लागू हो। धारा 135(6) के दूसरे परंतुक के अनुसार – यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (अ) के तहत बनाई गई अपनी रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा और जब तक कि अप्रयुक्त राशि उपधारा (8) में निर्दिष्ट</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2021 से संबंधित एक समस्या थी, जिसमें कंपनी ने CSR के लिए 158.80 लाख रुपये की राशि खर्च नहीं की थी, कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया था और अप्रैल 2021 के महीने में इस उद्देश्य के लिए खोले गए निर्दिष्ट बैंक खाते में उक्त राशि को स्थानांतरित नहीं किया था। कंपनी ने नियमों का और उल्लंघन किया था और अक्टूबर, 2021 में ब्याज सहित उक्त राशि को केंद्र सरकार के निर्दिष्ट खाते में स्थानांतरित नहीं किया था। कंपनी ने गलत और मनगढ़ंत फॉर्म दाखिल करके नियमों का और उल्लंघन किया था, जिसमें 158.80 लाख रुपये की देनदारी को शून्य दिखाया गया था। नियमों के इन उल्लंघनों के कारण कंपनी पर न्यूनतम 1 करोड़ 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके अलावा सभी धूककर्ता अधिकारियों (सी.एस.) पर न्यूनतम 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। घाटे को कम करने और जिन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था उनका अनुपालन करने के लिए 18.04.2023 को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड में ब्याज सहित 1.59 करोड़ रुपये जमा किए गए थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आता है, जिसके लिए सचिवीय लेखा परीक्षक ऑडिट कर रहे थे। जिम्मेदारियों को तय करने के लिए निदेशक (परियोजना) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने विशेष रूप से तत्कालीन कंपनी सचिव (अब</p>



(13)	Following are the observations regarding Form AOC 4 XBRL filed by the Company for the financial year 2022-23 with MCA/ ROC during the Audit period:	This observation is taken into consideration and has been noted for future compliances although it is not a mandatory field in the form.
(a)	Annual Report to CSR was not found attached with the Form AOC 4 XBRL.	This point is same as point no. (i) supra. The another wrong doer Mr. Ankit Negi, the then trainee (Retainer) was removed from service.
(b)	Date of Board of Director's meeting in which financial statements are approved, is mentioned as 15.07.2023, however, as per records of the Company, no Board meeting was held on this date.	The financial statement were approved in Board meeting held on 27.06.2023 in which the statements were approved after issuance of the minutes on 11.07.2023. The financial statements in multiple sets have to be prepared and signed by the designated senior officers. This was done on 15.07.2023 and after this signature the financial statement are given to the statutory audit for conducting the audit and to report there on. It is not possible to sign the financial statement on the date of Board Meeting.
(c)	Date of signing of Board's Report is mentioned as 15.07.2023 in the Form AOC 4 XBRL, however, the Board's Report was approved at the Board Meeting held on 29.08.2023. Date of signing of Board's Report cannot be before approval by the Board.	This is a clerical mistake which will be taken care of in future.
(14)	Following are the observations regarding Form CSR 2 filed by the Company for the financial year 2022-23 filed with MCA/ ROC during the Audit period:	
(a)	As per Form CSR 2 Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII for the financial year has been mentioned as Rs. 1,57,19,932.25/-, however, as per notes attached to the Financial Statements, balance amount of CSR shown as Rs. 3,22,18,899.39/-.	Under heading 34, page no. 140 the balance is correctly shown as 3,22,18,899.39 which includes 1.56 crores for F.Y. 2021 which had to be transferred with interest as on 31st March, 2022. The aforesaid amount along with the actual interest till date of transfer worked out to be 1.59 crore and was transferred in the FY. 2023-24. All entries were shown to the secretarial auditor checked by her and was of the opinion that the entire amount of 3.22 crore should have been shown as amount to be transferred to the fund which is a wrong and illegally interpreted.





(13)	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए MCA/ROC के साथ दाखिल फॉर्म AOC 4 XBRL के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां हैं-	इस अवलोकन को ध्यान में रखा गया है तथा इसे भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है, यद्यपि यह फॉर्म में अनिवार्य फील्ड नहीं है।
(a)	सीएसआर को वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म AOC 4 XBRL के साथ संलग्न नहीं पाई गई।	यह बिन्दु उपरोक्त बिन्दु संख्या (i) के समान है। अन्य गलत कार्य करने वाले श्री अंकित नेगी, तत्कालीन प्रशिक्षु (रिटर्नर) को सेवा से हटा दिया गया।
(b)	निदेशक मंडल की बैठक की तिथि, जिसमें वित्तीय विवरण अनुमोदित किए जाते हैं, 15.07.2023 बताई गई है, हालांकि, कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, इस तिथि को कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की गई थी।	वित्तीय विवरण 27.06.2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में अनुमोदित किए गए थे, जिसमें 11.07.2023 को मिनट जारी करने के बाद विवरणों को मंजूरी दी गई थी। कई सेंटों में वित्तीय विवरण तैयार किए जाने चाहिए और नामित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। यह 15.07.2023 को किया गया था और इस हस्ताक्षर के बाद वित्तीय विवरण ऑडिट करने और उस पर रिपोर्ट करने के लिए वैधानिक ऑडिट को दिए जाते हैं। बोर्ड मीटिंग की तारीख पर वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है।
(c)	बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की तिथि फॉर्म AOC 4 XBRL में 15.07.2023 बताई गई है, हालांकि, बोर्ड की रिपोर्ट को 28.08.2023 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में अनुमोदित किया गया था। बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की तिथि बोर्ड द्वारा अनुमोदन से पहले नहीं हो सकती।	यह एक लिपिकीय गलती है जिसका भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।
(14)	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए MCA/ROC के साथ दाखिल किए गए फॉर्म CSR 2 के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां हैं-	
(a)	फॉर्म CSR 2 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित की जाने वाली राशि 1,57,19,932.25 रुपये बताई गई है, हालांकि, वित्तीय विवरणों से जुड़े नोटों के अनुसार, CSR की शेष राशि 3,22,18,899.39 रुपये दर्शाई गई है।	शीर्षक 34 के अंतर्गत, पृष्ठ संख्या 140 पर शेष राशि सही रूप से 3,22,18,899.39 दर्शाई गई है, जिसमें वित्त वर्ष 2021 के लिए 1.56 करोड़ शामिल हैं, जिसे 31 मार्च, 2022 तक व्याज सहित हस्तांतरित किया जाना था। हस्तांतरण की तिथि तक वास्तविक व्याज सहित उपरोक्त राशि 1.59 करोड़ बनती है और इसे वित्त वर्ष 2023-24 में हस्तांतरित किया गया। सभी प्रविष्टियाँ सविधीय लेखा परीक्षक को दिखाई गई, जिसकी जाँच उन्होंने की और उनका मानना था कि 3.22 करोड़ की पूरी राशि को निधि में हस्तांतरित की जाने वाली राशि के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, जो कि गलत और अवैध रूप से व्याख्या की गई है।





(15)	<p>Section 145 of the Act mandates that the audit reports, which include the qualifications, observations, on financial transactions matters, which have any adverse effect on the functioning of the company mentioned in the auditor's report shall be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by any member of the company. The minutes of the 19th Annual General Meeting of the Company did not include the reading of these qualifications and observations.</p>	<p>Since majority of the directors who pass the annual account in Audit Committee, Board meeting are shareholders of the company and with their permission the audit reports were treated as read. However, this shall be specifically mentioned in the next Annual General Meeting. Even during discussion the auditors was bent upon stating that the shareholders have no power to treat the audit report as read and you have to produce the actual recording evidencing that that the entire statutory audit report, secretarial audit report, cost audit report as well as C&amp;AG audit report along with the reply of management to the observations of these auditors (which had been circulated in full as part of agenda) are actually listened by the shareholders.</p>
(16)	<p>Section 102 (1) of the Act mandates that a statement setting out the material facts concerning each item of special business to be transacted at a general meeting, shall be annexed to the notice calling such meeting.</p> <p>Additionally, as per Rule 1.2.5 of Secretarial Standard-2, "In respect of items of Special Business, each such item shall be in the form of a Resolution and shall be accompanied by an explanatory statement which shall set out all such facts as would enable a Member to understand the meaning, scope and implications of the item of business and to take a decision thereon. However, as per the notice for the 19th Annual General Meeting, which included special business item, was not presented as resolution, explanatory statement was not attached and did not specify whether the resolution would be adopted through an ordinary or special resolution process.</p>	<p>This observation is absolutely wrong. The notice of the Annual General Meeting issued by letter no. 171 dated 19.08.2023 clearly states that under ordinary business there will be 4 agenda items and under special business there will be one agenda item and all other essential statutory requirements have been completed. The observation and suggestion of the Secretarial Auditor is wrong and unacceptable stating that ordinary business and special business should be written in a separate page and should be annexed to the notice. The notice also contained that the detailed agenda will be circulated separately.</p> <p>The agenda contained details of all ordinary business, special business, explanatory statements that had been shown to the auditor still the observations was made on fancies.</p>



(17)	Since certain information and documentation were not made available to us, therefore, we are unable to express our opinion regarding the compliance by the Company in following areas, during the Audit Period:	
(a)	Form MGT 14 for approval of Financial Statements at the Board Meeting held on 27.06.2023.	MGT-14 is filed on the final approval of the financial statements. The final statements were approved on 27.06.2023 with a rider to authorize specific officer of the company to make changes on the advice of the auditor to get the statement audited and bring out in the next Board meeting. The next board meeting was held in August in which the financials, audit report and all other statutory documents were approved and MGT-14 was filed.
(b)	Annual Report on CSR required as per Rule 8(1) of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014.	This point is same as explained in CSR.
(c)	Certificate regarding the utilization of CSR funds as per Sub Rule 5 of Rule 4 of Companies (CSR) Rules, 2014	The statement regarding the utilization of CSR fund as prepared by the finance wing was shown to the auditor on which she was insisting that it should be given in the form of certificate duly signed by the CFO of that time who was Mr. Tomar who has left the organization and such certificate cannot be provided.
(d)	List of all laws, rules and regulations identified by the management of the company which are specifically applicable to the company [Section 134(5)(f) of the Companies act, 2013] and compliance status of these laws as only three compliance certificate for quarter ended on 30.09.2023 were available.	The Compliance Certificates were not put up before board since long. This observation is noted for future compliances.
(e)	Composition and meeting details of Nomination and Remuneration Committee of the Company	The observation is absolutely wrong. Complete details have been disclosed in Board Report under para 9 (C) page no. 56 of the Annual Report that only gives the composition of the Nomination and Remuneration committee but also gives the details of exemption of provisions and meetings etc.



(15)	<p>अधिनियम की धारा 145 के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय लेनदेन के मामलों पर योग्यताएं, टिप्पणियां शामिल हैं, जिनका ऑडिटर की रिपोर्ट में उल्लेखित कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कंपनी की आम बैठक में पढ़ी जानी चाहिए और कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली होनी चाहिए। कंपनी की 19वीं वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त में इन योग्यताओं और टिप्पणियों को पढ़ना शामिल नहीं था।</p>	<p>चूंकि ऑडिट कमेटी, बोर्ड मीटिंग में वार्षिक लेखा-जोखा पास करने वाले अधिकांश निदेशक कंपनी के शेयरधारक हैं और उनकी अनुमति से ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा हुआ माना जाता है। हालांकि, अगली वार्षिक आम बैठक में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। चर्चा के दौरान भी ऑडिटर यह कहने पर अड़े रहे कि शेयरधारकों के पास ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मानने का कोई अधिकार नहीं है और आपको वास्तविक रिकॉर्डिंग साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि संपूर्ण वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट, सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट, लागत ऑडिट रिपोर्ट और साथ ही C&amp;AG ऑडिट रिपोर्ट के साथ-साथ इन ऑडिटर्स की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर (जिन्हें एजेंडे के हिस्से के रूप में पूर्ण रूप से प्रसारित किया गया था) वास्तव में शेयरधारकों द्वारा सुने गए हैं।</p>
(16)	<p>अधिनियम की धारा 102 (1) में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी आम बैठक में किए जाने वाले विशेष कारोबार के प्रत्येक मद से संबंधित तथ्यों को बताने वाला एक बयान ऐसी बैठक बुलाने की सूचना के साथ संलग्न किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सचिवीय मानक-2 के नियम 1.2.5 के अनुसार, "विशेष कारोबार के मदों के संबंध में, ऐसा प्रत्येक मद एक प्रस्ताव के रूप में होगा और उसके साथ एक व्याख्यात्मक बयान होगा जिसमें ऐसे सभी तथ्य बताए जाएंगे जो किसी सदस्य को कारोबार के मद का अर्थ, दायरा और निहितार्थ समझने और उस पर निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे। हालांकि, 19वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस के अनुसार, जिसमें विशेष कारोबार का मद शामिल था, उसे प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, व्याख्यात्मक बयान संलग्न नहीं किया गया था और यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि प्रस्ताव को सामान्य या विशेष सभाधान प्रक्रिया के माध्यम से अपनाया जाएगा।</p>	<p>यह अवलोकन बिल्कुल गलत है। पत्र क्रमांक 171 दिनांक 19.08.2023 द्वारा जारी वार्षिक आम बैठक के नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साधारण व्यवसाय के तहत 4 एजेंडा आइटम होंगे और विशेष व्यवसाय के तहत एक एजेंडा आइटम होगा और अन्य सभी आवश्यक वैधानिक आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं। सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन और सुझाव गलत और अस्वीकार्य है जिसमें कहा गया है कि साधारण व्यवसाय और विशेष व्यवसाय को एक अलग पृष्ठ पर लिखा जाना चाहिए और इसे नोटिस में संलग्न किया जाना चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि विस्तृत एजेंडा अलग से प्रसारित किया जाएगा। एजेंडे में सभी साधारण व्यवसाय, विशेष व्यवसाय, व्याख्यात्मक बयानों का विवरण था जो ऑडिटर को दिखाया गया था फिर भी अवलोकन कल्पना पर आधारित था।</p>



(17)	चूंकि कुछ जानकारी और दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए हम लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में कंपनी द्वारा अनुपालन के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं:	
(a)	27.06.2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के लिए पॉर्म MGT-14	वित्तीय विवरणों के अंतिम अनुमोदन पर MGT-14 दाखिल किया जाता है। अंतिम विवरणों को 27.06.2023 को मंजूरी दी गई, जिसमें कंपनी के विशिष्ट अधिकारी को ऑडिटर की सलाह पर विवरण का ऑडिट करवाने और अगली बोर्ड मीटिंग में लाने के लिए परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया गया। अगली बोर्ड मीटिंग अगस्त में हुई जिसमें वित्तीय विवरण, ऑडिट रिपोर्ट और अन्य सभी वैधानिक दस्तावेजों को मंजूरी दी गई और MGT-14 दाखिल किया गया।
(b)	कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(1) के अनुसार CSR पर वार्षिक रिपोर्ट आवश्यक है।	यह बिंदु वैसा ही है जैसा कि CSR में समझाया गया है।
(c)	कंपनी (CSR) नियम, 2014 के नियम 4 के उपनियम 5 के अनुसार CSR निधियों के उपयोग के संबंध में प्रमाण पत्र	वित्त शाखा द्वारा तैयार CSR फंड के उपयोग के संबंध में विवरण लेखा परीक्षक को दिखाया गया, जिस पर वह इस बात पर जोर दे रही थी कि इसे उस समय के CFO श्री तोंगर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाना चाहिए, जो संगठन छोड़ चुके हैं और ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है।
(d)	कंपनी के प्रबंधन द्वारा पहचाने गए सभी कानूनों, नियमों और विनियमों की सूची जो विशेष रूप से कंपनी पर लागू हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)(f)], और इन कानूनों की अनुपालन स्थिति क्योंकि 30.09.2023 को समाप्त तिमाही के लिए केवल तीन अनुपालन प्रमाणपत्र उपलब्ध थे।	अनुपालन प्रमाणपत्र लंबे समय से बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह अवलोकन भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
(e)	कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना एवं बैठक विवरण	यह अवलोकन बिल्कुल गलत है। वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 9 (C) पृष्ठ संख्या 56 के अंतर्गत बोर्ड रिपोर्ट में पूर्ण विवरण दिया गया है, जिसमें न केवल नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना दी गई है, बल्कि प्रावधानों की छूट और बैठकों आदि का विवरण भी दिया गया है।



(f)	Meeting of Independent Directors	The observation is absolutely wrong. The Independent Director Meeting was held on 24.03.2024 as per provisions of law. This meeting is held without any agenda and without the presence of management and the observation are explained in the next Board Meeting by the lead Independent Director. This meeting on the request of Independent Director was attended by Company Secretary duly minuted and discussed in the next Board meeting held on 27.05.2024. All the papers had been shown to the Secretarial Auditor and she had been constantly insisting to see the agenda of the Independent Director Meeting against all requirements of law.
(g)	According to the information and explanation provided by the company's management, a significant number of documents were not transferred by the previous officials to the current officials of Company Secretary Department of the Company, consequently, it remains uncertain whether the Statutory Registers, as required by the Companies Act of 2013, were maintained or not.	It has been made categorically clear in writing that Statutory Registers in the format of 2013 Act have not been prepared by Mr.Tandon. The registers are grossly incomplete for last 10 years. We are trying to complete the registers which have to be maintained in chronological order. This was a point before the enquiry officer. Despite management has given in writing that 'It is not made' the auditor reported 'It is uncertain' helping Mr.Tandon in departmental enquiry with falsely created evidence.

**Arun Sabharwal**  
**FCS 2069**





(f)	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	यह अवलोकन बिल्कुल गलत है। स्वतंत्र निदेशकों की बैठक कानून के प्रावधानों के अनुसार 24.03.2024 को आयोजित की गई थी। यह बैठक बिना किसी एजेंडे और प्रबंधन की उपस्थिति के आयोजित की गई थी और अवलोकन को प्रमुख स्वतंत्र निदेशक द्वारा अगली बोर्ड बैठक में समझाया गया था। स्वतंत्र निदेशक के अनुरोध पर इस बैठक में कंपनी सचिव ने भाग लिया और 27.05.2024 को आयोजित अगली बोर्ड बैठक में इस पर चर्चा की गई। सभी कागजात सचिवीय लेखा परीक्षक को दिखाए गए थे और वह कानून की सभी आवश्यकताओं के विरुद्ध स्वतंत्र निदेशक बैठक के एजेंडे को देखने के लिए लगातार आग्रह कर रही थी।
(g)	कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, पिछले अधिकारियों द्वारा कंपनी के कंपनी सचिव विभाग के वर्तमान अधिकारियों को महत्वपूर्ण संख्या में दस्तावेज हस्तांतरित नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप, यह अनिश्चित है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, वैधानिक रजिस्टर बनाए गए थे या नहीं।	लिखित रूप में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री टंडन द्वारा 2013 अधिनियम के प्रारूप में वैधानिक रजिस्टर तैयार नहीं किए गए हैं। पिछले 10 वर्षों से रजिस्टर पूरी तरह से अधूरे हैं। हम उन रजिस्ट्रों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें कालानुक्रमिक क्रम में बनाए रखना है। यह जांच अधिकारी के समक्ष एक मुद्दा था। प्रबंधन द्वारा लिखित रूप में दिए जाने के बावजूद कि "यह नहीं बनाया गया है", लेखा परीक्षक ने "यह अनिश्चित है" की रिपोर्ट दी और झूठे साक्ष्यों के साथ विभागीय जांच में श्री टंडन की मदद की।

अरुण समरवाल  
FCS 2069



**R. M. Bansal & Co.**  
Cost Accountants,

A-201, TWIN TOWERS  
LAKHANPUR,  
KANPUR-208024  
Ph-0512-2582165  
Mob-9415134328  
E-Mail: cmarmbansal11@gmail.com  
rishibansal.2008@rediffmail.com

### **FORM CRA-3**

**[Pursuant to rule 6(4) of the Companies (Cost Records and Audit)  
Rules, 2014]**

### **THE COST AUDIT REPORT**

We, R.M. Bansal & Co. having been appointed as Cost Auditor(s) under sub section 3 of section 148 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) of **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.**, having its registered office at **Vidyut Bhowan, Near ISBT crossing, Saharanpur road, Majra, Dehradun**, have audited the Cost Records maintained under section 148 of the said Act, in compliance with the cost auditing standards, in respect of the **Transmission & Distribution of Electricity** for the year 2023-24 maintained by the company and report, in addition to our observations and suggestions in para 2.

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of this audit.
- ii) In our opinion, proper cost records, as per rule 5 of the Companies (Cost Records Audit) Rules, 2014 have been maintained by the company in respect of product under reference.
- iii) In our opinion, proper returns adequate for the purpose of the Cost Audit have been received from the branches not visited by us.
- iv) In our opinion and to the best of our Information, the said books and records give the information required by the Companies Act, 2013, in the manner so required.
- v) In our opinion the company has adequate system of Internal audit of cost records which to our opinion is commensurate to its nature and size of its business.
- vi) In our opinion, information, statements in the annexure to this cost audit report give a true and fair view of the cost of production of rendering of services, cost of sales, margin and other information relating to service under reference.
- vii) Detailed unit-wise and service-wise cost statements and schedules thereto in respect of the service under reference of the company duly audited and certified by us are kept in the company.

Contd.. 2



आर.एम. बंसल एंड कंपनी  
लागत लेखाकार,

ए-201, दिवन टावर्स  
लाखनपुर,  
कानपुर-208024  
फोन-0512-2582165  
मोबाइल-9415134328  
E-Mail: cmarmbansal11@gmail.com  
rishibansal.2008@rediffmail.com

**फॉर्म सीआरए-3**  
**[कंपनियों (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 6(4)**  
**के अनुसार**  
**लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट**

हम, आर.एम. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 148 की उपधारा 3 के अंतर्गत पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त बंसल एंड कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, आईएसबीटी क्रॉसिंग के पास, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून में है, ने कंपनी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत के पारेषण और वितरण के संबंध में लागत लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में उक्त अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत बनाए गए लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षण किया है और पैरा 2 में हमारी टिप्पणियाँ और सुझावों के अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

i) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

ii) हमारी राय में, संदर्भित उत्पाद के संबंध में कंपनी द्वारा कंपनी (लागत अभिलेख लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार उचित लागत अभिलेख बनाए रखे गए हैं।

iii) हमारी राय में, लागत लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं, जहां हमने दौरा नहीं किया है।

iv) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, उक्त पुरतकों और अभिलेख कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं।

v) हमारी राय में कंपनी के पास लागत अभिलेखों की आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्त प्रणाली है, जो हमारी राय में इसके व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुरूप है।

iv) हमारी राय में, इस लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में दी गई जानकारी, विवरण, सेवाओं के उत्पादन की लागत, बिक्री की लागत, मार्जिन और संदर्भित सेवा से संबंधित अन्य जानकारी का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

iiiv) कंपनी के संदर्भित सेवा के संबंध में विस्तृत इकाई-वार और सेवा-वार लागत विवरण और उनके अनुसूचियाँ, जो हमारे द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित और प्रमाणित हैं, कंपनी में रखी गई हैं।

जारी 2



**R. M. Bansal & Co.**  
Cost Accountants,

A-201, TWIN TOWERS  
LAKHANPUR,  
KANPUR-208024  
Ph-0512-2582165  
Mob-9415134328  
E-Mail: cmambansal11@gmail.com  
rishibansal.2008@rediffmail.com

-2-

**2. Observations and suggestions, if any, of the Cost Auditor relevant to the Cost Audit.**

2.1 The profit (before tax) as per financial records increased to Rs. 14167.61 lacs in 2023-24 as compared to Rs. 2699.77 lacs in 2022-23. The following factors made higher level increase in profits during 2023-24.

A) Increase in Revenue from Tariffs to Rs. 51548.44 lacs in 2023-24 as compared to Rs. 36886.20 lacs in 2022-23. The Revenue from ISTS Charges (Revenue from CTUIL) Rs. 9749.44 lacs includes in Revenue from Tariff of 2023-24.

B) Increase in Income of other Operations to Rs. 512.46 lacs in 2023-24 as compared to Rs. 381.45 lacs in 2022-23.

2.2 The details of Income, Expenses and Profit for the year 2023-24 compared with 2022-23 are as under:

Particulars	2023-24	2022-23	Observations and Suggestions
<b>INCOME</b>			
(i) Revenue From Operations	52058.89	37267.65	1. Revenue from operations increased in 2023-24 as compared to 2022-23. Suggested for further increase in revenue.
(ii) Other Income	5165.26	5983.63	
<b>Total Income</b>	<b>57224.15</b>	<b>43251.28</b>	
<b>EXPENSES</b>			
(i) Employee Benefit Expenses	13807.00	13563.94	2. Each element of cost found increased during 2023-24 in comparison to 2022-23. Suggested for possible cost control/cost reduction.
(ii) Repairs & Maintenance Expenses	5788.44	4514.99	
(iii) Administrative & General Expenses	4115.22	3705.83	
(iv) Finance Cost	5596.89	5580.39	
(v) Depreciation & Amortization	13748.99	13186.36	
<b>Total Expenses</b>	<b>43056.54</b>	<b>40551.51</b>	
<b>Profit before tax</b>	<b>14167.61</b>	<b>2699.77</b>	

2.3 The quantity of Transmission increased to 20713.620 MU (2023-24) as compared to 19803.019 MU (2022-23). Further increase in the quantity of transmission may be looked into.

Contd.. 3

**आर.एम. बंसल एंड कंपनी**  
लागत लेखाकार,

ए-201, दिवन टावर्स  
लाखनपुर,  
कानपुर-208024  
फोन-0512-2582165  
मोबाइल-9415134328  
E-Mail: cmarmbansal11@gmail.com  
rshibansal.2008@rediffmail.com

-2-

2. लागत लेखापरीक्षा से संबंधित लागत लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और सुझाव, यदि कोई हों।

2.1 वित्तीय अभिलेखों के अनुसार लाभ (कर से पहले) 2022-23 में 2699.77 लाख रुपये की तुलना में 2023-24 में 14167.61 लाख रुपये हो गया। निम्नलिखित कारकों ने 2023-24 के दौरान मुनाफे में उच्च स्तर की वृद्धि की।

A) टैरिफ से राजस्व में 2022-23 में 36886.20 लाख रुपये की तुलना में 2023-24 में 51546.44 लाख रुपये की वृद्धि। ISTS शुल्क (CTUIL से राजस्व) से राजस्व 9749.44 लाख रुपये 2023-24 के टैरिफ से राजस्व में शामिल है।

B) अन्य परिचालनों की आय में 2023-24 के टैरिफ से राजस्व में 9749.44 लाख रुपये की वृद्धि। 2023-24 में 512.46 लाख रुपये जबकि 2022-23 में 381.45 लाख रुपये।

2.2 वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए आय, व्यय और लाभ का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	2023.24	2022.23	टिप्पणियाँ और सुझाव
<b>आय</b>			
(i) परिचालन से राजस्व	52058.89	37267.65	1. 2022-23 की तुलना में 2023-24 में परिचालन से राजस्व में वृद्धि हुई। राजस्व में और वृद्धि का सुझाव दिया गया।
(ii) अन्य आय	5165.28	5983.63	
कुल आय	57224.15	43251.28	
<b>व्यय</b>			
(i) कर्मचारी लाग व्यय	13807.00	13563.94	2. 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान लागत के प्रत्येक तत्व में वृद्धि पाई गई। संभावित लागत नियंत्रण/लागत में कमी का सुझाव दिया गया।
(ii) मरम्मत और रखरखाव व्यय	5788.44	4514.99	
(iii) प्रशासनिक और सामान्य व्यय	4115.22	3705.83	
(iv) दत्त लागत	5596.89	5580.39	
(v) मूल्यहास और परिशोधन	13748.99	13186.36	
कुल व्यय	43056.54	40551.51	
कर से पहले लाभ	14167.61	2699.77	

2.3 ट्रांसमिशन की मात्रा 19803.019 MU (2022-23) की तुलना में बढ़कर 20713.620 MU (2023-24) हो गई। ट्रांसमिशन की मात्रा में और वृद्धि पर विचार किया जा सकता है।





**R. M. Bansal & Co.**  
Cost Accountants,

A-201, TWIN TOWERS  
LAKHANPUR,  
KANPUR-208024  
Ph-0512-2582165  
Mob-9415134328  
E-Mail: cmambansal11@gmail.com  
rishibansal.2008@rediffmail.com

-3-

## **2.4 Auditor's responsibility**

2.4.1 Our responsibility is to express an opinion on the cost statements and other details based on our audit. This report is made solely to give the information required by the Act and rules made there under in accordance with section 148 of the Companies Act, and for no other purpose. We do not assume responsibility towards or accept liability to any other person for the content of the report.

2.4.2 We have conducted the audit in accordance with the provision of the Act and rules made there under, Standards of Cost Auditing as specified under section 148 (3) of the Act and Guidance Manual for Audit Quality issued by the Quality Review Board of the Institute of Cost Accounting of India. An audit includes examining on test basis, various Cost Accounting Records, Product Cost Statements and Annexures to the Cost Audit Report. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

2.4.3 An audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the cost statement. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the cost statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditor considers internal control relevant to the company's preparation of cost statement that give a true and fair view of such statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of cost accounting policies used and the reasonableness of cost accounting estimates made by the directors, as well as evaluating the overall presentation of the cost statement.

2.4.4 We believe that the audit evidence we have obtained is adequate to provide a basis for our audit opinion.

**Dated this 20th day of September 2024 at Kanpur.**

**For R.M Bansal & Co.**  
**Cost Accountants**

**(Rishi Mohan Bansal)**  
**Partner (M.No. 3323)**  
**UDIN 2403323ZZ151UCCTQ5**



आर.एम. बंसल एंड कंपनी  
लागत लेखाकार,

ए-201, दिवन टावर्स  
लाखनपुर,  
कानपुर-208024  
फोन-0512-2582165  
मोबाइल-9415134328  
E-Mail: cmarmbansal11@gmail.com  
rishibansal.2008@rediffmail.com

-3-

#### 2.4 लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

2.4.1 हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षण के आधार पर लागत विवरण और अन्य विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें। यह रिपोर्ट केवल कंपनी अधिनियम की धारा 148 के अनुसार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा आवश्यक जानकारी देने के लिए बनाई गई है, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। हम रिपोर्ट की सामग्री के लिए किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेते हैं या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं।

2.4.2 हमने अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, अधिनियम की धारा 148 (3) के तहत निर्दिष्ट लागत लेखा परीक्षा के मानकों और भारतीय लागत लेखा संस्थान के गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा जारी लेखा परीक्षा गुणवत्ता के लिए मार्गदर्शन मैनुअल के अनुसार लेखा परीक्षा की है। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर विभिन्न लागत लेखांकन रिकॉर्ड, उत्पाद लागत विवरण और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नकों की जांच करना शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

2.4.3 एक लेखा परीक्षा में लागत विवरण में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण लागत विवरण के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है। उन जोखिम मूल्यांकन को करने में, ऑडिटर कंपनी के लागत विवरण की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो ऐसे विवरणों का सही और निष्पक्ष वृष्टिकोण देता है ताकि ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं। एक ऑडिट में उपयोग की जाने वाली लागत लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निदेशकों द्वारा किए गए लागत लेखांकन अनुमानों की उचितता का मूल्यांकन करना, साथ ही लागत विवरण की समय प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

2.4.4 हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।

दिनांक 20 सितंबर 2024 को कानपुर में।

आर.एम. बंसल एंड कंपनी के लिए  
लागत लेखाकार

(ऋषि मोहन बंसल)  
साझेदार (M.No. 3323)  
UDIN 2403323ZZ151UCCTQ5



Name of the Company

: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,

Financial Year

2023-24

**ANNEXURE TO THE COST AUDIT REPORT  
PART - A**

**A-1 GENERAL INFORMATION :**

1	Corporate identity number or foreign company registration number:	U40101UR2004GOI028675
2	Name of the company:	Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited
3	Address of Registered office or of principal place of business in India of company	Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited Urja Bhawan, Near ISBT crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun
4	Address of Corporate office of Company	Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited Urja Bhawan, Near ISBT crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun
5	E-mail address of the company:	praveentandon@ptcul.org
6	Date of beginning of reporting financial year	01-04-2023
7	Date of end of reporting financial year	31-03-2024
8	Date of beginning of previous financial year	01-04-2022
9	Date of end of previous financial year	31-03-2023
10	Level of rounding used in cost statements (in INR)	Lakhs
11	Whether Indian Accounting Standards are applicable to the company	Yes
12	Number of cost auditor(s) for reporting period	1
13	Date of Board of Directors' meeting in which Annexure to the cost audit report was approved:	
14	Whether cost auditors report has been qualified or has any reservations or contains adverse remarks	No
15	Consolidated qualifications, reservations or adverse remarks of all cost auditors	No
16	Consolidated observations or suggestions of all cost auditors	The observations of the cost auditor are provided in the cost audit report
17	Whether company has related party transactions for sale or purchase of goods or services	No

**A-2 General Details of Cost Auditor**

1	Whether cost auditor is lead auditor	Yes
2	Category of cost auditor	Firm
3	Firm's registration number	000022
4	Name of cost auditor / cost auditors firm	R.M Bansal & Co.,
5	Permanent account number of cost auditor / cost auditor's firm	AAJFR6316H
6	Address of cost auditor or cost auditor's firm	A-201, Twin Towers, Lakhanpur, Kanpur - 208024
7	Email id of cost auditor or cost auditor's firm	rishibansal.2008@rediffmail.com
8	Membership number of member signing report	3323
9	Name of member signing report	Rishi Mohan Bansal
10	Name(s) of Product(s) or Service(s) with CETA heading	Electricity
11	SRN number of Form 23C/ CAR - 2	F52855723
12(A)	Number of audit committee meeting (s) during the year for which Cost Auditor was invited.	NIL
12	Number of audit committee meeting attended by cost auditor during year	-
13	Date of signing cost audit report and annexure by cost auditor	
14	Place of signing cost audit report and annexure by cost auditor	Kanpur



Name of the Company : Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,  
Financial Year 2023-24

**A-3 COST ACCOUNTING POLICY :**

Briefly describe the Cost Accounting Policy adopted by the Company and its adequacy or otherwise to determine correctly the Cost of Production/Operation, Cost of Sales, Sales realization and Margin of the service(s) under reference Separately for each Service(s). The policy should cover, inter alia, the following areas:

**a) Identification of cost centers/cost objects and cost drivers.**

The Corporation is not having any activity of manufacturing/producing of Electricity. The Corporation is engaged in the business of transmission of power. Hence the key cost center of the company's activity is "Transmission of Power"

**b) Accounting for material cost including packing materials, stores and spares etc., employee cost, utilities and other relevant cost components.**

**1. Material Cost :**

There are no material cost in company's activity

**2. Wages & Salaries :**

Proper records are maintained to show the attendance and earnings of all the employees. The details of wages & salaries are maintained in the financial records and the same are adopted for the cost records.

**3. Utilities :**

There are no cost of utilities in company's activity

**c) Accounting, allocation and absorption of overheads.**

The "Administration expenses" in the financial records have been classified as works & administrative overheads in the cost records.

**d) Accounting for Depreciation / Amortization.**

Depreciation on is charged on pro-rata basis from the date on which asset is available for use i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. The applicable rate and methodology are considered as per the regulations issued by Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) vide tariff regulation 2021 on straight line method.

No depreciation is chargeable on PPE of the damaged projects

Leasehold land including any expenditure on development of land is fully amortized over lease period or life of the related plants whichever is lower in accordance with the rates and methodology specified in (UERC) tariff Regulation.

Depreciation charge for impaired assets, if any, is adjusted in future periods in such a manner that the revised carrying amount of the asset is allocated over its remaining useful life.

Freehold land is not depreciated

**e) Accounting for by-products / joint-products, scraps, wastage etc.**

There are no by-products/joint product, scraps, wastage etc.



# पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

: पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

## लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक भाग — A

### A-1 सामान्य जानकारी:

1	कॉर्पोरेट पहचान संख्या या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या:	U40101UR2004GOI028675
2	कंपनी का नाम:	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
3	कंपनी के भारत में पंजीकृत कार्यालय या मुख्य व्यवसाय स्थान का पता	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ऊर्जा भवन, आईएसबीटी कोरिडोर के पास, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून
4	कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ऊर्जा भवन, आईएसबीटी कोरिडोर के पास, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून
5	कंपनी का ई-मेल पता:	praveentandon@ptcul.org
6	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष की शुरुआत की तिथि	01-04-2023
7	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि	31-03-2024
8	पिछले वित्तीय वर्ष की शुरुआत की तिथि	01-04-2022
9	पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि	31-03-2023
10	लागत विवरणों में प्रयुक्त राउंडिंग का स्तर (रुपये में)	लाख
11	क्या भारतीय लेखा मानक कंपनी पर लागू हैं	हाँ
12	रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागत लेखा परीक्षकों की संख्या	1
13	निदेशक मंडल की बैठक की तिथि जिसमें लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक को मंजूरी दी गई।	
14	क्या लागत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट योग्य है या इसमें कोई आशंका है या प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं	नहीं
15	क्या लागत लेखा परीक्षकों की समेकित योग्यताएँ, आशंका या प्रतिकूल टिप्पणियाँ	नहीं
16	सभी लागत लेखा परीक्षकों की समेकित टिप्पणियाँ या सुझाव	लागत लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गई हैं।
17	क्या कंपनी के पास माल या सेवाओं की बिक्री या खरीद के लिए संबंधित पक्ष सेगमेंट है	नहीं

### A-2 लागत लेखा परीक्षक का सामान्य विवरण

1	क्या लागत लेखा परीक्षक मुख्य लेखा परीक्षक है	हाँ
2	लागत लेखा परीक्षक की भेगी	कर्म
3	फर्म का पंजीकरण नंबर	000022
4	लागत लेखा परीक्षक/लागत लेखा परीक्षक फर्म का नाम	आरएम बंसल एंड कंपनी,
5	लागत लेखा परीक्षक/लागत लेखा परीक्षक फर्म का स्थायी खाता नंबर	AAJFR8316H
6	लागत लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक फर्म का पता	A-201, टिबन टावर, लखनपुर, कानपुर - 208024
7	लागत लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक फर्म की ईमेल आईडी	rajibbansal.2008@rediffmail.com
8	रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य की सदस्यता संख्या	3323
9	रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य का नाम	ऋषि मोहन बंसल
10	CETA रीबैंक के साथ उत्पाद(ओं) या सेवा(ओं) का नाम	बिजली
11	फॉर्म 23C/ CAR - 2 का SRN नंबर	F52855723
12(ए)	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या जिसके लिए लागत लेखापरीक्षक को आमंत्रित किया गया था।	शून्य
12	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षक द्वारा मांग ली गई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या -	
13	लागत लेखापरीक्षक द्वारा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अनुलग्नक पर हस्ताक्षर करने की तिथि	
14	लागत लेखापरीक्षक द्वारा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अनुलग्नक पर हस्ताक्षर करने का स्थान	कानपुर





कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

### A-3 लागत लेखांकन नीति

कंपनी द्वारा अपनाई गई लागत लेखांकन नीति और इसकी पर्याप्तता या अन्वधा का संक्षेप में वर्णन करें ताकि उत्पादन/संचालन की लागत, बिक्री की लागत, बिक्री प्राप्ति और प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग संदर्भित सेवाओं के मार्जिन का सही ढंग से निर्धारण किया जा सके। नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए:

#### a) लागत केंद्रों / लागत वस्तुओं और लागत चालकों की पहचान।

निगम बिजली के विनिर्माण/उत्पादन की कोई गतिविधि नहीं कर रहा है। निगम बिजली के संचरण के व्यवसाय में लगा हुआ है। इसलिए कंपनी की गतिविधि का मुख्य लागत केंद्र 'बिजली का संचरण' है।

#### b) पैकिंग सामग्री, स्टोर और स्पेयर आदि, कर्मचारी लागत, उपयोगिताओं और अन्य प्रासंगिक लागत घटकों सहित सामग्री लागत का लेखा-जोखा।

##### 1. सामग्री लागत:

कंपनी की गतिविधि में कोई सामग्री लागत नहीं है।

##### 2. मजदूरी और वेतन:

सभी कर्मचारियों की उपस्थिति और आय दिखाने के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। मजदूरी और वेतन का विवरण वित्तीय अभिलेखों में रखा जाता है और लागत अभिलेखों के लिए भी इसे अपनाया जाता है।

##### 3. उपयोगिताएँ:

कंपनी की गतिविधि में उपयोगिताओं की कोई लागत नहीं है।

#### c) ओवरहेड्स का लेखा, आवंटन और अवशोषण।

वित्तीय अभिलेखों में "प्रशासनिक व्यय" को लागत अभिलेखों में कार्यों और प्रशासनिक ओवरहेड्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

#### d) मूल्यहास/परिशोधन के लिए लेखांकन

PPE पर मूल्यहास उरा तिथि से आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है जिस दिन परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है यानी जब यह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में होती है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा जारी किए गए टैरिफ विनियमन 2021 के अनुसार लागू दर और कार्यप्रणाली पर रीबी रेखा पद्धति पर विचार किया जाता है।

सतिश्रुत परियोजनाओं के PPE पर कोई मूल्यहास प्रभाव नहीं है।

भूमि के विकास पर किसी भी व्यय सहित पट्टे पर दी गई भूमि को पट्टे की अवधि या संबंधित संपत्तियों के जीवन काल में जो भी कम हो, (UERC) टैरिफ विनियमन में निर्दिष्ट दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार पूरी तरह से परिशोधित किया जाता है।

सतिश्रुत परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास प्रभाव, यदि कोई हो, भविष्य की अवधि में इस तरह से समायोजित किया जाता है कि परिसंपत्ति की संशोधित वृद्धि राशि उसके शेष उपयोगी जीवन पर आवंटित की जाती है।

फ्रीहोल्ड भूमि का मूल्यहास नहीं किया जाता है।

#### e) उप-उत्पादों / संयुक्त-उत्पादों, स्क्रेप, अपव्यय आदि के लिए लेखांकन

कोई उप-उत्पाद/संयुक्त उत्पाद, स्क्रेप, अपव्यय आदि नहीं है।



**f) Basis for Inventory Valuation.**

1. Inventories mainly comprise stores and spare parts, construction material and other consumables are valued at costs. The cost of inventories is computed on FIFO basis.
2. The difference between stock as per books and as per physical verification in respect of stock on transfer of assets to company in terms of transfer scheme has not yet been adjusted as they are subject to finalization of transfer scheme/ reconciliation.

**g) Methodology for valuation of Inter-Unit/Inter Company and Related Party Transactions.**

**(i) Inter- Unit Transaction**

Valuation of inter-unit transfer of assets / materials is done on the basis of debit and credit memos between the concerned units.

**(ii) Related Party Transaction**

The disclosure on related party transaction is not required in case of state -controlled enterprises.

**h) Treatment of abnormal and non-recurring costs including classification of other non-cost items.**

Non cost items have been charged to reconciliation of Profit/ Loss.

**i) Other relevant Cost Accounting Policy adopted by the company.**

None.

**(2) Briefly specify the changes, if any, made in the Cost Accounting Policy for the product/activity group(s) under audit during the current financial year as compared to the previous financial year.**

There are no changes during the current financial year as compared to the previous financial year.

**(3) Observations of the Cost Auditor regarding adequacy or otherwise of the Budgetary Control System, if any, followed by the company.**

There is a proper system of Budgeting in the company .



**f) इन्वेंट्री मूल्यांकन का आधार।**

1. इन्वेंट्री में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर पार्ट्स, निर्माण सामग्री और अन्य उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं, जिनका मूल्य लागत पर लगाया जाता है। इन्वेंट्री की लागत की गणना FIFO आधार पर की जाती है।
2. हस्तांतरण योजना के अनुसार कंपनी को परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर स्टॉक के संबंध में पुस्तकों के अनुसार और भौतिक सत्यापन के अनुसार स्टॉक के बीच अंतर को अभी तक समायोजित नहीं किया गया है क्योंकि ये हस्तांतरण योजना/समाधान को अंतिम रूप देने के अधीन हैं।

**g) अंतर-इकाई/अंतर कंपनी और संबंधित पार्टी लेनदेन के मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली।**

**(i) अंतर-इकाई लेनदेन**

परिसंपत्तियों/सामग्री के अंतर-इकाई हस्तांतरण का मूल्यांकन संबंधित इकाइयों के बीच डेबिट और क्रेडिट मेमो के आधार पर किया जाता है।

**(ii) संबंधित पार्टी लेनदेन**

राज्य-नियंत्रित उद्यमों के मामले में संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**h) अन्य गैर-लागत मदों के वर्गीकरण सहित असामान्य और गैर-आवर्ती लागतों का उपचार। गैर-लागत मदों को लाभ/हानि के समाधान के लिए चार्ज किया गया है।**

**i) कंपनी द्वारा अपनाई गई अन्य प्रासंगिक लागत लेखांकन नीति।**

कोई नहीं।

**(2) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के तहत उत्पाद/गतिविधि समूह(ओं) के लिए लागत लेखांकन नीति में किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हो, को संक्षेप में निर्दिष्ट करें।**

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं है।

**(3) कंपनी द्वारा अपनाई गई वार्षिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता या अन्यथा के बारे में लागत लेखा परीक्षक की टिप्पणियां, यदि कोई हो।**

कंपनी में बजट बनाने की एक उचित प्रणाली है।



# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Name of the Company

: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,

Financial Year

2023-24

## A-4 PRODUCT/ SERVICE DETAILS ( for the company as a whole)

Fig: Rs in Lacs

S. No.	Name of Product(s)/ Service(s)	UOM	CTA Heading (Wherever applicable)	Whether covered under Cost Audit (Yes/No)	Net operational Revenue (net of taxes, duties etc.)	
					2023-24	2022-23
1	Transmission/Distribution of Electricity	MU	NA	Yes	51546.44	36886.20
	<b>Total Net Operational revenue of Manufactured Product or Service</b>				51546.44	36886.20
2	Other Operative Incomes of the Company				512.45	381.45
	<b>Total Operative Incomes of the Company</b>				52058.89	37267.65
3	Other Incomes of Company				5165.26	5983.63
	<b>Total revenue as per Financial Accounts</b>				57224.15	43251.28
4	Exceptional and Extra Ordinary income					
5	Other Comprehensive Income, if any				316.92	(475.64)
	<b>Total Revenue including Exceptional, Extra Ordinary and Other Comprehensive Income, if any</b>				57541.07	42775.64
6	Turnover as per Excise / Service Tax /GST records				NA	NA



# पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

: पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

## A-4 उत्पाद/सेवा विवरण (पूरी कंपनी के लिए)

आंकड़ा: रु. लाख में

क्र. सं.	उत्पाद(ओं)/सेवा(ओं) का नाम	UOM	CTA शीर्षक (जहां भी लागू हो)	क्या लागत लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर किया गया है (हां/नहीं)	शुद्ध परिचालन राजस्व (करों, शुल्कों आदि को छोड़कर)	
					2023-24	2022-23
1	बिजली का संचरण/वितरण	MU	लागू नहीं	हाँ	51546.44	36886.20
	निर्मित उत्पाद या सेवा का कुल शुद्ध परिचालन राजस्व				51546.44	36886.20
2	कंपनी की अन्य परिचालन आय				512.45	381.45
	कंपनी की कुल परिचालन आय				52058.89	37267.65
3	कंपनी की अन्य आय				5165.26	5983.63
	वित्तीय खातों के अनुसार कुल राजस्व				57224.15	43251.28
4	असाधारण और असाधारण आय					
5	अन्य व्यापक आय, यदि कोई हो				316.92	(475.64)
	असाधारण, असाधारण और अन्य व्यापक आय सहित कुल राजस्व, यदि कोई हो				57541.07	42775.64
6	6 उत्पाद शुल्क/सेवा कर/जीएसटी रिकॉर्ड के अनुसार कारोबार				लागू नहीं	लागू नहीं





# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

## PART C

Name of the Company  
Financial Year

: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,  
2023-24

### C-1 QUANTITATIVE INFORMATION (for each Service Separately)

Name of Service		Transmission/Distribution of Electricity	
Service code		NA	
Unit of Measurement		MU	
S.No.	Particulars	2023-24	2022-23
1	<b>Available Capacity*</b>		
(a)	Installed Capacity	9312.500	9312.500
(b)	Capacity enhanced during the year, if any		
(c)	<b>Total available Capacity</b>	<b>9312.500</b>	<b>9312.500</b>
2	<b>Actual Production</b>		
(a)	Own Services	20713.620	19803.019
(b)	Service under contractual arrangements		
(c)	Outsourced services		
(d)	<b>Total Services</b>	<b>20713.620</b>	<b>19803.019</b>
3	<b>Total Services provided as per Service Tax /GST Records</b>	-	-
4	<b>Capacity Utilization (in-house)</b>	NA	NA
5	<b>Other Adjustments</b>		
(a)	Self or Captive Consumption		
(b)	Other Quantitative Adjustments, if any	-214.125	-200.496
(c)	<b>Total Other Adjustments</b>	<b>-214.125</b>	<b>-200.496</b>
6	<b>Total Available Services for Sale [2(d)+5(c)]</b>	<b>20499.495</b>	<b>19602.523</b>
7	<b>Actual Sales</b>		
(a)	Service rendered - Domestic	20499.495	19602.523
(b)	Service rendered - Export		
(c)	<b>Total Services rendered</b>	<b>20499.495</b>	<b>19602.523</b>
	*MVA		



# पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

भाग C

: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

## C-1 मात्रात्मक जानकारी (प्रत्येक सेवा के लिए अलग से)

सेवा का नाम		विजली का संचरण/वितरण	
सेवा कोड		लागू नहीं	
मापने की इकाई		MU	
क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	उपलब्ध क्षमता*		
(a)	स्थापित क्षमता	9312.500	9312.500
(b)	वर्ष के दौरान बढ़ाई गई क्षमता, यदि कोई हो		
(c)	कुल उपलब्ध क्षमता	9312.500	9312.500
2	वास्तविक उत्पादन		
(a)	खयं की सेवाएँ	20713.620	19803.019
(b)	संविदात्मक व्यवस्था के तहत सेवा		
(c)	आउटसोर्स की गई सेवाएँ		
(d)	कुल सेवाएँ	20713.620	19803.019
3	सेवा कर/जीएसटी के अनुसार प्रदान की गई कुल सेवाएँ - रिकॉर्ड	-	-
4	क्षमता उपयोग (इन-हाउस)	NA	NA
5	अन्य समायोजन		
(a)	खयं या कैप्टिव उपयोग		
(b)	अन्य मात्रात्मक समायोजन, यदि कोई हो	-214.125	-200.496
(c)	कुल अन्य समायोजन	-214.125	-200.496
6	बिक्री के लिए कुल उपलब्ध सेवाएँ [2(d)+5(c)]	20499.495	19602.523
7	वास्तविक बिक्री		
(a)	प्रदान की गई सेवा - घरेलू	20499.495	19602.523
(b)	प्रदान की गई सेवा - निर्यात		
(c)	कुल प्रदान की गई सेवाएं	20499.495	19602.523
	*MVA		



# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Name of the Company  
Financial Year

: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,  
2023-24

## C-2 ABRIDGED COST STATEMENT (for each Service separately)

Name of Service		Transmission/Distribution of Electricity			
Service code (if applicable)		NA			
Unit of Measurement		MU			
S.No.	Particulars	2023-24		2022-23	
1	Services Provided	20713.620		19803.019	
4	Captive Consumption	-		-	
5	Other Adjustments	-214.125		-200.496	
6	Service rendered	20499.495		19602.523	
S.No.	Particulars	Amount (Rs. in Lacs )		Rate per Unit (Rs.)	
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1	Materials Consumed	-	-	-	-
2	Utilities	-	-	-	-
3	Direct Employees Cost	10056.52	9432.91	49057.40	48120.90
4	Direct Expenses	995.73	936.38	4857.34	4,776.83
5	Consumable Stores & Spares	-	-	-	-
6	Repairs & Maintenance	4687.09	3926.42	22864.40	20030.17
7	Quality Control Expenses	-	-	-	-
8	Research & Development Expenses	-	-	-	-
9	Technical know-how Fee / Royalty, if any	-	-	-	-
10	Depreciation/Amortization	13056.78	12524.99	63693.18	63894.81
11	Other Production Overheads	5086.70	4952.80	24813.80	25266.13
12	Industry Specific Operating Expenses	-	-	-	-
13	Total (1 to 12)	33882.82	31773.50	165286.12	162088.85
14	Less: Credits for Recoveries, if any	-	-	-	-
15	Cost of Service provided (13 - 14)	33882.82	31773.50	165286.12	162088.85
16	Cost of Outsourced/contractual services	-	-	-	-
17	Total Service available (15+16)	33882.82	31773.50	165286.12	162088.85
18	Less: Self/Captive Consumption (Incl. Samples, etc.)	-	-	-	-
19	Other Adjustments (if any)	-	-	-	-
20	Cost of Services Sold (17 - 18 + 19)	33882.82	31773.50	165286.12	162088.85
21	Administrative Overheads	3464.82	3025.50	16901.97	15434.24
22	Selling & Distribution Overheads	-	-	-	-
23	Cost of Sales before Interest (20 + 21 + 22)	37347.64	34799.00	182188.09	177523.08
24	Finance Cost	5596.89	5580.39	27302.58	28467.71
25	Cost of Sales (23+24)	42944.53	40379.39	209490.66	205990.80
26	Net Sales Realization (Net of Taxes and Duties)*	45128.59	37267.65	220144.89	190116.60
27	Margin [Profit/(Loss) as per Cost Accounts] (26-25)	2184.06	-3111.74	10654.22	-15874.20



Name of the Company : Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,  
Financial Year 2023-24

2A. Details of Materials Consumed						
Transmission/Distribution of Electricity						
NA						
Name of the Service						
Service Code ( If applicable)	Category	UOM	2023-24		2022-23	
Description of Material			Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Quantity	Rate per Unit (Rs.)
				Amount (Rs. in lacs)		Amount (Rs. in lacs)
NA						
Total Materials						

2B. Details of Utilities Consumed						
Transmission/Distribution of Electricity						
NA						
Name of the Service						
Service Code ( If applicable)	UOM	2023-24		2022-23		
Description of Material		Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Quantity	Rate per Unit (Rs.)	Amount (Rs. in lacs)
			Amount (Rs. in lacs)		Amount (Rs. in lacs)	
NA						
Total Utilities						

2C. Details of Industry Specific Expenses			
Transmission/ Distribution of Electricity			
NA			
Service Code ( If applicable)	2023-24	2022-23	
Description of Industry Specific Expenses	Amount (Rs. in lacs)	Amount (Rs. in lacs)	
NA			
Total Industry Specific Operating Expenses			



## पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

: पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

### C-2 संक्षिप्त लागत विवरण (प्रत्येक सेवा के लिए अलग से)

सेवा का नाम		बिजली का संचरण/वितरण			
सेवा कोड (यदि लागू हो)		लागू नहीं			
मापने की इकाई		MU			
क्र.सं.	विवरण	2023-24		2022-23	
1	प्रदान की गई सेवाएँ	20713.620		19803.019	
4	कैपिटल खपत	-		-	
5	अन्य समायोजन	-214.125		-200.496	
6	प्रदान की गई सेवा	20499.495		19602.523	
क्र.सं.	विवरण	राशि (लाख रुपये में)		प्रति यूनिट दर (रुपए में)	
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1	उपयोग की गई सामग्री	-	-	-	-
2	उपयोगिताएँ	-	-	-	-
3	प्रत्यक्ष कार्यवाही लागत	10056.52	9432.91	49057.40	48120.90
4	प्रत्यक्ष व्यय	995.73	936.38	4857.34	4,776.83
5	उपयोग्य सामग्री भंडार और पुर्जे	-	-	-	-
6	मरम्मत और रखरखाव	4687.09	3926.42	22864.40	20030.17
7	गुणवत्ता नियंत्रण व्यय	-	-	-	-
8	अनुसंधान और विकास व्यय	-	-	-	-
9	तकनीकी जानकारी शुल्क/सॉफ्टवेयर यदि कोई हो	-	-	-	-
10	मूल्यहारा/परिशोधन	13056.78	12524.99	63693.18	63894.81
11	अन्य उत्पादन ओवरहेड्स	5086.70	4952.80	24813.80	25266.13
12	उद्योग विशिष्ट परिचालन व्यय	-	-	-	-
13	कुल (1 से 12)	33882.82	31773.50	165286.12	162088.85
14	घटाएँ: वसूली के लिए क्रेडिट, यदि कोई हो	-	-	-	-
15	प्रदान की गई सेवा की लागत (13 - 14)	33882.82	31773.50	165286.12	162088.85
16	आउटसोर्स/अनुबंधित सेवाओं की लागत	-	-	-	-
17	उपलब्ध कुल सेवा (15+16)	33882.82	31773.50	165286.12	162088.85
18	घटाएँ: रच/कैपिटल खपत नष्ट आदि सहित)	-	-	-	-
19	अन्य समायोजन (यदि कोई हो)	-	-	-	-
20	बेची गई सेवाओं की लागत (17 - 18 + 19)	33882.82	31773.50	165286.12	162088.85
21	प्रशासनिक ओवरहेड्स	3464.82	3025.50	16901.97	15434.24
22	बिक्री और वितरण ओवरहेड्स	-	-	-	-
23	ब्याज से पहले बिक्री की लागत (20 + 21 + 22)	37347.64	34799.00	182188.09	177523.08
24	वित्त लागत	5596.89	5580.39	27302.58	28467.71
25	बिक्री की लागत (23+24)	42944.53	40379.39	209490.66	205990.80
26	शुद्ध बिक्री प्राप्ति (करों और शुल्कों के बाद शुद्ध)*	45128.59	37267.65	220144.89	190116.60
27	मार्जिन [लागत खातों के अनुसार लाग/ (हानि).]	2184.06	-3111.74	10654.22	-15874.20
	(26-25)				





कंपनी का नाम  
द्वितीय वर्ष  
: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

2A. उपभोग की गई सामग्री का विवरण		विजली का संचरण/वितरण					
सेवा का नाम		लागू नहीं					
सेवा कोड (यदि लागू हो)							
सामग्री का विवरण	श्रेणी	UOM	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रुपए में)	राशि (लाख रुपए में)	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रुपए में)
लागू नहीं							
Total Materials							

2B. उपभोग की गई सामग्री का विवरण		विजली का संचरण/वितरण					
सेवा का नाम		लागू नहीं					
सेवा कोड (यदि लागू हो)							
सामग्री का विवरण	UOM	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रुपए में)	राशि (लाख रुपए में)	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रुपए में)	राशि (लाख रुपए में)
लागू नहीं							
Total Utilities							

2C. उद्योग विशेष व्यय का विवरण		विजली का संचरण/वितरण	
सेवा का नाम		लागू नहीं	
सेवा कोड (यदि लागू हो)		2023-24	2022-23
उद्योग विशेष व्यय का विवरण		राशि (लाख रुपए में)	राशि (लाख रुपए में)
लागू नहीं			
कुल उद्योग विशेष परिचालन व्यय			



# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Name of the Company

: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,

Financial Year

2023-24

## PART D

### D-1 PRODUCT AND SERVICE PROFITABILITY STATEMENT (For audited product/services)

S.No.	Particulars	2023-24			2022-23		
		Sales (Rs. in Lacs)	Cost of Sales (Rs. in Lacs)	Margin (Rs. in Lacs)	Sales (Rs. in Lacs)	Cost of Sales (Rs. in Lacs)	Margin (Rs. in lacs)
1	Transmission/Distribution of Electricity	45128.59	42944.53	2184.06	37267.65	40379.39	-3111.74
	<b>Total</b>	<b>45128.59</b>	<b>42944.53</b>	<b>2184.06</b>	<b>37267.65</b>	<b>40379.39</b>	<b>-3111.74</b>



# पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

: पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

## भाग D

### D-1 उत्पाद और सेवा लाभप्रदता विवरण (लेखापरीक्षित उत्पाद/सेवाओं के लिए)

क्र.सं.	विवरण	2023-24			2022-23		
		बिक्री (रु. लाख में)	बिक्री की लागत (रु. लाख में)	मार्जिन (रु. लाख में)	बिक्री (लाख रुपए में)	बिक्री की लागत (लाख रुपए में)	मार्जिन (लाख रुपए में)
1	विजली का संचरण/वितरण	45128.59	42944.53	2184.06	37267.65	40379.39	-3111.74
	कुल	45128.59	42944.53	2184.06	37267.65	40379.39	-3111.74



# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Name of the Company

: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,

Financial Year

2023-24

## D-2 PROFIT RECONCILIATION (for the company as a whole)

Rs in Lacs

S.No.	Particulars	2023-24	2022-23
1	Profit or Loss as per Cost Accounting Records		
	(a) For the audited service	2184.06	-3111.74
	(b) For the un-audited service	-	-
2	Add: Incomes not considered in cost accounts:	12095.56	5983.63
3	Less: Expenses not considered in cost accounts:	112.01	172.12
	Total	14167.61	2699.77
4	Difference in Valuation of stock between financial accounts and cost accounts	-	-
5	Other adjustment if any	-	-
6	Profit or Loss as per Financial Accounts (excluding Other Comprehensive Income for companies following Ind AS)	14167.61	2699.77

### Details of Incomes not considered in Cost

S.No.	Particulars	2023-24	2022-23
1	Interest through sweep account	742.75	712.83
2	Interest on Income Tax Refund	-	62.96
3	Interest on FDRs	2602.90	1,492.32
4	Revenue against ISTS Shares (arrears of 2020-21 to 2022-23)	6930.30	-
5	Sale of Tender Form	32.49	12.88
6	Registration Fees	3.73	7.73
7	Balance Misc. Receipts	3.91	1.08
8	Recoveries for Transport Facilities	22.90	20.26
9	Income from Inspection House	1.21	0.74
10	Rental from Staff	5.76	3.92
11	Misc Receipt (Penalty)	0.74	0.39
12	Receipt of Fees under Right to Information Act-2005	0.22	0.32
13	Deferred Revenue Grants written off against funding under Deposit & PSDF Schemes	1225.28	1,104.09
14	Sale of Scrap	0.04	0.11
15	Overhead Lines (Drawing Fees)	0.00	-
16	Surcharge by CTUIL	55.33	66.95
17	Penalties for delay in Supplies/Execution of works	0.00	11.06
18	Connectivity Charges	18.00	10.00
19	Profit On Sale of Store	274.83	120.22
20	Forfeited Earnest Money and Security Money	0.00	2,616.60
21	Supervision Charges received from third party	58.73	(262.37)
22	Rental From Contractors	0.00	0.57
23	Recovery for Transport & Vehicles Expenses (Other than recoveries from Staff)	0.04	0.02
24	Load Flow Study (Power Evaluation)	-	0.95
25	Profit on sale of Land	101.20	-
26	Gain on sale of lines, cables etc	1.54	-
27	Income from Sale of Trees / Plants	7.27	-
28	Income from System Study	5.00	-
29	Penalties for delay in Supplies/Execution of works	1.39	-
30	Water Charges	-	-
31	Total	12095.56	5,983.63

### Details of Expenses not considered in Cost

S.No.	Particulars	2023-24	2022-23
1	Round off	-	-
2	Corporate social responsibility expenditure	96.78	163.02
3	Contributions / Donations	7.00	9.00
4	Loss on Sale of Stores	8.23	0.10
	Total	112.01	172.12



# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Name of the Company  
Financial Year

: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,  
2023-24

## D-3 VALUE ADDITION AND DISTRIBUTION OF EARNINGS (for the company as a whole) Rs in Lacs

S.No.	Particulars	2023-24	2022-23
	<b>Value Addition :</b>		
1	Gross Sales(Excluding sales returns)	52058.89	37267.65
2	Less: Excise duty, etc	-	-
3	Net Sales	52058.89	37267.65
4	Add: Export Incentives	-	-
5	Add/Less: Adjustment in finished stocks	-	-
6	<b>Less: Cost of bought out inputs</b>		
	(a) Cost of Materials Consumed	-	-
	(b) Process materials / Chemicals	-	-
	(c) Consumption Stores & Spares	-	-
	(d) Utilities ( e.g. power and fuel)		
	(e) Other if any	9903.66	8220.82
	Total Cost of bought out inputs	9903.66	8220.82
7	<b>Value Added</b>	<b>42155.23</b>	<b>29046.83</b>
8	Add: Other Income form any other sources	5165.26	5983.63
9	Add: Exceptional, Extra Ordinary and Other Comprehensive Income, if any	316.92	(475.64)
10	<b>Earnings available for distribution</b>	<b>47637.41</b>	<b>34554.82</b>
	<b>Distribution of Earnings</b>		
1	Employees as salaries & wages, retirement benefits, etc.	13807.00	13563.94
2	Shareholders as dividend	500.20	500.00
3	Company as retained funds	24012.32	14398.03
4	Government as taxes (Specify)	3721.00	512.46
5	Exceptional and Extra Ordinary Expenses, if any		
6	Others if any (specify)	5596.89	5580.39
7	<b>Total distribution of earnings</b>	<b>47637.41</b>	<b>34554.82</b>





# पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

: पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

## D-2 लाभ समायोजन (पूरी कंपनी के लिए)

रु० लाखों में

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	लागत लेखा समिलेखों के अनुसार लाभ या हानि		
	(a) लेखापरीक्षित सेवा के लिए	2184.06	-3111.74
	(b) लेखापरीक्षित न की गई सेवा के लिए	-	-
2	जोड़े लागत खातों में दिवार न की गई आय	12095.56	5983.63
3	घटाएँ: लागत खातों में दिवार न किए गए व्यय:	112.01	172.12
	कुल	14167.61	2699.77
4	वित्तीय खातों और लागत खातों के बीच स्टॉक के मूल्यांकन में अंतर	-	-
5	अन्य समायोजन यदि कोई हो	-	-
6	वित्तीय खातों के अनुसार लाभ या हानि (Ind AS का पालन करने वाली कंपनियों के लिए अन्य व्यापक आय को छोड़कर)	14167.61	2699.77

## लागत में शामिल न की गई आय का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	स्टीप छाते के मध्यम से व्याज	742.75	712.83
2	आयकर रिफंड पर व्याज	-	62.96
3	FDR पर व्याज	2602.90	1,492.32
4	ISTD सेवकों के विगत राजस्व (2020-21 से 2022-23 तक का बकाया)	6930.30	-
5	निविदा फॉर्म की बिक्री	32.49	12.88
6	पंजीकरण शुल्क	3.73	7.73
7	सौच विविध प्राप्ति	3.91	1.08
8	परिवहन सुविधाओं के लिए वसूली	22.90	20.26
9	निरीक्षण गृह से आय	1.21	0.74
10	कर्मचारियों से किराया	5.76	3.92
11	विभिन्न प्राप्ति (जुमाना)	0.74	0.39
12	शुल्क के अधिकार अधिनियम-2005 से तहत शुल्क की प्राप्ति	0.22	0.32
13	डिमांड और PSDF योजनाओं के तहत वित्त पोषण के विरुद्ध बड़े खातों में	1225.28	1,104.09
14	खाले हुए आरक्षित राजस्व अनुदान	0.04	0.11
15	रक्रेष की बिक्री	0.00	-
16	ओवरहेड लाइन (ड्राइंग शुल्क)	55.33	66.95
17	CTUIL द्वारा अधिभार	0.00	11.06
18	आपूर्ति/कार्यों के निष्पादन में देरी के लिए जुमाना	18.00	10.00
19	कर्मचारी बिक्री शुल्क	274.83	120.22
20	स्टोर की बिक्री पर लाभ	0.00	2,616.60
21	जमा बचाना राशि और सुरक्षा राशि	58.73	(262.37)
22	लौहरे पक्ष से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क	0.00	0.57
23	संबंधितों से किराया	0.04	0.02
24	परिवहन और वाहन व्यय की वसूली (कर्मचारियों से वसूली के अलावा)	-	0.95
25	लाभ क्लो अध्ययन (बिजली निकारी)	101.20	-
26	भूमि की बिक्री पर लाभ	1.54	-
27	लाइने, केबल आदि की बिक्री पर लाभ	7.27	-
28	पेय/पीने की बिक्री से आय	5.00	-
29	सिस्टम अध्ययन से आय	1.39	-
30	आपूर्ति/कार्यों के निष्पादन में देरी के लिए दंड	-	-
31	कुल	12095.56	5,983.63

## लागत में शामिल न किए गए व्यय का विवरण

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
1	पूर्णकृत कर	-	-
2	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	96.78	163.02
3	खेपदान/दान	7.00	9.00
4	स्टोर की बिक्री पर घाटा	8.23	0.10
	कुल	112.01	172.12



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लि०

कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

: पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

D-3 मूल्य संवर्धन और आय का वितरण (पूरी कंपनी के लिए)

रु० लाखों में

क्र.सं.	विवरण	2023-24	2022-23
	<b>मूल्य संवर्धन:</b>		
1	सकल बिजली (बिजली रिटर्न को छोड़कर)	52058.89	37267.65
2	घटाएँ: उत्पाद शुल्क, आदि	-	-
3	शुद्ध बिजली	52058.89	37267.65
4	जोड़ें: निर्यात प्रोत्साहन	-	-
5	जोड़ें/घटाएँ: तैयार स्टॉक में समायोजन	-	-
6	घटाएँ: खरीदे गए इनपुट की लागत		
	(a) उपभोग की गई सामग्री की लागत	-	-
	(b) प्रक्रिया सामग्री/रसायन	-	-
	(c) उपभोग गंधार और स्पेयर	-	-
	(d) उपयोगिताएँ (जैसे बिजली और ईंधन)		
	(e) अन्य यदि कोई हो	9903.66	8220.82
	खरीदे गए इनपुट की कुल लागत	9903.66	8220.82
7	मूल्य संवर्धन	42155.23	29046.83
8	जोड़ें: किसी अन्य स्रोत से अन्य आय	5165.26	5983.63
9	जोड़ें: असाधारण, असाधारण और अन्य व्यापक आय, यदि कोई हो	316.92	(475.64)
10	वितरण के लिए उपलब्ध आय	47637.41	34554.82
	<b>आय का वितरण</b>		
1	कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी, सेवानिवृत्ति लाभ, आदि के रूप में।	13807.00	13563.94
2	शेयरधारकों को लाभांश के रूप में	500.20	500.00
3	कंपनी को प्रतिधारित निधि के रूप में	24012.32	14398.03
4	सरकार को कर के रूप में (निर्दिष्ट करें)	3721.00	512.48
5	असाधारण और असाधारण व्यय, यदि कोई हो		
6	अन्य यदि कोई हो (निर्दिष्ट करें)	5596.89	5580.39
7	आय का कुल वितरण	47637.41	34554.82



# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Name of the Company

: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,

Financial Year

2023-24

## D-4 FINANCIAL POSITION AND RATIO ANALYSIS (for the company as a whole)

S.No.	Particulars	Units	2023-24	2022-23
<b>A.</b>	<b>Financial Position</b>			
1	Share Capital	Rs in Lacs	77387.73	72387.73
2	Reserves & Surplus	Rs in Lacs	63619.13	53355.80
3	Long Term Borrowings	Rs in Lacs	109570.97	98638.42
4	(a) Gross Fixed Assets *	Rs in Lacs	328088.88	292302.89
	(b) Net Fixed Assets *	Rs in Lacs	240180.49	218143.50
5	(a) Current Assets	Rs in Lacs	77420.29	69137.89
	(b) Less: Current Liabilities	Rs in Lacs	40322.52	41543.54
	(c) Net Current Assets	Rs in Lacs	37097.77	27594.35
6	Capital Employed	Rs in Lacs	261508.06	243988.58
7	Net Worth	Rs in Lacs	141006.86	125743.53
<b>B.</b>	<b>Financial Performance</b>			
1	Value Added of company	Rs in Lacs	42155.23	29046.83
2	Net Revenue from Operations of Company	Rs in Lacs	52058.89	37267.65
3	Profit before Tax (PBT)	Rs in Lacs	14167.61	2699.77
<b>C.</b>	<b>Profitability Ratios</b>			
1	PBT to Capital Employed (B3/A6)	%	5.42	1.11
2	PBT to Net Worth (B3/A7)	%	10.05	2.15
3	PBT to Value Added (B3/B1)	%	33.61	9.29
4	PBT to Net revenue from Operations (B3/B2)	%	27.21	7.24
<b>D.</b>	<b>Other Financial Ratios</b>			
1	Debt-Equity Ratio		0.78	0.78
2	Current Assets to Current Liabilities		1.92	1.66
3	Value Added to Net Revenue from Operations	%	80.98	77.94
<b>E.</b>	<b>Working Capital Ratios</b>			
1	Raw Materials Stock to Consumption	Months	NA	NA
2	Stores & Spares to Consumption	Months	NA	NA



# पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

: पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

## D-4 वित्तीय स्थिति और अनुपात विश्लेषण (पूरी कंपनी के लिए)

क्र.सं.	विवरण	इकाइयाँ	2023-24	2022-23
<b>A.</b>	<b>वित्तीय स्थिति</b>			
1	शेयर पूंजी	लाख रुपये में	77387.73	72387.73
2	रिजर्व और अधिशेष	लाख रुपये में	63619.13	53355.80
3	दीर्घकालिक उधारी	लाख रुपये में	109570.97	98638.42
4	(a) सकल अचल संपत्ति *	लाख रुपये में	328088.88	292302.89
	(b) शुद्ध अचल संपत्ति *	लाख रुपये में	240180.49	218143.50
5	(a) चालू संपत्ति	लाख रुपये में	77420.29	69137.89
	(b) घटाएँ: चालू देनदारियाँ	लाख रुपये में	40322.52	41543.54
	(c) शुद्ध चालू संपत्ति	लाख रुपये में	37097.77	27594.35
6	नियोजित पूंजी	लाख रुपये में	261508.06	243988.58
7	निवल संपत्ति	लाख रुपये में	141006.86	125743.53
<b>B.</b>	<b>वित्तीय प्रदर्शन</b>			
1	कंपनी का मूल्य वर्धित	लाख रुपये में	42155.23	29046.83
2	कंपनी के परिचालन से शुद्ध राजस्व	लाख रुपये में	52058.89	37267.65
3	कर से पहले लाभ (PBT) लाख रुपये में	लाख रुपये में	14167.61	2699.77
<b>C.</b>	<b>लाभप्रदता अनुपात</b>			
1	पूंजी के लिए PBT नियोजित (B3/A6) :	%	5.42	1.11
2	नेट वर्ध (B3/A7) के लिए PBT	%	10.05	2.15
3	मूल्य वर्धित (B3/B1) के लिए PBT	%	33.61	9.29
4	ऑपरेशन से शुद्ध राजस्व (B3/B2) के लिए PBT	%	27.21	7.24
<b>D.</b>	<b>अन्य वित्तीय अनुपात</b>			
1	ऋण-इक्विटी अनुपात		0.78	0.78
2	चालू परिसंपत्तियों से चालू देनदारियाँ		1.92	1.66
3	संचालन से शुद्ध राजस्व में जोड़ा गया मूल्य :	%	80.98	77.94
<b>E.</b>	<b>कार्यशील पूंजी अनुपात</b>			
1	कच्चे माल का स्टॉक से उपभोग महीने तक।	Months	NA	NA
2	स्टोर और स्पेयरस से उपभोग महीने तक।	Months	NA	NA



# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Name of the Company  
Financial Year

: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,  
2023-24

## D-5 RELATED PARTY TRANSACTIONS (for the company as a whole)

Transaction No.	Name of the Related Party	Name of product or activity	Nature of Related Party Transaction	CIN of related party	PAN of related party	Identification number of foreign related party in country of incorporation or residence	Nature of issuing authority in country of incorporation or residence	Country of Related Party
-----------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------	---	--	--------------------------

Product or activity eight digit code	Aggregate quantity of related party transaction	Average transfer price of related party transaction	Aggregate amount of transaction	Average normal price of related party transaction	Difference between average transfer price & average normal price	Basis adopted to determine normal price of related party transaction	Description of other basis adopted to determine normal price	Notes to related party transaction
--------------------------------------	---	---	---------------------------------	---	--	--	--	------------------------------------

There are no related party transactions





# पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

: पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

## D-5 संबंधित पार्टी लेन-देन (पूरी कंपनी के लिए)

लेन-देन संख्या	संबंधित पार्टी का नाम	उत्पाद या गतिविधि का नाम	संबंधित पार्टी लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पार्टी का ब्रह्म	संबंधित पार्टी का छछ	निगमन या निवास के देश में विदेशी संबंधित पार्टी की पहचान संख्या	निगमन या निवास के देश में जारी करने वाले प्राधिकारी की प्रकृति	संबंधित पार्टी का देश
----------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------	---	--	-----------------------

उत्पाद या गतिविधि का आठ अंकों का कोड	संबंधित पार्टी लेन-देन की कुल मात्रा	संबंधित पार्टी लेन-देन का औसत हस्तांतरण मूल्य	लेन-देन की कुल राशि	संबंधित पार्टी लेन-देन का औसत सामान्य मूल्य	औसत हस्तांतरण मूल्य और औसत सामान्य मूल्य के बीच का अंतर	संबंधित पार्टी लेन-देन का सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाया गया आधार	सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाए गए अन्य आधार का विवरण	संबंधित पार्टी लेन-देन के लिए नोट्स
--------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------	---	---	---	---	-------------------------------------

कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है



# POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Name of the Company

: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.,

Financial Year

2023-24

S.N.	Particulars	Taxable Value/ Assessable Value	Excise Duty	Goods & Services Tax			
				CGST	SGST/UTGST	IGST	Cess
		Fig in Rs.	Fig in Rs.	Fig in Rs.	Fig in Rs.	Fig in Rs.	Fig in Rs.
	<b>Duties/ Taxes Payable</b>						
	Excise Duty						
1	Domestic						
2	Export						
3	Stock Transfers (Net)						
4	Duty Free Clearance, Others etc.						
5	<b>Total (1 to 4)</b>						
	<b>Goods &amp; Services Tax</b>						
6	Outward Taxable Supplies (Other than zero rated, Nil Rated and Exempted)	1514.92		104.30	104.30	63.45	
7	Outward Taxable Supplies (Zero rated)	0.00		0.00	0.00	0.00	
8	Inward Supplies (Liable to Reverse Charge)	114.28		10.29	10.29	0.00	
9	Other Outward Supplies (Nil Rated Exempted)	0.00		0.00	0.00	0.00	
10	Non-GST Outward Supplies	0.00		0.00	0.00	0.00	
11	<b>Total (6 to 10)</b>	<b>1629.20</b>	<b>-</b>	<b>114.58</b>	<b>114.58</b>	<b>63.45</b>	
12	<b>Total Duties/ Taxes Payable ( 5 + 11)</b>						
	<b>Duties/ Taxes paid (by Utilisation of Input Credit and Payment through Cash Ledger, as the case may be)</b>						
	<b>GST- Input Tax Credit Utilised</b>						
13	CGST			0.00	0.00	0.00	
14	SGST/UTGST			0.00	0.00	0.00	
15	IGST			0.00	0.00	0.00	
16	Cess			0.00	0.00	0.00	
17	Transitional Credit			0.00	0.00	0.00	
18	<b>Total Input Tax Credit Utilised (13 to 17)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
19	Payment through Cash Ledger			114.58	114.58	63.45	
20	<b>Total Duties/ Taxes Paid (18+19)</b>			<b>114.58</b>	<b>114.58</b>	<b>63.45</b>	
	<b>Difference between Taxes Paid and Payable(12 - 20)</b>			<b>(0.00)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(0.00)</b>	
21	Interest/Penalty/Fines Paid			0.01	0.01	0.00	



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

कंपनी का नाम  
वित्तीय वर्ष

: पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
2023-24

क्र.सं.	विवरण	कर योग्य मूल्य / कर निर्धारण योग्य मूल्य	उत्पाद शुल्क	वस्तु एवं सेवा कर			उपकर
				CGST	SGST/ UTGST	IGST	
				आंकड़े ₹0 में	आंकड़े ₹0 में	आंकड़े ₹0 में	
1	देय शुल्क / कर						
2	उत्पाद शुल्क						
3	घरेलू						
4	निर्वात						
5	स्टॉक स्थानांतरण (नेट)						
6	शुल्क मुक्त निकासी, अन्य आदि						
7	कुल (1 से 4)						
8	वस्तु एवं सेवा कर						
9	बाहरी कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड, शून्य रेटेड और छूट प्राप्त के अलावा)	1514.92		104.30	104.30	63.45	
10	बाहरी कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड)	0.00		0.00	0.00	0.00	
11	आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)	114.28		10.29	10.29	0.00	
12	अन्य बाहरी आपूर्ति (शून्य रेटेड छूट प्राप्त)	0.00		0.00	0.00	0.00	
13	गैर-GST बाहरी आपूर्ति	0.00		0.00	0.00	0.00	
14	कुल (6 से 10)	1629.20	-	114.58	114.58	63.45	
15	कुल देय शुल्क / कर (5 + 11)						
16	भुगतान किए गए शुल्क / कर (इनपुट क्रेडिट के उपयोग और नकद लेजर के माध्यम से भुगतान, जैसा भी मांगला हो)						
17	GST-उपयोग किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट						
18	CGST			0.00	0.00	0.00	
19	SGST/UTGST			0.00	0.00	0.00	
20	IGST			0.00	0.00	0.00	
21	उपकर			0.00	0.00	0.00	
22	संकलनकालीन क्रेडिट			0.00	0.00	0.00	
23	कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग किया गया (18 से 22)			-	-	-	
24	नकद खाता बही के माध्यम से भुगतान			114.58	114.58	63.45	
25	कुल शुल्क / कर चुकाए गए (14+24)			114.58	114.58	63.45	
26	भुगतान किए गए और देय करों के बीच अंतर (15-25)			(0.00)	(0.00)	(0.00)	
27	भुगतान किया गया ब्याज / जुर्माना / जुर्माना			0.01	0.01	0.00	



PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (AUDIT),  
UTTARAKHAND

Ltr No: AMG-II/2024-2025/DIS-2028348

Date: 13 Sep 2024

To,

Managing Director,  
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited,  
Dehradun.

Subject: Regarding the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the annual accounts of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited, Dehradun for the year 2023-24.: PR-127542

Sir/Madam,

Hereby, the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited, Dehradun for the year ended 31st March, 2024 are being forwarded under section 143 (6) (e) of the Companies Act, 2013 in pursuance of the provisions of the aforesaid Act. Kindly inform the actual date of laying of these comments before the Annual General Meeting of the Company.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Encls: As above

PRAVINDRA YADAV  
Principal Accountant General





प्रधान महालेखाकार  
(लेखा परीक्षा),  
उत्तराखण्ड

पत्र संख्या: AMG-II/2024-2025/DIS-2028348

दिनांक: 13 सितंबर 2024

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,  
पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,  
देहरादून

विषय: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, देहरादून के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टीका टिप्पणियों के सम्बन्ध में। : PR-127542

महोदय/महोदया,

एतत्सह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (इ) के अधीन पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, देहरादून के 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका- टिप्पणियां, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्रेषित की जा रही है। कृपया कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका टिप्पणियों के प्रस्तुत किए जाने की वास्तविक तिथि की सूचना देने का कष्ट करें।

कृपया पावती भेजें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रविन्द्र यादव  
प्रधान महालेखाकार







**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.**

The preparation of financial statements of the Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited (Company) for the year ended 31 March 2024 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the Management of the Company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 18 July 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of financial statements of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act, which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

**A. Comments on Profitability**

**Statement of Profit & Loss**

**Expenses**

**Repairs & Maintenance Expenses (Note 28): ₹ 57.88 crore**

1. The above does not include AMC expenses of ₹ 1.25 crore payable to M/s Secure Meters Limited for the period 12 April 2023 to 31 March 2024 in respect of hardware supplied against online monitoring and data acquisition project at the Company's Sub Station end and Data Centre end for implementation of Intra State ABT Metering Scheme. The same should have been accounted for in the books of accounts, which was not done.



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा उनके द्वारा 18 जुलाई 2024 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(a) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अपने पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं:

#### **A. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ**

##### **लाभ और हानि का विवरण**

##### **व्यय**

**मरम्मत और रखरखाव व्यय (नोट 28) ₹ 57.88 करोड़**

1. उपर्युक्त में इंट्रा स्टेट ABT मीटरिंग योजना के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के सब स्टेशन एंड और डेटा सेंटर एंड पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डेटा अधिग्रहण परियोजना के लिए आपूर्ति किए गए हार्डवेयर के संबंध में 12 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए मेसर्स सिव्कोर मीटर्स लिमिटेड को देय ₹ 1.25 करोड़ का AMC व्यय शामिल नहीं है। इसे लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।



This resulted in overstatement of Property, Plant and Equipment as well as Other Equity by ₹ 1.14 crore, each.

**For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India**

**Place: Dehradun  
Dated: 13 September 2024**

**-sd-  
(Pravindra Yadav)  
Principal Accountant General (Audit)  
Uttarakhand**



This resulted in understatement of Repairs & Maintenance Expenses as well as Short Term Provisions by ₹ 1.25 crore, each. Consequently, Profit for the year was also overstated by ₹ 1.25 crore.

**Balance Sheet****Assets****Non-Current Assets**

**Property, Plant and Equipment (Note 2): ₹ 1578.94 crore.**

2. The above includes ₹ 84.69 crore being the cost of 132 KV S/C line on D/C tower from Pithoragarh (PGCIL) – Champavat (Lohaghat). As per the Significant Accounting Policies Note 1 (iii), "Transmission system assets are considered as ready for intended use on the date of commercial operation declared in terms of Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) tariff regulations and capitalised accordingly". The said transmission line was capitalised on 02.06.2023 without being commissioned and commercially operated for the intended use, in contravention to the ibid Accounting Policy. Depreciation of ₹ 3.34 crore on the same, was also charged in the Statement of Profit and Loss in the Financial Year 2023-24.

Further, UERC also, vide its order dated 28 March 2024, did not allow the capitalisation of the said line in the Financial Year 2023-24, stating that it was not put to its intended use. Hence, in view of the above facts, the cost of 132 KV S/C line should have been shown under Capital Work in Progress.

This resulted in overstatement of Property, Plant and Equipment by ₹ 81.35 crore as well as Depreciation and Amortisation Expenses by ₹ 3.34 crore, and understatement of Capital Work in Progress by ₹ 84.69 crore (₹ 81.35 crore + ₹ 3.34 crore). Consequently, Profit for the year was also understated by ₹ 3.34 crore.

**B. Comments on Financial Position****Balance Sheet****Assets****Non-Current Assets**

**Property, Plant and Equipment (Note 2): ₹ 1578.94 crore**

3. The above wrongly includes a depreciated amount of ₹ 1.14 crore being the AMC expenses (Total: ₹ 1.19 crore minus Depreciation: ₹ 0.05 crore) for the period 12 April 2022 to 11 April 2023 in respect of hardware supplied against online monitoring and data acquisition project at the Company's Sub Station end and Data Centre end for implementation of Intra State ABT Metering Scheme. UERC has also not allowed the capitalisation of AMC expenses, hence, these should have been depicted under Repair & Maintenance Expenses in the Statement of Profit and Loss for the year 2022-23.



इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य इक्विटी में ₹ 1.14 करोड़ की अधिक जानकारी दी गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  
की ओर से

स्थान: देहरादून  
दिनांक: 13 सितंबर 2024

—एसडी—  
(प्रविंद्र यादव)  
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)  
उत्तराखण्ड





इसके परिणामस्वरूप मरम्मत और रखरखाव व्यय के साथ-साथ अल्पावधि प्रावधानों में ₹ 1.25 करोड़ की कमी आई। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ भी ₹ 1.25 करोड़ से अधिक दिखाया गया।

**बैलेंस शीट**

**संपत्तियां**

**गैर-वर्तमान संपत्तियां**

**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 2): ₹ 1578.94 करोड़।**

2. उपरोक्त में पिथौरागढ़ (PGCIL) – चंपावत (लोहाघाट) से D/C टावर पर 132 KV S/C लाइन की लागत ₹ 84.69 करोड़ शामिल है। महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के नोट 1 (iii) के अनुसार, "ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियों को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) टैरिफ विनियमों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है"। उक्त ट्रांसमिशन लाइन को बिना चालू किए तथा इच्छित उपयोग के लिए वाणिज्यिक रूप से संचालित किए बिना 02.08.2023 को पूंजीकृत कर दिया गया, जो कि उक्त लेखा नीति का उल्लंघन है। इस पर ₹ 3.34 करोड़ का मूल्यह्रास भी वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभ-हानि विवरण में लगाया गया।

इसके अलावा, UERC ने भी अपने 28 मार्च 2024 के आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त लाइन के पूंजीकरण की अनुमति नहीं दी, जिसमें कहा गया कि इसका इच्छित उपयोग नहीं किया गया। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, 132 KV S/C लाइन की लागत को प्रगतिरत पूंजी कार्य के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ₹ 81.35 करोड़ से अधिक दर्शाया गया, साथ ही मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय को ₹ 3.34 करोड़ से अधिक दर्शाया गया, और प्रगति में पूंजीगत कार्य को ₹ 84.69 करोड़ (₹ 81.35 करोड़ + ₹ 3.34 करोड़) से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ को भी ₹ 3.34 करोड़ से कम दर्शाया गया।

**B. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ**

**बैलेंस शीट**

**संपत्तियाँ**

**गैर-वर्तमान संपत्तियाँ**

**संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 2): ₹ 1578.94 करोड़**

3. उपरोक्त में गलत तरीके से ₹ 1.14 करोड़ की मूल्यह्रास राशि शामिल है, जो 12 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए AMC व्यय (कुल: ₹ 1.19 करोड़ माइनस मूल्यह्रास: ₹ 0.05 करोड़) है, जो इंट्रा स्टेट ABT मीटरिंग स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के सब स्टेशन एंड और डेटा सेंटर एंड पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डेटा अधिग्रहण परियोजना के लिए आपूर्ति किए गए हार्डवेयर के संबंध में है। UERC ने AMC व्यय के पूंजीकरण की भी अनुमति नहीं दी है, इसलिए, इन्हें वर्ष 2022-23 के लाभ और हानि के विवरण में मरम्मत और रखरखाव व्यय के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।



**Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd. (PTCUL)**

**FINAL COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA  
UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL  
STATEMENTS OF POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND  
LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.**

AUDIT Para	Audit PARA (AIR)	Management Reply
1	<p><b>A. Comments on Profitability</b>  <b>Statement of Profit &amp; Loss</b>  <b>Expenses</b>  <b>Repairs &amp; Maintenance Expenses (Note 28): ₹ 57.88 crore</b>                      The above does not include AMC expenses of ₹ 1.25 crore payable to M/s Socure Meters Limited for the period 12 April 2023 to 31 March 2024 in respect of hardware supplied against online monitoring and data acquisition project at the Company's Sub Station end and Data Centre end for Implementation of Intra State ABT Metering Scheme. The same should have been accounted for in the books of accounts, which was not done.                      This resulted in understatement of Repairs &amp; Maintenance Expenses as well as Short Term Provisions by ₹ 1.25 crore, each. Consequently, Profit for the year was also overstated by ₹ 1.25 crore.</p>	<p>Noted for compliance. Necessary accounting treatment will be made in the accounts for the F.Y. 2024-25 in accordance with CAG Comments.</p>
2	<p><b>Balance Sheet</b>  <b>Assets</b>  <b>Non-Current Assets</b>  <b>Property, Plant and Equipment (Note 2): ₹ 1578.94 crore.</b>                      The above includes ₹ 84.69 crore being the cost of 132 KV S/C line on D/C tower from Pithoragarh (PGCIL) – Champavat (Lohaghat). As per the Significant Accounting Policies Note 1 (iii), "Transmission system assets are considered as ready for intended use on the date of commercial operation declared in terms of Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) tariff regulations and capitalised accordingly". The said transmission line was capitalised on 02.06.2023 without being commissioned and</p>	<p>Noted for compliance. Necessary accounting treatment will be made in the accounts for the F.Y. 2024-25 in accordance with CAG Comments.</p>

पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (PTCUL)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर अंतिम टिप्पणियाँ।

ऑडिट पैरा	ऑडिट पैरा (AIR)	प्रबंधन का उत्तर
1	<p>ए. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ लाभ और हानि का विवरण व्यय मरम्मत और रखरखाव व्यय (नोट 28): ₹ 57.88 करोड़ उपर्युक्त में 12 अप्रैल 2023 से 31 मार्च की अवधि के लिए मेसर्स सिक्थोर मीटर्स लिमिटेड को देय ₹ 1.25 करोड़ का एएमसी व्यय शामिल नहीं है इंटर स्टैंड एबीटी मीटरिंग योजना के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के सब स्टेशन एंड और डेटा सेंटर एंड पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डेटा अधिग्रहण परियोजना के लिए आपूर्ति किए गए हार्डवेयर के संबंध में 2024। इसका लेखा-जोखा बही में होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप मरम्मत और रखरखाव व्यय के साथ-साथ अल्पकालिक प्रावधानों में ₹ 1.25 करोड़ प्रत्येक को कम करके दिखाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ भी ₹ 1.25 करोड़ अधिक दिखाया गया।</p>	<p>अनुपालन के लिए नोट किया गया। CAG टिप्पणियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खातों में आवश्यक लेखांकन उपचार किया जाएगा।</p>
2	<p>बैलेंस शीट संपत्तियाँ गैर-वर्तमान संपत्तियाँ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 2): ₹ 1578.94 करोड़। उपरोक्त में पिथौरागढ़ (PGCIL) से चंपावत (लोहाघाट) तक D/C टावर पर 132 KV S/C लाइन की लागत ₹ 84.69 करोड़ शामिल है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट 1 (iii) के अनुसार, "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) टैरिफ विनियमों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियों को इच्छित उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है"। उक्त ट्रांसमिशन लाइन को चालू किए बिना और इच्छित उपयोग के लिए वाणिज्यिक रूप से संचालित किए बिना 02.06.2023 को पूंजीकृत</p>	<p>अनुपालन के लिए नोट किया गया। CAG टिप्पणियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खातों में आवश्यक लेखांकन उपचार किया जाएगा।</p>



AUDIT Para	Audit PARA (AIR)	Management Reply
	<p>commercially operated for the intended use, in contravention to the Ibid Accounting Policy. Depreciation of ₹ 3.34 crore on the same, was also charged in the Statement of Profit and Loss in the Financial Year 2023-24.</p> <p>Further, UERC also, vide its order dated 28 March 2024, did not allow the capitalisation of the said line in the Financial Year 2023-24, stating that it was not put to its intended use. Hence, in view of the above facts, the cost of 132 KV S/C line should have been shown under Capital Work In Progress.</p> <p>This resulted in overstatement of Property, Plant and Equipment by ₹ 81.35 crore as well as Depreciation and Amortisation Expenses by ₹ 3.34 crore, and understatement of Capital Work in Progress by ₹ 84.69 crore (₹ 81.35 crore + ₹ 3.34 crore). Consequently, Profit for the year was also understated by ₹ 3.34 crore.</p>	<p>Noted for compliance. Necessary accounting treatment will be made in the accounts for the F.Y. 2024-25 in accordance with CAG Comments.</p>
2	<p><b>Balance Sheet</b></p> <p><b>Assets</b></p> <p><b>Non-Current Assets</b></p> <p><b>Property, Plant and Equipment (Note 2): ₹ 1578.94 crore</b></p> <p>The above wrongly includes a depreciated amount of ₹ 1.14 crore being the AMC expenses (Total: ₹ 1.19 crore minus Depreciation: ₹ 0.05 crore) for the period 12 April 2022 to 11 April 2023 in respect of hardware supplied against online monitoring and data acquisition project at the Company's Sub Station end and Data Centre end for implementation of Intra State ABT Metering Scheme. UERC has also not allowed the capitalisation of AMC expenses, hence, these should have been depicted under Repair &amp; Maintenance Expenses in the Statement of Profit and Loss for the year 2022-23.</p> <p>This resulted in overstatement of Property, Plant and Equipment as well as Other Equity by ₹ 1.14 crore, each.</p>	<p>Noted for compliance. Necessary accounting treatment will be made in the accounts for the F.Y. 2024-25 in accordance with CAG Comments.</p>



ऑडिट पैरा	ऑडिट पैरा (AIR)	प्रबंधन का उत्तर
	<p>किया गया, जो कि उक्त लेखांकन नीति का उल्लंघन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभ और हानि के विवरण में इस पर ₹ 3.34 करोड़ का मूल्यहास भी लगाया गया था।</p> <p>इसके अलावा, UERC ने भी अपने 28 मार्च 2024 के आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त लाइन के पूंजीकरण की अनुमति नहीं दी, जिसमें कहा गया कि इसका इच्छित उपयोग नहीं किया गया। इसलिए, उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, 132 KV S/C लाइन की लागत को प्रगति में पूंजीगत कार्य के तहत दिखाया जाना चाहिए था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में ₹ 81.35 करोड़ और मूल्यहास और परिशोधन व्यय में ₹ 3.34 करोड़ की अधिकता दिखाई गई, और प्रगति में पूंजीगत कार्य में ₹ 84.69 करोड़ (₹ 81.35 करोड़ + ₹ 3.34 करोड़) की कमी दिखाई गई। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ भी ₹ 3.34 करोड़ कम दिखाया गया।</p>	<p>अनुपालन के लिए नोट किया गया। CAG टिप्पणियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खातों में आवश्यक लेखांकन उपचार किया जाएगा।</p>
2	<p><b>बैलेंस शीट</b>  <b>संपत्ति</b>  <b>गैर-वर्तमान संपत्ति</b>  <b>संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 2): ₹ 1578.94 करोड़</b></p> <p>उपर्युक्त में गलत तरीके से ₹ 1.14 करोड़ की मूल्यहास राशि शामिल है, जो इंडा स्टेट ABT मीटरिंग स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के सब स्टेशन एंड और डेटा सेंटर एंड पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डेटा अधिग्रहण परियोजना के लिए आपूर्ति किए गए हार्डवेयर के संबंध में 12 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए AMC व्यय (कुल: ₹ 1.19 करोड़ माइनस मूल्यहास: ₹ 0.05 करोड़) है। UERC ने AMC व्यय के पूंजीकरण की भी अनुमति नहीं दी है, इसलिए, इन्हें वर्ष 2022-23 के लाभ और हानि के विवरण में मरम्मत और रखरखाव व्यय के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के साथ-साथ अन्य इक्विटी में प्रत्येक में ₹ 1.14 करोड़ का अधिक विवरण दिया गया।</p>	<p>अनुपालन के लिए नोट किया गया। CAG टिप्पणियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खातों में आवश्यक लेखांकन उपचार किया जाएगा।</p>





**पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०**

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कम्पनी सचिव कार्यालय

विद्युत भवन, नजदीक-आईएसबीटी क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

cs@ptcul.org

**No. 235/CS/PTCUL/20th AGM**

**Date:30/8/2024**

To

All Shareholders of PTCUL

1. Hon'ble Governor, GoU represented through Secretary (Energy), Dr. R.M. Sundaram, GoU.
2. Smt. Radha Raturi, Chief Secretary, GoU.
3. ShriAnand Bardhan, Additional Chief Secretary (Finance), GoU.
4. ShriAnand Bardhan, Additional Chief Secretary (Infrastructure Development), GoU.
5. Dr. R.M. Sundaram, Secretary (Energy), GoU.
6. Dr. R.M. Sundaram, Secretary (Planning), GoU.
7. Shri Vinay Shankar Pandey, Secretary (Public Enterprises), GoU.
8. Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Energy), GoU.
9. Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Finance), GoU.
10. Shri. Atul Kumar Singh, Deputy Secretary (Energy), GoU.
11. Shri. P.C.Dhyani, Managing Director, PTCUL.

**NOTICE OF 20th ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the Company shall be held on **26th September, 2024 Thursday at 04:00 PM at the Board Room, 1st Floor at the registered office of the Company at "Vidyut Bhawan", Near I.S.B.T. Crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun** through physical/Video Conferencing mode to transact the following businesses.

**ORDINARY BUSINESS:**

The following business shall be taken up as ordinary business (To be passed with minimum 50% votes)

**Agenda Item No. 20.01:**

To consider and approve the Profit and Loss account for the period 1st April, 2023 to 31st March, 2024, Balance Sheet as on 31.03.2024 alongwith all appendix annexed to the Balance Sheet, Report of Directors' to the Share Holders, observations of Secretarial Auditor, Statutory Auditor, Cost Auditor and Report of Comptroller and Auditor General of India on the accounts and working of the Corporation and replies of the Management on the aforesaid reports of all auditors.

**Agenda Item No. 20.02:**

Appointment of Auditors and fixation of their remuneration.

**Agenda Item No. 20.03:**

Declaration of Dividend.



**पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०**

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कम्पनी सचिव कार्यालय

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

cs@ptcul.org

**No. 235/CS/PTCUL/20th AGM**

**Date:30/8/2024**

सेवा में,

पिटकुल के सभी शेयरधारकों को

- माननीय राज्यपाल, सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव (ऊर्जा), डॉ. आर.एम. सुंदरम, सरकार के माध्यम से किया गया।
- श्रीमती राधा रतूडी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार।
- श्री आनंद वर्धन, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड सरकार।
- श्री आनंद वर्धन, अतिरिक्त मुख्य सचिव (बुनियादी ढांचा विकास), उत्तराखण्ड सरकार।
- डॉ. आर.एम. सुंदरम, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार।
- डॉ. आर.एम. सुंदरम, सचिव (योजना), उत्तराखण्ड सरकार।
- श्री विनय शंकर पांडे, सचिव (सार्वजनिक उद्यम), उत्तराखण्ड सरकार।
- डॉ. अहमद इकबाल, अतिरिक्त सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार।
- डॉ. अहमद इकबाल, अतिरिक्त सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड सरकार।
- श्री अतुल कुमार सिंह, उप सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार।
- श्री. पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक, पिटकुल।

**20वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना**

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 20वीं वार्षिक आम बैठक 26 सितंबर, 2024 गुरुवार को अपराह्न 04:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय "विद्युत भवन", आई.एस.बी.टी. क्रॉसिंग के पास, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून में बोर्ड रूम, प्रथम तल पर निम्नलिखित व्यवसायों के निष्पादन हेतु भौतिक/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

**साधारण व्यवसाय:**

निम्नलिखित व्यवसाय को साधारण व्यवसाय के रूप में लिया जाएगा (न्यूनतम 50% मतों से पारित किया जाना है)

**एजेंडा मद संख्या 20.01:**

1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए लाभ और हानि खाते पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना, 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट और बैलेंस शीट से जुड़े सभी परिशिष्ट, शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक की टिप्पणियां और निगम के खातों और कामकाज पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और सभी लेखा परीक्षकों की उपरोक्त रिपोर्टों पर प्रबंधन के जवाब।

**एजेंडा मद संख्या 20.02:**

लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।

**एजेंडा मद संख्या 20.03:**



**Agenda Item No. 20.04:**

To note changes in Board of Directors and Key Managerial persons of the Company.

**SPECIAL BUSINESS:**

The following business shall be taken as a special business (To be passed with minimum 75% of vote)

**Agenda Item No. 20.05:**

Status note on Allotment of Equity Shares to Government of Uttarakhand during financial year 2023-24.

**Agenda Item No. 20.06 :**

To consider and approve the increase in borrowing powers of the Company.

- The detailed explanatory statements for special resolutions in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013 along with detailed agenda shall be circulated separately. These documents shall be available for inspection during office hours (except holidays) at the registered office of the Company "Vidyut Bhawan, near ISBT Crossing, Majra, Dehradun in the office of GM Finance/ Company Secretary.
- The link to attend the meeting through video conferencing shall be sent separately before the meeting.
- None of the Directors and Key Managerial persons are interest parties for purpose of aforesaid resolutions.

You are requested to kindly make it convenient to attend the meeting.

**By order of the Board of**

**Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.**

**Encl: Form of Proxy  
only for use of shareholders**

**(Arun Sabharwal)  
Company Secretary**

**Note:**

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to represent and vote at the meeting in his place and the proxy need not be member of the company. Provided that the proxy shall not have a right to speak at the meeting and shall not be entitled to vote except on poll. Form of proxy as enclosed must be reach the office of Company Secretary Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited at least 48 hrs before the commencement of the meeting either in hard copy or through e-mail at [cs@ptcul.org](mailto:cs@ptcul.org).

**Copy to**

1. Chairperson and all members of Board of Directors.
2. Chairman Audit Committee.
3. Comptroller & Auditor General of India.
4. M/s Amit Ray & Co, Statutory Auditor, PTCUL.
5. M/s Vap & Associates, Secretarial Auditors, PTCUL.
6. M/s R. M. Bansal & Co., Cost Auditors, PTCUL.
7. I.T. wing for publication of notice on website. Creating/sending links and other I.T. support, in consultation with Company Secretary Department.



**एजेंडा आइटम संख्या 20.04:**

कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में परिवर्तनों को नोट करना।

**विशेष व्यवसाय**

निम्नलिखित व्यवसाय को विशेष व्यवसाय के रूप में लिया जाएगा (न्यूनतम 75% वोट के साथ पारित किया जाना है)

**एजेंडा आइटम संख्या 20.05:**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को इक्विटी शेयरों के आवंटन पर स्थिति नोट।

**एजेंडा आइटम संख्या 20.06:**

कंपनी की उधार लेने की शक्तियों में वृद्धि पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विशेष प्रस्तावों के लिए विस्तृत व्याख्यात्मक विवरण विस्तृत एजेंडे के साथ अलग से प्रसारित किए जाएंगे। ये दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, आईएसबीटी क्रॉसिंग के पास, माजरा, देहरादून में महाप्रबंधक वित्त/कंपनी सचिव के कार्यालय में कार्यालय समय (छुट्टियों को छोड़कर) के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए लिंक बैठक से पहले अलग से भेजा जाएगा।
- उपरोक्त प्रस्तावों के प्रयोजन के लिए कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति हितधारक नहीं हैं।

आपसे अनुरोध है कि कृपया बैठक में भाग लेने के लिए इसे सुविधाजनक बनाएं।

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड  
के बोर्ड के आदेशानुसार

संलग्न: प्रॉक्सी का फॉर्म

केवल शेयरधारकों के उपयोग के लिए

(अरुण समरवाल)

कंपनी सचिव

नोट:

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार एक शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में प्रतिनिधित्व करने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। बशर्ते कि प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा और मतदान के अलावा वोट देने का हकदार नहीं होगा। संलग्न प्रॉक्सी का फॉर्म कंपनी सचिव पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले हार्ड कॉपी में या ईमेल के माध्यम से [cs@ptcul.org](mailto:cs@ptcul.org) पर पहुंचाना चाहिए।

प्रतिलिपि

1. निदेशक मंडल के अध्यक्ष और सभी सदस्य।
2. लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
4. मेसर्स अमित रे एंड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षक, PTCUL।
5. मेसर्स वैप एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखा परीक्षक, PTCUL।
6. मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखा परीक्षक, PTCUL।
7. वेबसाइट पर नोटिस के प्रकाशन के लिए आई.टी. विंग। कंपनी सचिव विभाग के परामर्श से लिंक और अन्य आई.टी. सहायता बनाना/भेजना।



### पिटकुल की 20वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त।

20वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को 16:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, विद्युत गवन, आईएसवीटी कॉसिंग के पास, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून के बोर्ड रूम, प्रथम तल पर आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित उपस्थित थे:-

### वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / फिजिकल के माध्यम से सदस्य।

1. श्रीमती राधा रतूड़ी, अध्यक्ष, देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।
2. माननीय राज्यपाल द्वारा डॉ. आर.एम. सुंदरम, के माध्यम से देहरादून स्थित अपने कार्यालय से प्रतिनिधित्व किया गया।
3. डॉ. आर.एम. सुंदरम, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून स्थित अध्यक्ष के कार्यालय से।
4. डॉ. आर.एम. सुंदरम, सचिव (योजना), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून स्थित अध्यक्ष के कार्यालय से।
5. श्री अतुल कुमार सिंह, उप सचिव (ऊर्जा), देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।
6. श्री पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक, भौतिक रूप से अपने कार्यालय से।

### वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / भौतिक रूप से निदेशक।

1. श्री एन. रविशंकर, स्वतंत्र निदेशक और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।
2. श्री पराग गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक, देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।
3. श्री अरविंद कुमार बर्थवाल, स्वतंत्र निदेशक, देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।
4. श्री जी.एस. बुदियाल, निदेशक (परिचालन), पिटकुल - भौतिक रूप से।
5. श्री पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक, पिटकुल - भौतिक रूप से।

### उपस्थिति में

श्री अरुण समरवाल (कंपनी सचिव), भौतिक रूप से।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सभी सदस्यों और निदेशकों ने कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्ति) नियम 2014 के नियम 4 की आवश्यकताओं के अनुपालन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।

कोरम पूरा हो गया था और बैठक 16:00 बजे श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में शुरू हुई। निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से कंपनी सचिव ने सभी शेयरधारकों का इस बैठक में स्वागत किया। यह समझाया गया कि सभी लेखा परीक्षकों यानी वैधानिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ-साथ इन सभी चार लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर के साथ वैधानिक एजेंडा 21 दिनों के वैधानिक नोटिस के प्रेषण के समय उपलब्ध नहीं थे। इन दस्तावेजों को लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और उन्हें परिस्थितियों के बारे में समझाया गया था और उनके द्वारा स्वीकार और अनुशंसित किया गया था। परिणामस्वरूप, सदस्यों ने सर्वसम्मति से एजेंडा और व्याख्यात्मक नोट को कम से कम 21 दिनों की अवधि के लिए प्राप्त करने पर अपनी सहमति दी।

(अरुण समरवाल)  
कंपनी सचिव

(पी.सी. ध्यानी)  
प्रबंध निदेशक

(राधा रतूड़ी)  
अध्यक्ष





## **MINUTES OF THE 20th ANNUAL GENERAL MEETING OF PTCUL**

The 20th Annual General Meeting was held on Thursday, 26th September, 2024 at 16:00 Hrs. at the Board room, 1st floor at the registered office of the company at Vidyut Bhawan, near I.S.B.T crossing, Saharanpur road, Majra, Dehradun in which the following were present:-

### **MEMBERS THROUGH VIDEO CONFERENCING/PHYSICAL**

1. Smt. Radha Raturi, Chairperson, from her office in Dehradun.
2. Hon'ble Governor represented through Dr. R.M. Sundaram, from the office of Chairperson at Dehradun.
3. Dr. R.M. Sundaram, Secretary (Energy), GoU from the office of Chairperson at Dehradun.
4. Dr. R.M. Sundaram, Secretary (Planning), GoU from the office of Chairperson at Dehradun.
5. Shri. Atul Kumar Singh, Deputy Secretary (Energy), from his office at Dehradun.
6. Shri P.C. Dhyani, Managing Director from his office in physical mode.

### **DIRECTORS THROUGH VIDEO CONFERENCING /PHYSICAL**

1. Shri N. Ravi Shanker, Independent Director and Chairman of Audit Committee from his office at Dehradun.
2. Shri Parag Gupta, Independent Director from his office at Dehradun.
3. Shri Arvind Kumar Barthwal, Independent Director from his office at Dehradun.
4. Shri G.S. Budiyal, Director (Operations), PTCUL - Physical Mode.
5. Shri P.C. Dhyani, Managing Director, PTCUL - Physical Mode.

### **IN ATTENDANCE**

Shri Arun Sabharwal (Company Secretary), Physical Mode.

All the members and directors who had attended through Video Conferencing had recorded their attendance, in compliance with the requirements of Rule 4 of Companies (Meeting of the Board and its power) Rules 2014.

The quorum was complete and the meeting commenced at 16:00 hrs with Smt. Radha Raturi in the Chair.

Company Secretary on behalf of Board of Directors and the Company welcomed all the shareholders to this meeting. It was explained that statutory agendas along with the report of all the auditors i.e. Statutory Auditor, Secretarial Auditor, Cost Auditor and Comptroller & Auditor General of India along with the reply of the management on the observations of all these four auditors were not available at the time of dispatch of statutory notice of 21 days. These documents had been approved by the Audit Committee and Board of Directors and the circumstances have been explained to them and accepted and recommended by them. Consequentially, the members accorded their consent unanimously to receive the agenda and explanatory note for a period of not less than 21 days.

(Arun Sabharwal)  
Company Secretary

(P.C. Dhyani)  
Managing Director

(Radha Raturi)  
Chairperson



The members confirmed that they have received and read the agenda and all the annexures appended thereto and unanimously decided not to read the audit report again in the meeting and decided to treat the audit reports and the comment of management on these reports as read.

The salient feature of the financial statements and report of Board of Directors' to the shareholders were explained by the Company Secretary.

**AGENDA ITEM NO: 20.01**

**To consider and approve the Profit and Loss account for the period 1st April, 2023 to 31st March, 2024, Balance Sheet as on 31.03.2024 along with all appendix annexed to the Balance Sheet, Report of Directors' to the Share Holders, observations of Secretarial Auditor, Statutory Auditor, Cost Auditor and Report of Comptroller and Auditor General of India on the accounts and working of the Corporation and replies of the Management on the aforesaid reports of all auditors.**

Members accepted the recommendations of the Board of Directors and after consideration passed the following resolution unanimously:

**RESOLVED THAT** the consent of the Members be and is hereby accorded to approve the profit and loss accounts for the period of 1st April, 2023 to 31st March, 2024, Balance Sheet as on 31st March, 2024 and all appendix annexed to the Balance Sheet, Report of Directors' to the Share Holders, Report of Secretarial Auditor, Cost Auditor, Statutory Auditor and Comptroller and Auditor General of India alongwith the reply of the management on the reports of the aforesaid auditors as placed before this meeting be and is hereby approved and adopted.

**RESOLVED FURTHER THAT** all actions taken by the Managing Director and Company Secretary for fixation of date of Annual General Meeting, issuance of Statutory notices for the Annual General Meeting and all actions related thereto in anticipation of approval of Board of Directors & with approval of the Chairperson, in order to complete the statutory requirements and an effort of the company to hold the Annual General Meeting within the statutory limits be and are hereby ratified and confirmed.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Company Secretary, Managing Director and all / any of the Functional directors as may be required, be and are hereby jointly and severally authorized to sign, seal and deliver the Annual Return along with all other forms that are Statutorily required to be filed with Registrar of Companies.

**RESOLVED FURTHER THAT** the consent of members be and is hereby accorded to receive the financial statements, Report of Directors' to the shareholders, auditors' report and all other documents that are required to be attached Statutory with the Balance Sheet for a period of less than 21 days.

(Arun Sabharwal)  
Company Secretary

(P.C. Dhyani)  
Managing Director

(Radha Raturi)  
Chairperson



सदस्यों ने पुष्टि की कि उन्होंने एजेंडा और उससे जुड़े सभी अनुलग्नक प्राप्त कर लिए हैं और उन्हें पढ़ लिया है तथा बैठक में सर्वसम्मति से ऑडिट रिपोर्ट को दोबारा न पढ़ने का निर्णय लिया और ऑडिट रिपोर्ट तथा इन रिपोर्टों पर प्रबंधन की टिप्पणी को पढ़ा हुआ मानने का निर्णय लिया।

कंपनी सचिव द्वारा वित्तीय विवरणों तथा निदेशक मंडल की शैयस्थारकों को दी गई रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं को समझाया गया।

#### कार्यसूची संख्या: 20.01

1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए लाभ और हानि खाते पर विचार करना तथा उसे अनुमोदित करना, बैलेंस शीट से जुड़े सभी परिशिष्टों सहित 31.03.2024 की बैलेंस शीट, शैयस्थारकों को निदेशकों की रिपोर्ट, निगम के खातों और कार्यप्रणाली पर सचिवीय लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा सभी लेखा परीक्षकों की उपरोक्त रिपोर्टों पर प्रबंधन के उत्तर।

सदस्यों ने निदेशक मंडल की सिफारिशों को स्वीकार किया तथा विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:

संकल्प लिया गया कि 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए लाभ-हानि खातों, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट तथा बैलेंस शीट से संलग्न सभी परिशिष्टों, शैयस्थारकों को निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा इस बैठक के समक्ष प्रस्तुत उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर को अनुमोदित तथा अपनाया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रबंध निदेशक और कंपनी सचिव द्वारा वार्षिक आम बैठक की तिथि निर्धारित करने, वार्षिक आम बैठक के लिए वैधानिक नोटिस जारी करने और निदेशक मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में तथा अध्यक्ष के अनुमोदन से उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने और कंपनी द्वारा वैधानिक सीमाओं के भीतर वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के प्रयास की पुष्टि की जाती है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी सचिव, प्रबंध निदेशक और सभी/किसी भी कार्यात्मक निदेशक को, जैसा कि अपेक्षित हो, संयुक्त रूप से और अलग-अलग अधिकृत किया जाता है कि वे वार्षिक रिटर्न के साथ-साथ अन्य सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करें, उन्हें सील करें और वितरित करें, जिन्हें वैधानिक रूप से कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि वित्तीय विवरण, शैयस्थारकों को निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य सभी दस्तावेज, जिन्हें बैलेंस शीट के साथ वैधानिक रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है, 21 दिनों से कम अवधि के लिए प्राप्त करने के लिए सदस्यों की सहमति ली जाए तथा दी जाती है।

(अरुण समरवाल)  
कंपनी सचिव

(पी.सी. ध्यानी)  
प्रबंध निदेशक

(राधा रतूड़ी)  
अध्यक्ष



**AGENDA ITEM NO: 20.02**

**Appointment of Statutory Auditors and fixation of the Irremuneration.**

The Statutory Auditor for the Financial Year 2024- 2025 has not been appointed as yet by Comptroller and Auditor General of India. As and when the said auditor shall be appointed by the C&AG and their remuneration shall be fixed by the Board of Directors, after that, all other statutory formalities shall be completed and the issue shall be brought before the members in the next Annual General Meeting for information and ratification.

In this connection the members are requested to consider and pass the following resolution with or without modifications.

**RESOLVED THAT** the consent of the members be and is hereby accorded to ratify all legal actions taken by the Managing Director, the Company Secretary, the Chief Financial Officer and the Board of Directors of the company to appoint M/s Amit Ray & Co. as the Statutory Auditor on the advice Comptroller and Auditor General of India and fixation of their remuneration vide Agenda item no. 87.12 in the 87th Board meeting held on 28.11.2023.

**RESOLVED FURTHER THAT** the consent of members be and is hereby accorded to the authorize the Managing Director, the Company Secretary, the Chief Financial Officer and the Board of Directors to take all legal actions and to fix the remuneration of statutory auditors, as and when received and perform all other legal and statutory actions related thereto.

**RESOLVED FURTHER THAT** the action so taken shall be reported in the next Annual General Meeting.

**AGENDA ITEM NO: 20.03**

**Declaration of Dividend for the Financial Year 2023-2024.**

The members considered the recommendations of the Board of Directors. While consenting to their recommendations, the members passed the following resolution unanimously:

**RESOLVED THAT** the consent of the members be and is hereby accorded to declare a dividend of Rs. 14.22 per equity share of face value of Rs. 1000 each total amounting to Rs. 11,00,45,352/- (Eleven Crore Forty Five Thousand Three Hundred and Fifty Two only) to be paid to the shareholders as on 31.03.2024.

**RESOLVED FURTHER THAT** Chief Finance Officer and Company Secretary be and are hereby authorized to perform all other legal actions in furtherance of declaration of this dividend.

(Arun Sabharwal)  
Company Secretary

(P.C. Dhyani)  
Managing Director

(Radha Raturi)  
Chairperson





### कार्यसूची संख्या: 20.02

**वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक का निर्धारण।**

वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति अभी तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की गई है। जब तक लेखा परीक्षक की नियुक्ति C&AG द्वारा की जाएगी तथा उनका पारिश्रमिक निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उसके पश्चात सभी अन्य वैधानिक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी तथा इस मुद्दे को अगली वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के समक्ष सूचना एवं अनुमोदन के लिए लाया जाएगा।

इस संबंध में सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करें तथा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के इसे पारित करें।

संकल्प लिया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर मेसर्स अमित रे एंड कंपनी को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने तथा 28.11.2023 को आयोजित 87वीं बोर्ड बैठक में एजेंडा मद संख्या 87.12 के अनुसार उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की गई सभी कानूनी कार्यवाहियों की पुष्टि करने के लिए सदस्यों की सहमति ली जाती है तथा दी जाती है।

इसके अलावा संकल्प लिया गया कि प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा कंपनी के निदेशक मंडल को सभी कानूनी कार्यवाहियां करने तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत करने के लिए सदस्यों की सहमति ली जाती है तथा दी जाती है, जब भी प्राप्त हो तथा उससे संबंधित सभी अन्य कानूनी तथा सांविधिक कार्यवाहियां निष्पादित करें।

इसके अलावा संकल्प लिया गया कि इस प्रकार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अगली वार्षिक आम बैठक में दी जाएगी।

### कार्यसूची संख्या: 20.03

**वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए लाभान्श की घोषणा।**

सदस्यों ने निदेशक मंडल की सिफारिशों पर विचार किया। उनकी सिफारिशों पर सहमति जताते हुए सदस्यों ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:

संकल्प लिया गया कि सदस्यों की सहमति से 1000 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 14.22 रुपये का लाभान्श घोषित किया जाता है, जो कुल 11,00,45,352 रुपये (ग्यारह करोड़ पैंतालीस हजार तीन सौ बावन मात्र) है, जिसका मुग्तान 31.03.2024 तक शेयरधारकों को किया जाएगा।

इसके अलावा संकल्प लिया गया कि मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव को इस लाभान्श की घोषणा के लिए अन्य सभी कानूनी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

(अरुण समरवाल)  
कंपनी सचिव

(पी.सी. ध्यानी)  
प्रबंध निदेशक

(राधा रतूड़ी)  
अध्यक्ष





**AGENDA ITEM NO: 20.04**

**To take note of changes in Board of Directors of the company.**

The members took note of the changes in the Board of Directors of the Company. They welcomed the new directors and the Key Managerial Persons who had joined in the period starting from last Annual General Meeting till this Annual General Meeting and placed on record their sincere thanks and deep appreciation for the valuable services rendered by the outgoing Directors during the tenure of their respective offices.

**AGENDA ITEM NO: 20.05**

**Status note on Allotment of Equity Shares to Government of Uttarakhand during financial year 2023-24.**

The Company Secretary explained the legal provisions as detailed in the explanatory statement attached to the agenda note in terms of Section 102 of The Companies Act, 2013. Based upon the recommendation of the Board of Directors and after consideration the members passed the following resolution unanimously.

**RESOLVED THAT** the consent of the members be and is hereby accorded to ratify the decision taken by the Company Secretary, the Managing Director and the Board of Directors to issue equity share capital against the money received from Government of Uttarakhand during the Financial Year under report to finance the various projects and action taken by them to complete all statutory compliances.

**RESOLVED FURTHER THAT** the decision of the management to treat Section 62 (1) of the Companies Act, 2013 as not applicable, as there is no case of offering the equity received from the government to be offered again to the government to exercise a right to subscribe to equity, be and is hereby ratified and confirmed.

**RESOLVED FURTHER THAT** the corporation management and the Board of Directors be and are hereby authorized to issue equity share capital as and when required, complete the process of law and other statutory compliances, not to refer the equity received from government to the government again as a right issue and do all other legal acts and deeds as are necessary in furtherance of the issue of share capital and action so taken by the management and Board of Directors in every Financial Year shall be put up in consolidated manner in the next Annual General Meeting for information and ratification.

**RESOLVED FURTHER THAT** the consent of the members be and is hereby accorded to issue 4,26,649 shares amounting to Rs. 42,66,49,000 as already been issued on 01.05.2023 and 5,00,000 shares amounting to Rs. 50,00, 00,000 already issued on 03.08.2023 on the approval of the Board of Directors and for which the respective legal & other statutory formalities for issue of shares have been completed. The shares so issued shall rank pari passu with the existing equity share of the company

**(Arun Sabharwal)**  
Company Secretary

**(P.C. Dhyan)**  
Managing Director

**(Radha Raturi)**  
Chairperson



**कार्यसूची संख्या: 20.04**

कंपनी के निदेशक मंडल में हुए परिवर्तनों पर ध्यान देना।

सदस्यों ने कंपनी के निदेशक मंडल में हुए परिवर्तनों पर ध्यान दिया। उन्होंने पिछले वार्षिक आम बैठक से लेकर इस वार्षिक आम बैठक तक की अवधि में शामिल हुए नए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का स्वागत किया और अपने-अपने कार्यालयों के कार्यकाल के दौरान निवर्तमान निदेशकों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद और गहरी प्रशंसा दर्ज की।

**कार्यसूची संख्या: 20.05**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार को इक्विटी शेयरों के आवंटन पर स्थिति नोट।

कंपनी सचिव ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के संदर्भ में कार्यसूची नोट से जुड़े व्याख्यात्मक दस्तावेज में विस्तृत कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की। निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर और विचार-विमर्श के बाद सदस्यों ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया।

संकल्प लिया गया कि कंपनी सचिव, प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त धनराशि के विरुद्ध इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने के लिए लिए गए निर्णय को अनुमोदित करने के लिए सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है और उनके द्वारा सभी वैधानिक अनुपालनों को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाई और विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए लिए गए निर्णय को अनुमोदित किया जाता है।

इसके अलावा संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 (1) को लागू न मानने के प्रबंधन के निर्णय को अनुमोदित और पुष्ट किया जाता है, क्योंकि सरकार से प्राप्त इक्विटी को इक्विटी में सदस्यता लेने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सरकार को फिर से पेश करने का कोई मामला नहीं है।

आगे यह भी प्रस्ताव किया गया कि निगम प्रबंधन और निदेशक मंडल को आवश्यकता पड़ने पर इक्विटी शेयर पूंजी जारी करने, कानून की प्रक्रिया और अन्य वैधानिक अनुपालनों को पूरा करने, सरकार से प्राप्त इक्विटी को राइट इश्यू के रूप में फिर से सरकार को संदर्भित नहीं करने और शेयर पूंजी जारी करने के लिए आवश्यक सभी अन्य कानूनी कार्य और कर्म करने के लिए अधिकृत किया जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा की गई कार्रवाई को सूचना और अनुसमर्थन के लिए अगली वार्षिक आम बैठक में समेकित तरीके से रखा जाएगा।

आगे यह भी प्रस्ताव किया गया कि सदस्यों की सहमति से 4,26,649 शेयर जारी करने की अनुमति दी जाती है, जिनकी कीमत 42,66,49,000 रुपये है, जो 01.05.2023 को पहले ही जारी किए जा चुके हैं और 5,00,000 शेयर जिनकी कीमत 42,66,49,000 रुपये है 50,00,00,000 पहले ही 03.08.2023 को निदेशक मंडल के अनुमोदन पर जारी किए जा चुके हैं और जिसके लिए शेयर जारी करने के लिए संबंधित कानूनी और अन्य वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस प्रकार जारी किए गए शेयर कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयर के बराबर होंगे।

(अरुण समरवाल)  
कंपनी सचिव

(पी.सी. ध्यानी)  
प्रबंध निदेशक

(राधा रतूड़ी)  
अध्यक्ष



**RESOLVED FURTHER THAT** all actions taken by Corporation Management and Board of Directors, their acts and deeds carried out in pursuance of issue of the shares and statutory compliances as per prescribed procedure of law be and are hereby ratified and confirmed.

**AGENDA ITEM NO: 20.06**

To consider and approve the increase in borrowing powers of the Company.

The Company Secretary explained the legal provisions as detailed in the explanatory statement attached to the agenda note in terms of Section 102 of The Companies Act, 2013. Based upon the recommendations of the Board of Directors and after consideration the members passed the following resolution unanimously.

**RESOLVED THAT** the consent of members be and is hereby accorded to increase the borrowing limit as defined under Section 180 (1)(c) of Companies Act, 2013 from the existing Rs. 3,000 (Three Thousand) Crores to Rs. 10,000 (Ten Thousand) Crores.

**RESOLVED FURTHER THAT** the total sum of money for which the Board of Directors will now be authorized to borrow in excess of the paid-up Share Capital and Free Reserve of company, apart from the temporary loans and advances obtained from the companies bankers in the ordinary course of business at any given point of time shall not exceed a sum of Rs. Ten Thousand Crores.

**CONCLUSION**

The members expressed their satisfaction on the timely completion of the Financial Statements and other statutory requirements. The members also noted with immense pleasure that, the milestone of completing the Annual General Meeting before 30th September has been achieved for the second year in succession. The members applauded the efforts of the Corporation management and placed in record their sincere thanks and deep appreciation towards the efforts put in by the Honorable Chairperson, Chairman Audit Committee, Managing Director, Chief Finance Officer, Company Secretary alongwith their entire team, but for their efforts achieving this milestone could not have been possible.

The Managing Director proposed a vote of thanks to Chairperson, all shareholders, Chairman Audit Committee, Independent Directors, Government Directors, Non-Government Directors and the Company Secretary for their continued support.

The meeting concluded with the vote of thanks to the Chair at 16: 15 Hours

(Arun Sabharwal)  
Company Secretary

(P.C. Dhyani)  
Managing Director

(Radha Raturi)  
Chairperson



इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि निगम प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा की गई सभी कार्रवाइयां, शेयरों के निर्गमन के अनुसरण में किए गए उनके कार्य और कर्म तथा कानून की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वैधानिक अनुपालन को एतद्वारा अनुमोदित और पुष्ट किया जाता है।

#### कार्यसूची संख्या: 20.06

कंपनी की उधार लेने की शक्तियों में वृद्धि पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

कंपनी सचिव ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार कार्यसूची नोट से जुड़े व्याख्यात्मक वक्तव्य में दिए गए विस्तृत कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की। निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर और विचार-विमर्श के बाद सदस्यों ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प पारित किया।

संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (खी) के तहत परिभाषित उधार सीमा को मौजूदा 3,000 (तीन हजार) करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 (दस हजार) करोड़ रुपये करने के लिए सदस्यों की सहमति दी जाती है।

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि निदेशक मंडल को अब कंपनी की चुकता शेयर पूंजी और मुक्त रिजर्व से अधिक उधार लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा, किसी भी समय सामान्य व्यवसाय के क्रम में कंपनी के बैंकों से प्राप्त अस्थायी ऋण और अग्रिम के अलावा, कुल धनराशि दस हजार करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

#### निष्कर्ष

सदस्यों ने वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। सदस्यों ने इस बात पर भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि 30 सितंबर से पहले वार्षिक आम बैठक को पूरा करने का मील का पत्थर लगातार दूसरे वर्ष हासिल किया गया है। सदस्यों ने निगम प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की और माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति, प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी, कंपनी सचिव और उनकी पूरी टीम द्वारा किए गए प्रयासों के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद और गहरी प्रशंसा दर्ज की, लेकिन उनके प्रयासों के बिना यह मील का पत्थर हासिल करना संभव नहीं था।

प्रबंध निदेशक ने अध्यक्ष, सभी शेयरधारकों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशकों, सरकारी निदेशकों, गैर-सरकारी निदेशकों और कंपनी सचिव को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

बैठक 16:15 बजे अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई।

(अरुण सभरवाल)  
कंपनी सचिव

(पी.सी. ध्यानी)  
प्रबंध निदेशक

(राधा रतूड़ी)  
अध्यक्ष

स्थान: देहरादून  
तिथि: 27 सितम्बर, 2024